रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032022-234717
CG-DL-E-31032022-234717

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944
No. 88] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

मामला सं. एडी(ओआई) -04/2021

विषय: चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय रबड़ कैमिकल अर्थात् टीडीक्यू, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीवीआई और चीन जन.गण. तथा यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीबीएस के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/4/2021-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) को कतिपय रबड़ रसायनों अर्थात टीडीक्यू, पीवीआई और सीबीएस (जिन्हें आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों

के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स एनओसीआईएल लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। वर्तमान जांच चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टीडीक्यू; चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीवीआई और चीन जन.गण. तथा यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीबीएस के आयातों से संबंधित है। आवेदक अर्थात, मैसर्स एनओसीआईएल लिमिटेड ने आवेदन में विहित सूचना प्रदान की है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 31 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या 6/4/2021-डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके अनुसार पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत की गई ताकि संबंधित संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को कथित पाटन से हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार, जांच शुरु करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबंधित संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 मार्च, 2021 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशनों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 31 मार्च, 2021 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी हितबद्ध पक्षकारों को नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार विहित प्रपत्र और ढंग से संगत सूचना देने और विहित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी गई थी।

घ. प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबंधित संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भेजी थी।

ड. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे अपने देश से निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ दूतावासों को भी भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध किए जाने पर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए हितबद्ध पक्षकारों हेतु समय-सीमा बढ़ाई थी। दिनांक 11 मई, 2021 के पत्र द्वारा समय-सीमा 22 मई, 2021 तक बढ़ाई गई थी। दिनांक 20 मई, 2021 के पत्र द्वारा 5 जून, 2021 तक समय-सीमा बढ़ाई गई थी।

छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी।

i. मैसर्स दलायन रिचन केम कंपनी लिमिटेड (टीडीक्यू,पीवीआई,सीबीएस)

ii. मैसर्स हेनल कैलन केमिकल कंपनी लिमिटेड(टीडीक्यू,पीवीआई)

iii. मैसर्स जियागसु कंपनी, सिनोपेक केमिकल कमर्शियल होल्डिंग (टीडीक्यू,सीबीएस)

iv. मैसर्स केमई केमिकल कंपनी लिमिटेड (टीडीक्यू, सीबीएस)

v. मैसर्स स्टेयर केमिकल ऐंड टेक्नोलॉजी कंपनी (टीडीक्यू)

vi मैसर्स हुआंगयान झेडोंग रबड़ आक्सिलियरी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी (टीडीक्यू, पीवीआई, सीबीएस)

vii. मैसर्स सेनिक्स कंपनी लिमिटेड (टीडीक्यू)

viii. मैसर्स शानडोंग शनशाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड/चाइना शनशाइन (टीडीक्यू, पीवीआई, सीबीएस)

ix. मैसर्स लांसेस ड्यूस्टस्चलांडजीएमबीएच(टीडीक्यू)

x. मैसर्स जनरल क्यूमिका एस.ए.यू. (टीडीक्यू, सीबीएस)

xi. मैसर्स हेविकेम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (टीडीक्यू)

xii. मैसर्स पब्लिक ज्वांट स्टॉक कंपनी, खिमप्रोम (टीडीक्यू)

xiii. मैसर्स शानडोंग यांगुहु हुआतई केमिकल (पीवीआई,सीबीएसए)

xiv. मैसर्स शानडोंग डेरेक न्यू मैटिरियल्स कंपनी (पीवीआई, सीबीएस)

xv. मैसर्स किंगडाओ वेलटेक केमिकल्स कंपनी लिमिटेड (पीवीआई,सीबीएस)

xvi. मैसर्स किंगडाओ बोकेनहेंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (पीवीआई)

xvii. मैसर्स तांगयिन योंगसिन केमिस्ट्री कंपनी लिमिटेड (पीवीआई)

xviii. मैसर्स लांसेस एन.वी. (सीबीएस)

xix. मैसर्स हेबिरुईदा केमिकल टेक्नोलॉजी कंपनी (सीबीएस)

xx. मैसर्स किंगडाओ ऑक्सिलरी केमिकल कंपनी (सीबीएस)

xxi. मैसर्स झेंगझोऊ मेइकेवाटो ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (सीबीएस)

xxii. मैसर्स नानजिंग यूनियन रबड़ एंड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड(सीबीएस)

xxiii. मैसर्स निंगबो शीन-ऑल केमिकल कंपनी लिमिटेड (सीबीएस)

xxiv. मैसर्स झेंगझोऊ डबल विगोर केमिकल प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड (सीबीएस)

xxv. मैसर्स पुआंग विलिंग केमिकल्स कंपनी लिमिटेड (सीबीएस)

xxvi. मैसर्स शेनयांग सनवे ट्रेडिंग कंपनी लिमिटैड (सीबीएस)

xxvii. मैसर्स स्टेयर केमिकल एंड टेक्नोलॉजी कंपनी (सीबीएस)

xxviii. मैसर्स ताईझोऊ हुआंगयान डोंघई केमिकल कंपनी लिमिटेड (सीबीएस)

xxix. मैसर्स विलिंग न्यू मैटिरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (सीबीएस)

xxx. मैसर्स आरडीसी एस.आर.एल.(सीबीएस)

xxxi. मैसर्स डुसलो ए.एस. (सीबीएस)

ज. उक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों और उनके संबंधित निर्यातकों/व्यापारियों ने उत्तर दिया और निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर और/या कानूनी अनुरोध प्रस्तुत/दायर किए:

i. मैसर्स शानडोंग डेरेक न्यू मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण. (पीवीआई और सीबीएस का उत्पादक)

ii. मैसर्स शानडोंग यांगगुहु हुआताई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण (पीवीआई और सीबीएस का निर्यातक)

झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावलियां भेजी:

i. मैसर्स अग्रवाल रबड़ लिमिटेड (टीडीक्यू, सीबीएस)

ii. मैसर्स अपोलो टायर्स लिमिटेड (टीडीक्यू, पीवीआई, सीबीएस)

iii. मैसर्स एशियन टायर फैक्टरी पुाइवेट लिमिटेड (टीडीक्यू, पीवीआई, सीबीएस)

iv. मैसर्स एटीसी टायर्स प्राइवेट लिमिटेड (टीडीक्यू, पीवीआई, सीबीएस)

v. मैसर्स बी.पी. केमिकल्स (टीडीक्यू, सीबीएस)

vi मैसर्स बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (टीडीक्यू, पीवीआई, सीबीएस)

vii. मैसर्स कांस्टेक एंटरप्राइजीज प्राइवेट लिमिटेड (टीडीक्यू)

viii. मैसर्स डेक्कन फाइन केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (टीडीक्यू)

ix. मैसर्स फोरेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (टीडीक्यू)

x. मैसर्स फोरेक माइनिंग एंड कन्स्ट्रक्शन (टीडीक्यू)

xi. मैसर्स ग्लोबस रबकेम प्राइवेट लिमिटेड (टीडीक्यू)

xii. मैसर्स गोविन्द रबड़ लिमिटेड (टीडीक्यू)

xiii. मैसर्स हार्टेक्स रबड़ प्राइवेट लिमिटेड (टीडीक्यू)

xiv. मैसर्स जेजे टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (टीडीक्यू)

xv. मैसर्स कोहिनूर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (टीडीक्यू)

xvi. मैसर्स लांसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (टीडीक्यू, पीवीआई, सीबीएस)

xvii. मैसर्स मल्होत्रा रबड़ लिमिटेड (टीडीक्यू)

xviii. मैसर्स मॉक्सिस रबड़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (टीडीक्यू)

xix. मैसर्स मर्केम लिमिटेड (टीडीक्यू, सीबीएस)

xx. मैसर्स एमआरएल टायर्स लिमिटेड (टीडीक्यू)

xxi. मैसर्स एनआरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (टीडीक्यू)

xxii. मैसर्स ओरिएंटल रबड़ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (टीडीक्यू)

xxiii. मैसर्स पीएमसी रबड़ केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (टीडीक्यू, पीवीआई, सीबीएस)

xxiv. मैसर्स पोद्दार टायर्स लिमिटेड (टीडीक्यू, सीबीएस)

xxv. मैसर्स पुखराज इंजी. एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (टीडीक्यू, पीवीआई,सीबीएस)

xxvi. मैसर्स सर्वोदय रबड़ कारपोरेशन (टीडीक्यू)

xxvii. मैसर्स स्पीडवेज रबड़ कंपनी (टीडीक्यू, पीवीआई, सीबीएस)

xxviii. मैसर्स सुरेन्द्रा इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीवीआई, सीबीएस)

xxix. मैसर्स टीवीएस श्रीकरा लिमिटेड (टीडीक्यू,वीपीआई,सीबीएस)

xxx. मैसर्स वागमी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (टीडीक्यू)

xxxi. मैसर्स याशो इंस्ट्रीज लिमिटेड (टीडीक्यू)

xxxii. मैसर्स जेनिथ इंडस्ट्रियल रबड़ प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (टीडीक्यू,वीपीआई,सीबीएस)

xxxiii. मैसर्स सनराइज इंडस्टियल कारपोरेशन (टीडीक्यू)

xxxiv. मैसर्स ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीवीआई)

xxxv. मैसर्स ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पीवीआई)

xxxvi. मैसर्स कावेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीवीआई)

xxxvii. मैसर्स सिएट लिमिटेड (पीवीआई)

xxxviii. मैसर्स कोस्टल रबड़ इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पीवीआई)

xxxix. मैसर्स कॉन्टिनेन्टल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पीवीआई, सीबीएस)

xl. मैसर्स डालमिया पोलिमर्स एलएलपी (पीवीआई, सीबीएस)

xli. मैसर्स फोरेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पीवीआई, सीबीएस)

xlii. मैसर्स गुडइयर इंडिया लिमिटेड (पीवीआई,सीबीएस)

xliii. मैसर्स गुडइयर साउथ एशिया टायर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीवीआई,सीबीएस)

xliv. मैसर्स जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीवीआई, सीबीएस)

xlv. मैसर्स केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीवीआई)

xlvi. मैसर्स एमआरएफ लिमिटेड (पीवीआई, सीबीएस)

xlvii. मैसर्स ओरएंटल रबड़ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (पीवीआई, सीबीएस)

xlviii. मैसर्स चौधरी रबड़ एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड (पीवीआई)

l. मैसर्स क्लाइमेक्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (पीवीआई)

li. मैसर्स धर्मशिला बेल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (पीवीआई)

lii. मैसर्स एवरमोर इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पीवीआई)

liii. मैसर्स फोरेस माइनिंग एंड कन्स्ट्रक्शन इंटरनेशनल एलएलपी (सीबीएस)

liv. मैसर्स जनरल रबर्स (मिदास) (सीबीएस)

lv. मैसर्स हारटेक्स रबड़ प्राइवेट लिमिटैड (सीबीएस)

lvi. मैसर्स केडी इम्पैक्स (सीबीएस)

lvii. मैसर्स कोहिनूर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीबीएस)

lviii. मैसर्स महाजन टायर कंपनी (सीबीएस)

lix. मैसर्स मैट्रो टायर्स लिमिटेड (सीबीएस)

lx. मैसर्स प्रीमियर कन्वेयर्स प्राइवेट लिमिटैड (सीबीएस)

lxi. मैसर्स रालसर (इंडिया) लिमिटेड (सीबीएस)

lxii. मैसर्स ऋषिरूप लिमिटेड (सीबीएस)

lxiii. मैसर्स स्पीडवेज टायर लिमिटेड (सीबीएस)

lxiv. मैसर्स शुभ केमिकल्स (सीबीएस)

lxv. मैसर्स वागमी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (सीबीएस)

lxvi. मैसर्स विनको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सीबीएस)

lxvii. मैसर्स वेनमान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीबीएस)

lxviii. मैसर्स ग्लोबस रबकेम प्राइवेट लिमिटेड (सीबीएस)

ञ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों या प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया और आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर/कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किए और/या हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत हुए:

i. मैसर्स सिएट लिमिटेड

ii. मैसर्स जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

iii. मैसर्स एमआरएफ लिमिटेड

iv. मैसर्स अपोलो टायर्स लिमिटेड

ट. ऑटोमोटिव टायर मैन्युपैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए), जिसे आगे प्रयोक्ता ऐसोसिएशन भी कहा गया है और रूसी परिसंघ द्वारा किए गए अनुरोधों पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में विधिवत् रूप से विचार किया गया है।

ठ. प्राधिकारी ने एक सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को उपलब्ध रखा और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु खुला रखा। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की गई थी कि वे सभी अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं होगी।

ड. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्तूबर, 2019 से 30 सितंबर, 2020 (12 महीने) है। क्षति जांच अवधि में 2017-18, 2018-19, 2019-2020 और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल है।

ढ. प्राधिकारी ने वाणिज्यक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और प्रणाली तथा आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएस) से जांच अवधि सहित क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के सौदा-वार आयात आंकड़े प्राप्त किए और सौदों की आवश्यक जांच के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया।

ण. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" भी कहा गया है) को सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध –III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखते हुए, भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बेचने के लिए तर्कसंगत लाभ के आधार पर निर्धारित की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

त. आवेदक और प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना की प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक तालिका अध्ययन के माध्यम से जांच की गई थी। केवल जहां लागू हो, आवश्यक सुधार के साथ ऐसी सूचना पर भरोसा किया गया है।

थ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्ये हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश देने का निदेश दिया गया है।

द. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकार को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान अंतिम जांच दर्ज किया है।

ध. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 2 सितंबर, 2021 को वीडिया कान्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, मौखिक रूप से प्रस्तुत विचारों को लिखित रूप में और उनके खंडन, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने अगोपनीय अनुरोध साझा किए और उनके खंडन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

न. नियमावली के नियम 16 के अनुसार जांच के अनिवार्य तथ्यों का दिनांक 18 मार्च, 2022 के प्रकटन विवरण द्वारा ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों को प्राधिकारी द्वारा संगत पाए जाने पर इन अंतिम जांच परिणामों में शामिल किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात के अधिकांश अनुरोध उनके पूर्ववर्ती अनुरोधों का दोहराव मात्र हैं। तथापि, संगत समझी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की इस अंतिम जांच परिणाम में जांच की गई है।

प. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उनके संगत होने की सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में, प्राधिकारी द्वारा ध्यान दिया गया है।

फ. इस अंतिम जांच परिणाम में *** चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना दर्शाता है।

ब. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर =74.38 रुपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

4. जांच शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "कतिपय रबड़ रसायन अर्थात: टीडीक्यू, पीवीआई और सीबीएस" हैं। इन्हें निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

क. '2,2,4- ट्राईमिथाइल-1, 2-डिहाइड्रोक्विनोलाइन' या 'टीडीक्यू' एसिटोन और एनिलीन से उत्पादित एक रबड़ एंटीऑक्सीडेंट है। इसे आसपास के तथा बढ़े हुए तापमानों में ऑक्सीडेटिव एजिंग के विरुद्ध रबड़ वल्केनिजेट्स को दीर्घावधिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाना है। यह स्थिर तथा गतिशील स्थितियों में ओजोन द्वारा हुए डिग्रेडेशन के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है।

ख. 'एन-(साइक्लोहेक्साइलथियो) थेलीमाइड', या 'पीवीआई', बुटानोल, पोटेशियम हाइड्रोआम्क्साइड, साइक्लोहेक्साइल मेरकैप्टन/डाइक्लोरो डिसल्फाइड, अमोनिया, क्लोरीन और थैलिक एनहाइड्राइड से उत्पादित एक रबड़ पूर्व, वल्केनाइजेशन इनहिबिटर है। इसक प्रयोग रबड़, रिइन्फोर्सिंग फिलर की लोडिंग के प्रकार, एक्सलरेटर प्रकार और मात्रा के चयन, यौगिक विनिर्मितियों में प्रयुक्त सल्फर दोसमज आदि के आधार पर वांछित स्कोर्च डिले के उत्पादन में होता है।

ग. 'एन-साइक्लों हक्साइल-2-बेनजोथियाजोलेसल्फेनामाइड', या 'सीबीएस', सोडियन मरकैप्टो बेंजो थियाजोन, साइक्लोहैक्सिलेमाइन, और हाड्रोजन पैरोऑक्साइड से उत्पादित एक रबड़ एक्सलरेटर है। इसका प्रयोग रबड़ कंपाउंड प्रसंसकरण प्रचालनों के दौरान स्कार्च सुरक्षा के लिए होता है और यह प्रसंस्कृत रबड़ स्टॉक की स्टोरेज लाइफ में सुधार करता है।

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

ख. उपभोक्ता घरेलू उद्योग द्वारा और संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा विनिर्मित उत्पाद का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किए थे।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. *वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "कतिपय रबड़ रसायन अर्थात: रबड़ रसायन टीडीक्यू, रबड़ रसायन पीवीआई, और रबड़ रसायन सीबीएस" हैं। इन्हें निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:*

क. '2,2,4- ट्राईमिथाइल-1, 2-डिहाइड्रोक्विनोलाइन' या 'टीडीक्यू' एसिटोन और एनिलीन से उत्पादित एक रबड़ एंटीऑक्सीडेंट है। इसे आसपास के तथा बढ़े हुए तापमानों में ऑक्सीडेटिव एजिंग के विरुद्ध रबड़ वल्केनिजेट्स को दीर्घावधिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाना है। यह स्थिर तथा गतिशील स्थितियों में ओजोन द्वारा हुए डिग्रेडेशन के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है।

ख. 'एन-(साइक्लोहेक्साइलथियो) थेलीमाइड', या 'पीवीआई', बुटानोल, पोटेशियम हाइड्रोआम्क्साइड, साइक्लोहेक्साइल मेरकैप्टन/डाइक्लोरो डिसल्फाइड, अमोनिया, क्लोरीन और थैलिक एनहाइड्राइड से उत्पादित एक रबड़ पूर्व, वल्केनाइजेशन इनहिबिटर है। इसक प्रयोग रबड़, रिइन्फोर्सिंग फिलर की लोडिंग के प्रकार, एक्सलरेटर प्रकार और मात्रा के चयन, यौगिक विनिर्मितियों में प्रयुक्त सल्फर दोसमज आदि के आधार पर वांछित स्कोर्च डिले के उत्पादन में होता है।

ग. 'एन-साइक्लाहक्साइल-2-बेनजोथियाजोलेसल्फेनामाइड', या 'सीबीएस', सोडियन मरकैप्टो बेंजो थियाजोन, साइक्लोहैक्सिलेमाइन, और हाड्रोजन पैरोऑक्साइड से उत्पादित एक रबड़ एक्सलरेटर है। इसका प्रयोग रबड़ कंपाउंड प्रसंसरण प्रचालनों के दौरान स्कार्च सुरक्षा के लिए होता है और यह प्रसंस्कृत रबड़ स्टॉक की स्टोरेज लाइफ में सुधार करता है।

8. यद्यपि टीडीक्यू के लिए समर्पित आईटीसी एचएस वर्गीकरण है परंतु पीवीआई और सीबीएस के लिए कोई आईटीसी एचएस वर्गीकरण नहीं है। विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 38 के अंतर्गत टैरिफ सीमा शुल्क वर्गीकरण 3812 में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, पहली अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के आयात भी हुए हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

9. प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबंधित संबद्ध देश (देशों) से आयातित प्रत्येक उत्पाद के समान वस्तु हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबंधित संबद्ध देश (देशों) से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है और कर रहे हैं। अत: प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद एडी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबंधित संबद्ध देशों से आयातित प्रत्येक संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु है।

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति</u>

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

10. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. आवेदक, अर्थात् एनओसीआईएल लिमिटेड टीडीक्यू की समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा रखता है और पीवीआई और सीबीएस की समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा रखता है।

ख आवेदक संबंधित संबद्ध देश (देशों) में टीडीक्यू, पीवीआई और सीबीएस के किसी निर्यातक से या भारत में किसी संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

11. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. मैसर्स लैनक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो टीडीक्यू का एक अन्य उत्पादक है, को घरेलू उद्योग के भीतर माना जाना चाहिए क्योंकि लैनक्सेस इंडिया के संगत उत्पादन और बिक्री आंकड़ों को बाहर रखने से क्षति से संबंधित आंकड़े बेकार हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान जांच में वस्तुनिष्ठता की कमी आएगी।

घ.3 प्राधकारी द्वारा जांच

12. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

13. यह आवेदन मैसर्स एनओसीआईएल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकॉर्ड में सूचना के अनुसार आवेदक के पास टीडीक्यू की समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का ***प्रतिशत हिस्सा और पीवीआई तथा सीबीएस की समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में टीडीक्यू का एक अन्य विनिर्माता अर्थात मैसर्स लैंसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि न तो वह संबंधित संबद्ध देश (देशों) में विचाराधीन उत्पाद के किसी

निर्यातक या उत्पादक से संबंधित हैं और न ही भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित हैं।

14. मैसर्स लैंसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उत्पादन और बिक्री आंकड़ों पर विचार करने के तर्क के संबंध में यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति इस कंपनी को भेजी थी। तथापि, मैसर्स लैंसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जांच के दौरान कोई सूचना नहीं दी थी।

15. प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और यह भी मानते हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

16. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. रसियन फैडरेशन घरेलू उद्योग को अपने अनुरोध के अगोपनीय अंश नहीं परिचालित कर सका है और इसलिए उनके अनुरोध को नहीं देखना चाहिए।

ख. पीवीआई और सीबीएस के प्रतिवादी उत्पादक, चीन जन.गण. से उनका संबंधित निर्यातक और प्रतिवादी प्रयोक्ता सार्थक अगोपनीय सारांश देने में विफल रहा है और उसने नियमावली तथा जारी की गई संगत व्यापार सूचना के उल्लंघन में अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है।

ग. वर्तमान जांच में प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर व्यापार सूचना का उल्लंघन करता है, अत्यधिक सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, प्राधिकारी को गुमराह करने के इरादे से सूचना नहीं दी गई है और उत्तर अधूरे हैं।

घ. याचिका का एनसीवी नियम 7, व्यापार सूचना सं. 1/2013 और व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुपालन में है।

ड. प्रभाव विश्लेषण में व्यापार स्वामित्व की सूचना है जिसका सारांश संभव नहीं है।

ड.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

17. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. आवेदक ने आंकड़ों में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और वह प्रतिवादियों के साथ तिमाही-वार आंकड़े साझा करने में विफल रहा है। ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करना प्रतिवादी के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। ऑटोमोटिव टॉयर मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2011) 2 एससीसी 258 का संदर्भ दिया गया है।

ख. आवेदक व्यापार सूचना 10/2018 के उचित कॉलम में मापदंडों के विश्लेषण में विफल रहा है, वह व्यापार सूचना 10/2018 का उल्लंघन करते हुए विनिर्दिष्ट मापदंडों के वास्तविक आंकड़े देने में भी विफल रहा है।

ग. सामान्य मूल्य से संबंधित गणनाओं के अनिवार्य आंकड़े बताए नहीं गए थे जिस कारणवश हितबद्ध पक्षकार बचाव अपने अधिकार से वंचित हो गए हैं।

घ. निर्यातकों ने केवल व्यापार स्वामित्व की सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है। उनके उत्तर संगत विनियमों के उल्लंघन में नहीं हैं।

ड. एटीएमए के सदस्यों द्वारा दायर प्रश्नावली का उत्तर कानून तथा संगत व्यापार सूचना के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करता है। आयातकों ने वह सूचना पहले ही दे दी है, जिसे न देने का आरोप घरेलू उद्योग ने लगाया है। घरेलू उद्योग के तर्क निराधार हैं। घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि कानूनी अपेक्षा का संदर्भ दिए बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। घरेलू

उद्योग को समानता और न्याय के हित में अपेक्षित सूचना शामिल करने के बाद याचिका पुन: दायर करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

च. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रभाव विश्लेषण पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें एडी नियमावली के नियम 7 के घोर उल्लंघन में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। एटीएमए यह समझने में विफल है कि एटीएमए के सदस्यों से संबंधित सूचना के गोपनीय होने का दावा कैसे किया जा सकता है। गोपनीयता का बताया गया कारण दुर्भावनापूर्ण है और यह एटीएमए द्वारा सार्थक रूप से उसके हितों के बचाव से उसे वंचित करने का प्रयास है। एटीएमए बनाम डीए मामले में उच्चत न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के प्राधिकारी के दायित्व का उल्लेख किया गया था।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. नियमावली के नियम 7 के तहत, सूचना की गोपनीयता के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

19. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की है और संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावों की अनुमति दी है। प्राधिकारी मानते हैं कि कोई सूचना जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय हो (उदाहरण के लिए, जिसके प्रकटन से किसी प्रतिस्पर्धी को भारी प्रतिस्पर्धी लाभ मिलता हो या जिसके प्रकटन से ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति जिससे सूचना ली गई है, पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो), या जिसे किसी जांच में पक्षकारों ने उचित कारण बताते हुए गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया हो, को प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना जाना चाहिए, ऐसी सूचना का प्रकटन उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

20. प्राधिकारी ने आवेदक और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उनसे संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल को अनुरोध करने पर सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध रखा था।

21. प्रभाव विश्लेषण के संबंध में घरेलू उद्योग की गोपनीयता के दावों के बारे में यह नोट किया गया है कि प्रभाव की गणना घरेलू उद्योग की गोपनीय सूचना पर आधारित थी और इसलिए उससे संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे के अनुमति दी है।

च. <u>विभिन्न अनुरोध</u>

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

22. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

क. आवेदक के व्यापार उपचार उपायों के निरंतर प्रयोक्ता होने के संबंध में जब भी शुल्क हटाया गया तो पाटन पुन: शुरु हो गया। निर्यातकों द्वारा आदतन पाटन को देखते हुए घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाव के लिए प्राधिकारी के पास जाने से नहीं रोका जा सकता है।

ख. पाटनरोधी शुल्क अनुचित व्यापार उपाय से बचाव के लिए है और घरेलू उद्योग के संरक्षण हेतु नहीं है। इसलिए, जब तक पाटन और परिणामी क्षति मौजूद है, तब तक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना न्यायोचित है।

ग. क्षति का अभाव या पहले दायर आवेदनों का अस्वीकृत होना पाटन की गैर-मौजूदगी को मानने का पर्याप्त आधार नहीं है। वर्तमान जांच एक नई जांच है जिसमें घरेलू उद्योग पहले से सिद्ध हुआ है और जांच की शुरुआत से पहले प्राधिकारी ने उसकी जांच की है।

घ. रबड़ कैमिकल पीएक्स-13 में अनंतिम शुल्क नहीं लगना वर्तमान जांच के लिए अप्रासंगिक है।

ड. नियम 5 के अपेक्षाओं को पूरा किया गया है इसके बाद प्राधिकारी ने जांच शुरु की है। इसके अलावा, नियम 5 और 6 में यह अपेक्षित नहीं है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास जांच शुरुआत के समय पूरी सूचना हो।

च. लॉकडाउन के कारण उत्पादों की आपूर्ति में घरेलू उद्योग की विफलता निर्यातकों के लिए पाटन का कारण नहीं हो सकता है। संबद्ध देशों पर अपाटित कीमतों पर भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

छ. रूस और ईयू में निर्यातकों के असहयोग और चीन जन.गण. के अधूरे उत्तर का अर्थ निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु के पाटन को स्वीकार करना है।

ज. प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक मौखिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं और इसलिए घरेलू उद्योग अपने हितों की रक्षा करने के अधिकार से वंचित हो गया है और घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

क. आवेदक 2004 से संबद्ध वस्तु के घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए व्यापार उपचार उपायों का आदतन प्रयोक्ता है। वर्तमान आवेदन पाटन या वास्तविक क्षति पर आधारित नहीं है बल्कि शुल्क लगवाने के लिए माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास बार-बार जाने की आवेदक की आदत का परिणाम है।

ख. संबद्ध वस्तु के अलावा सकारात्मक सिफारिश के बावजूद रबड़ केमिकल पीएक्स-13 पर अनंतिम शुल्क नहीं लगाया गया था।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. घरेलू उद्योग के व्यापार उपचारों के आदतन प्रयोक्ता होने के संबंध में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कितनी बार पाटनरोधी शुल्क लगाया जा सकता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश केवल तभी की जाती है जब अपेक्षित कानूनी प्रावधान पूरे होते हों।

25. पीएक्स-13 पर शुल्क के संबंध में, पीएक्स-13 पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाए जाने का वर्तमान जांच से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद अलग-अलग हैं।

छ. <u>बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

26 सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटिन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन जन.गण. से पीवीआई के उत्पादक और उसके संबंधित निर्यातक द्वारा प्रस्तुत उत्तर बिल्कुल अधूरे हैं और उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए। निर्यातक ने अपनी मूल कंपनी मैसर्स शानडोंग यांगुहुआताई केमिकल कंपनी लिमिटेड, जो भारत को निर्यात कर रहा था, की सूचना को छिपाया है और प्राधिकारी को जानबूझकर गुमराह किया है।

ख. प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक को अलग-अलग मार्जिन नहीं देना चाहिए और गलत घोषणा के परिणामों पर विचार किया जाना चाहिए। चीन जन.गण. से सेक्रिन के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में जारी अंतिम जांच परिणाम का संदर्भ दिया गया है जिसमें उत्तर अस्वीकृत हो गए थे क्योंकि मूल कंपनी ने उत्तर नहीं दिया था और बाद में देरी से उत्तर दिया था।

ग. घरेलू उद्योग ने मूल कंपनी अर्थात मैसर्स शानडोंग यांगुहुआताई केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा जांच अवधि के दौरान किए गए पीवीआई के निर्यातों का साक्ष्य दिया है।

घ. चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और रूस से टीडीक्यू के निर्यातक या यूरोपीय संघ से सीबीएस के निर्यातकों को नियम 6(8) के अनुसार असहयोगी माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और प्राधिकारी को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

ड. चूंकि बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का कोई दावा नहीं था, इसलिए चीन जन.गण. से निर्यातों के लिए पाटन मार्जिन चीन जन.गण. के सामान्य मूल्य पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि यूरोपीय संघ को घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत खपत कीमत के रूप में समायोजनों सहित है।

च. चूंकि यूरोपीय संघ और रूस से किसी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है, इसलिए यह अनुरोध है कि यूरोपीय संघ और रूस को एनओसीआईएल की निर्यात कीमत पर इन देशों की खपत कीमत के रूप में विचार किया जाए। इसके अतिरिक्त, असहयोग को देखते हुए, प्रतिकूल अर्थ लिया जाना चाहिए और उच्चतम शुल्क लगाया जाना चाहिए।

छ. जांच अवधि के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

27. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटिन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. मूल कंपनी मैसर्स शानडोंग यांगुहुआताई केमिकल कंपनी लिमिटेड अपनी संबद्ध कंपनी के पीवीआई के उत्पादन का अंतरण कर रही है।

ख. मूल कंपनी द्वारा किए गए निर्यात के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य निर्णायक नहीं हैं।

ग. संबद्ध कंपनियां विज्ञापन तथा प्रचार में सुविधा के लिए मूल कंपनी के नाम का प्रयोग करती हैं। इसके अलावा, हुआताई विभिन्न व्यापार के लिए अधिकाधिक संबद्ध कंपनियां स्थापित करती हैं।

घ. प्रस्तुत अनुबंध क का दूसरा पृष्ठ तीसरे पक्षकार का दस्तावेज है जिसका कोई कानूनी अधिप्रमाणन नहीं है और इसलिए उस पर विचार नहीं किया जाए। यह दस्तावेज भारत को भेजी गई पोत-लदानों की संख्या और भार का दस्तावेज प्रतीत होता है। तथापि, इस दस्तावेज में उत्पाद का नाम या कोई अन्य ब्यौरा नहीं दिया गया है। संलग्न अनुबंध 2 के दूसरे पृष्ठ में

उल्लिखित सूचना 2013 से 2021 तक लगभग 9 वर्षों की अवधि को कवर करती है जो पीओआई से भिन्न है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

"i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः क. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा ख. उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत; बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

29. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं जिनमें उनसे प्राधिकारी को विहित ढंग और प्रपत्र में सूचना देने की सलाह दी गई थी। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने विहित प्रश्नावली का उत्तर देकर इस जांच में भागीदारी की है:

क. मैसर्स शानडोंग डेरेक न्यू मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड (चीन जन.गण. से पीवीआई और सीबीएस का उत्पादक)

ख. मैसर्स शानडोंग यांगगुहुआताई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड (चीन जन.गण. से पीवीआई और सीबीएस का निर्यातक)

30. संबंधित संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

छ.4 सामान्य मूल्य का निर्धारण

<u>चीन जन.गण. से टीडीक्यू, पीवीआई और सीबीएस का सामान्य मूल्य</u>

<u>चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा</u>

31. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

"(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

32. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है। यह नोट किया गया है कि चूंकि चीन जन.गण. से प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक में से किसी ने भी पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है, इसलिए सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

33. तद्नुसार चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जो निम्नलिखित रुप में पठित है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था समझे गए देश के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन एडी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार करना अपेक्षित है। वर्तमान मामले में प्रतिवादी निर्यातकों ने एमईटी प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है और इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि एडी नियमावली के अनुबंध-I पैरा 7 के अधीन विकल्पों की जांच की जानी चाहिए।

35. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण का क्रम निर्धारित है और यह व्यवस्था है कि सामान्य मूल्य किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत या जहां ऐसा संभव न हो, वहां समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी तर्कसंगत आधार पर निर्धारित किया जाएगा, इसमें यदि आवश्यक हो तो तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल होगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को अनुबंध-I के पैरा 7 में प्रदत्त विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना अपेक्षित है।

36. घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. के लिए "प्रतिनिधि देश" के रूप में यूरोपीय संघ का प्रस्ताव किया है और तीनों विचाराधीन उत्पादों अर्थात टीडीक्यू, पीवीआई और सीबीएस के लिए खपत कीमत में समायोजनों सहित ईयू को घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत पर विचार करने का प्रस्ताव किया है। घरेलू उद्योग सभी तीन विचाराधीन उत्पादों के लिए यूरोप को उचित प्रतिनिधि देश मानता है क्योंकि वह विचाराधीन उत्पादों का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है तथा यूरोप में उत्पादित विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. में उत्पादित वस्तु के समान वस्तु है।

37. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के विश्लेषण के बाद चीन जन.गण. के सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु प्रतिनिधि देश के रूप में यूरोपीय संघ पर विचार करना अनुचित पाया गया था क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा यूरोपीय संघ और चीन जन.गण. के विकास के स्तर में समानता के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा, यूरोपीय संघ को एनओसीआईएल द्वारा निर्यातों की मात्रा भारत में चीन जन.गण. से आयातों की तुलना में काफी कम थी। अत:, अन्य देशों को पीयूसी के निर्यात संबंधी पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी पैरा 7 के विकल्प 2 के अनुक्रम को नहीं अपना सकते हैं।

38. अत: उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने सभी तीनों विचाराधीन उत्पादों अर्थात टीडीक्यू, पीवीआई और सीबीएस के लिए चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को विधिवत् रूप से समायोजित करके और उसने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन जोड़ने के बाद सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

रूस में टीडीक्यू का सामान्य मूल्य

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस से किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। रूस में सभी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि टीडीक्यू का एक समर्पित एचएस वर्गीकरण है, इसलिए सामान्य मूल्य ट्रेडमैप डाटा के आधार पर रूस ने टीडीक्यू की आयात कीमत के अनुसार निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

यूरोपीय संघ में टीडीक्यू का सामान्य मूल्य

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ से किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। यूरोपीय संघ में सभी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि टीडीक्यू का एक समर्पित एचएस वर्गीकरण है, इसलिए सामान्य मूल्य ट्रेडमैप डाटा के आधार पर यूरोपीय संघ ने टीडीक्यू की आयात कीमत के अनुसार निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

यूरोपीय यूनियन में सीबीएस का सामान्य मूल्य

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ से किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। यूरोपीय संघ में सभी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। घरेलू उद्योग ने यूरोपीय संघ को सीबीएस की अपनी निर्यात कीमत के रूप में सामान्य मूल्य का दावा किया है चूंकि यूरोपीय संघ को घरेलू उद्योग के निर्यातों की मात्रा बहुत कम है, इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत को सामान्य मूल्य के रूप में मानने के घरेलू उद्योग के दावे को अस्वीकृत कर दिया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत् रूप से समायोजित करके, उसके आधार पर ईयू में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ.5. निर्यात कीमत

मैसर्स शानडोंग डेरेक न्यू मैटिरियल्य कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) और मैसर्स शानडोंग यांगगुहुआताई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) द्वारा प्रस्तुत उत्तर की जांच

42. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थी और उन्हें विहित प्रपत्र और ढंग से सूचना देने की सलाह दी थी। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने भाग लिया था:

क. मै. शानडोंग डेरेक न्यू मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)

ख. मै. शानडोंग यांगगुहुआताई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)

43. मै. शानडोंग डेरेक न्यू मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड, चीन ('डेरेक') ने उत्पादक के रूप में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है और उसकी संबद्ध कंपनी मै शानडोंग यांगगुहुआताई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, चीन ('यांगु') ने संबद्ध वस्तु के निर्यातक के रूप में अलग उत्तर प्रस्तुत किया है। दोनों कंपनियां मैसर्स शानडोंग यांगगुहुआताई कैमिकल कंपनी लिमिटेड ("हुआताई") के पूर्ण स्वामित्व में है।

44. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 06.10.2021 के पत्र द्वारा दावा किया है कि प्रतिवादी निर्यातक/उत्पादक ने जानबूझकर अपनी मूल कंपनी अर्थात हुआताई द्वारा किए गए पीवीआई के निर्यातों का प्रकटन नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक ने तथ्यों को गलत ढंग से पेश किया है और प्राधिकारी तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को यह बताते हुए गुमराह करने का प्रयास किया है कि उनकी मूल कंपनी ने जांच अवधि के

दौरान भारत को पीवीआई का निर्यात नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने सौदा-वार आंकड़ों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है जिसमें मूल कंपनी अर्थात हुआताई द्वारा भारत को निर्यात दर्शाने वाले अनेक सौदे दर्शाए गए हैं। प्राधिकारी को उत्तर में संबंधित उत्पादक और निर्यातक ने दिनांक 8.10.2021 के पत्र द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन का समय मांगा था। तथापि, प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्राधिकारी को अब तक ऐसा कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

45. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के दावे और चीन जन.गण. से प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों तथा मूल कंपनी द्वारा भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यातों के संबंध में सही सूचना प्रस्तुत नहीं करने के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दे पर कोई उत्तर नहीं देने को नोट किया है। यह भी नोट किया गया है कि संबंधित पक्षकारों न प्रश्नावली के अपने उत्तर में बताया है कि उनकी मूल कंपनी हुआताई ने यह कहते हुए प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है कि उसने भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है।

46. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए इस मामले की जांच की गई। प्राधिकारी ने डेरेक द्वारा प्रस्तुत उत्तर की जांच की है और नोट किया कि उक्त निर्यातक ने अपने उत्तर में यह घोषणा की है कि मूल कंपनी हुआताई द्वारा उत्पादित उत्पादक को केवल घरेलू रूप से बेचा और अन्य देशों को निर्यातित किया गया है और भारत को इसका निर्यात नहीं हुआ है, जिसे वस्तुत: गलत पाया गया था। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से सौदा-वार आंकड़ों तथा सहयोगी आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विशेष रूप से उनके उत्तर में उनके द्वारा घोषित संबंधित वस्तु के आयातों के बारे में सौदा-वार आंकड़ों का विश्लेषण किया है। यह नोट किया गया था कि संबद्ध वस्तु के एक प्रयोक्ता ने अनुबंध 5ख में हुआताई से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में सौदा-वार आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिनमें जांच अवधि में संबद्ध वस्तु (पीवीआई और सीबीएस) के भारी आयात दर्शाए गए हैं। इस प्रकार, यह पाया गया कि मूल कंपनी हुआताई ने वास्तव में जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु के काफी मात्रा में निर्यात किए हैं।

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित पक्षकार अपनी मूल कंपनी अर्थात हुआताई द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में सूचना देने में विफल रहा है जिससे प्राधिकारी प्रश्नावली के उत्तर की पर्याप्त रूप से जांच नहीं कर सके हैं। अत: प्राधिकारी मानते हैं कि ऐसी स्थिति में उक्त संबद्ध वस्तु (पीवीआई और सीबीएस) के लिए अलग पाटन मार्जिन का दावा स्वीकार करना उचित नहीं होगा।

48. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने प्रतिवादी उत्पादक और उसके संबंधित निर्यातक को असहयोगी माना है।

<u>टीडीक्यू:</u>

यूरोपीय संघ से सभी उत्पादक/ निर्यातक

49. चूंकि यूरोपीय संघ से टीडीक्यू के किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है, इसलिए यूरोपीय संघ से सभी निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस में यथा-सूचित आयातों पर विचार किया है। यथा-निर्धारित कारखानाद्वार निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

रूस से सभी उत्पादक/निर्यातक

50. चूंकि रूस से टीडीक्यू के किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है, इसलिए रूस से सभी निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस में यथा-सूचित आयातों पर विचार किया है। यथा-निर्धारित कारखानाद्वार निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

चीन जन.गण से सभी उत्पादक/निर्यातक

51. चूंकि चीन जन.गण. से टीडीक्यू के किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है, इसलिए चीन जन.गण से सभी निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस में यथा-सूचित आयातों पर विचार किया है। यथा-निर्धारित कारखानाद्वार निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

<u>पीवीआई</u>

चीन जन.गण. से सभी उत्पादक/निर्यातक

52. चूंकि चीन जन.गण. से पीवीआई का कोई अन्य प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक नहीं है, इसलिए चीन जन.गण. से सभी निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस में यथा-सूचित आयातों पर विचार किया है। यथा-निर्धारित कारखानाद्वार निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

<u>सीबीएस:</u>

चीन जन.गण. :

चीन जन.गण. से सभी उत्पादक/निर्यातक

53. चूंकि चीन जन.गण. से सीबीएस का कोई अन्य प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक नहीं है, इसलिए चीन जन.गण. से सभी निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस में यथा-सूचित आयातों पर विचार किया है। यथा-निर्धारित कारखानाद्वार निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

यूरोपियन संघ से सभी उत्पादक/निर्यातक

54. चूंकि यूरोपीय संघ से सीबीएस के किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है, इसलिए यूरोपीय संघ से सभी निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस में यथा-सूचित आयातों पर विचार किया है। यथा-निर्धारित कारखानाद्वार निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

छ.6 पाटन मार्जिन का निर्धारण

55. यथोक्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबंधित संबद्ध देशों से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन नीचे निर्धारित किया गया है। यह नोट किया गया है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

टीडीक्यू

देश	उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य (यूएसडॉलर/ मी.टन	निवल निर्यात कीमत (यूएसडॉलर/ मी.टन	पाटन मार्जिन (यूएसडॉलर/ मी.टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
यूरोपीय संघ	सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	110-120

देश	उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य (यूएसडॉलर/ मी.टन	निवल निर्यात कीमत (यूएसडॉलर/ मी.टन	पाटन मार्जिन (यूएसडॉलर/ मी.टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
रूस	सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	30-40
चीन जन.गण.	सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	20-30

पीवीआई

देश	उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य (यूएसडॉलर/ मी.टन	निवल निर्यात कीमत (यूएसडॉलर/ मी.टन	पाटन मार्जिन (यूएसडॉलर/ मी.टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
चीन जन.गण	**सभी उत्पादक/निर्यातक**	***	***	***	***	40-50

सीबीएस

देश	उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य (यूएसडॉलर/ मी.टन	निवल निर्यात कीमत (यूएसडॉलर/ मी.टन	पाटन मार्जिन (यूएसडॉलर/ मी.टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
चीन जन.गण.	**सभी उत्पादक/निर्यातक**	***	***	***	***	20-30
यूरोपीय संघ	**सभी उत्पादक/निर्यातक**	***	***	***	***	0-10

ज. क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

56. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वित्त लागत, ब्याज और मूल्यह्रास लागत इतनी अधिक नहीं है कि वे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकें। पट्टा किराया में अनुपातिक से अधिक कमी हुई है और मूल्यह्रास में भी कुल लागत में गिरावट आई है।

ख. टीडीक्यू के संबद्ध आयात जांच अवधि में भारत में टीडीक्यू के कुल आयातों का 96 प्रतिशत हैं। संबद्ध आयातों में खपत और उत्पादन की दृष्टि से वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग तथा बाजार हिस्से में गिरावट आई है। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती और कमी कर रहे हैं। घरेलू उद्योग की मालसूची में जांच अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। लाभ, पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में पीओआई में भारी गिरावट आई है।

ग. पीवीआई के संबद्ध आयात जांच अवधि में भारत में पीवीआई के कुल आयातों का 100 प्रतिशत हैं। संबद्ध आयातों में खपत और उत्पादन की दृष्टि से वृद्धि हुई है। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती, न्यूनीकरण और ह्रास कर रहे हैं। घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में क्षति अवधि और जांच अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की मालसूची में जांच अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। लाभ, पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में पीओआई में भारी गिरावट आई है।

घ. सीबीएस के संबद्ध आयात जांच अवधि में भारत में सीबीएस के कुल आयातों का 89 प्रतिशत हैं। संबद्ध आयातों में खपत और उत्पादन की दृष्टि से वृद्धि हुई है। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती, न्यूनीकरण और ह्रास कर रहे हैं। घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की मालसूची में जांच अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। लाभ, पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में पीओआई में भारी गिरावट आई है।

ड. घरेलू उद्योग को क्षति संबंधित संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है।

च. घरेलू उद्योग को अप्रैल-जून, 2020, जब कोविड-19 के कारण उसका उत्पादन बंद था, की अवधि को क्षति जांच से बाहर रखने पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे अपवर्जन पर भी घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट देखी जा सकती है। क्षति के विश्लेषण के लिए तिमाही-वार विश्लेषण पर विचार किया जाए।

छ. क्षति के निर्धारण के समय कीमत कटौती एक कारक होता है। सभी आर्थिक मापदंड, घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाते हैं।

ज. 22 प्रतिशत आय की अनुमति देना निर्दिष्ट प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया है। टंगशान सनयू ग्रुप हांगकांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ [2017 (349) ई.एल.टी. 667 (ट्रि-डेल)] मामले का संदर्भ दिया गया है जिसमें यह नोट किया गया था कि चूंकि हितबद्ध पक्षकार इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दे सके कि 22 प्रतिशत की आय अतर्कसंगत है, इसलिए प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

झ. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करनी पड़ी हैं।

ञ. लाभप्रदता में गिरावट दर्शाती है कि क्षति के लिए क्षमता में वृद्धि की बजाए पाटन जिम्मेदार है।

ट. यद्यपि वृद्धि मात्रा कार्य-निष्पादन का प्रभाव हो सकती है, तथापि कोविड-19 और ऑटो क्षेत्र में मंदी के कारण पहले से कमजोर घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध आयातों के पाटन द्वारा और अधिक बढ़ गई थी।

ठ. विचाराधीन उत्पाद के आयात में मांग में गिरावट, ऑटो क्षेत्र में मंदी और कोविड-19 के बावजूद वृद्धि हुई है।

ड. कच्चे तेल और बेंजीन की कीमत में गिरावट लागत से कम पहुंच कीमत को उचित नहीं ठहराती है।

ढ. एनओसीआईएल द्वारा वहन की गई ब्याज और मूल्यह्रास लागत काफी अधिक है और घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती है।

ण. घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

त. यूरोपीय संघ से टीडीक्यू की आयात कीमत में गिरावट इस हद तक है कि वे चीन की कीमतों से भी कम हैं। इसके अलावा, यूरोपीय संघ से सीबीएस के आयातों में कीमतों यही गिरावट देखी जा सकती है। यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग की कीमतों में एनआईपी से कम स्तर तक कटौती कर रही हैं और ये पाटित और क्षतिकारी कीमत है।

थ. क्षमता उपयोग में गिरावट के लिए पाटन जिम्मेदार है, जिसमें घरेलू उद्योग आयातों की कीमतों की बराबरी करने में असमर्थ और उसे उत्पादन में कटौती करनी पड़ी है। इसके अलावा, कीमत कटौती और कीमत पर बिक्री के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग एकत्रित मालसूची का निपटान करने में असमर्थ है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

57. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आयातों की मात्रा के साथ पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री की तुलना एक वस्तुनिष्ठ सटीक तुलना नहीं है क्योंकि संबद्ध देश (देशों) लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के कारण घरेलू बाजार में विनिर्माण और आपूर्ति करने में सक्षम थे जबकि घरेलू उद्योग की विनिर्माण सुविधाएं कोविड-19 के कारण डेढ महीने तक बंद थीं।

ख. संबद्ध आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है। टीडीक्यू के आयात आधार वर्ष से तुलना करने पर पीओआई के दौरान समान स्तर पर रहे हैं, जबकि पीवीआई और सीबीएस आयातों में समान अवधि के दौरान गिरावट आई है।

ग. सकारात्मक कीमत कटौती कीमत क्षति का पर्याप्त संकेतक नहीं है क्योंकि एनएसआर एक स्वैच्छिक व्यापारी निर्णय है और उसका विश्लेषण लाभप्रदता और उत्पादन लागत जैसे अनेक अन्य कारकों के साथ किया जाना चाहिए जो घरेलू उद्योग के लिए सकारात्मक हैं।

घ. नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत की आय की धारणा पर आधारित एनआईपी काफी अधिक है जो रबड़ रसायन उद्योग द्वारा 13-19 प्रतिशत की ऐतिहासिक आय द्वारा समर्थित नहीं है।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई बिक्री लागत और घरेलू बिक्री कीमत उसके कार्य-निष्पादन मापदंडों में अनेक गड़बड़ियों के कारण सही नहीं है। इस प्रकार, कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के दावे का विश्लेषण ऐसी गड़बड़ियों का प्रभाव ज्ञात करने के बाद किया जाना चाहिए।

च. मांग में अनुकूल वृद्धि के बिना घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार और वृद्धि के कारण अप्रयुक्त और बेकार क्षमताओं का निर्माण हुआ। 2019-20 और पीओआई में मांग तथा घरेलू बिक्री में गिरावट ऑटो क्षेत्र में मंदी और कोविड-19 के कारण हुई थी।

छ. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की जांच महामारी के आलोक में की जाए, इसमें से उस अवधि को बाहर रखा जाए जब इसके संयंत्र चालू नहीं थे।

ज. पीडीक्यू के बारे में यद्यपि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई परंतु अन्य भारतीय उत्पादकों के हिस्से में वृद्धि हुई। पीवीआई के संबंध में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मांग में गिरावट के बावजूद पूर्ववर्ती वर्ष से जांच अवधि में वृद्धि हुई है। सीबीएस के संबंध में, मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मामूली गिरावट के बावजूद उसकी निर्यात बिक्री में भारी वृद्धि हुई है।

झ. इस अनुरोध के बावजूद क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लिए ब्याज और वित्त लागत में निरंतर वृद्धि हुई कि घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त नगद राशि है और वह कर्ज मुक्त है। ऐसी असंगतता की प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए।

ञ. पीवीआई और सीबीएस के लिए टीडीक्यू और सीबीएस हेतु किए गए क्षमता विस्तार के कारण मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, ऐसे विस्तार की लागत को कथित

पाटित आयातों से वास्तविक क्षति के रूप में आबंटित नहीं किया जाना चाहिए। इन कारकों से वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग, उत्पादन लागत और लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है।

ट. निर्यात बिक्रियों से घाटे किसी पाटनरोधी जांच में क्षति विश्लेषण का भाग नहीं हो सकते हैं और उसे मापदंडों से अलग रखना चाहिए।

ठ. जैसा कि घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख है, घरेलू बिक्री कीमतें विश्व भर में कच्चे तेल और बेंजीन की कीमतों में गिरावट के कारण अत्यधिक प्रभावित हुई हैं जिससे संबद्ध वस्तु की कच्ची सामग्री की लागत कम हो गई तथा जिसकी वजह से अंतिम वस्तु की विनिर्माण लागत और बिक्री कीमत कम हो गई।

ड. ब्याज लागत, मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय, क्षमता विस्तार, कच्ची सामग्री की कीमतों में स्थिरता, मांग में गिरावट, कच्ची सामग्री की आपूर्ति में व्यवधान और कोविड-19 के कारण उत्पादन में गिरावट जैसे अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

ढ. संबद्ध देशों से आयातों के मात्रात्मक प्रभाव की जांच भी भारत सरकार द्वारा लगाए गए कोविड संबंधी लॉकडाउन के कारण विकृत हो गई हैं।

ण. यूरोपीय संघ से आयातों का संचयी आकलन अन्य संबद्ध देशों के साथ उचित नहीं है क्योंकि यूरोपीय संघ से टीडीक्यू और सीबीएस की आयात मात्रा में क्षति अवधि में गिरावट आई है और संबद्ध वस्तु का बाजार हिस्सा पीओआई के दौरान कम हुआ है। आयातों में केवल 1.2 प्रतिशत की कुल वृद्धि के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसकी आयात मात्रा में पीओआई के दौरान 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

त. भारत को निर्यात कीमतें सापेक्ष रूप से स्थिर रही हैं और कीमत वृद्धि तथा आयातित मात्रा के बीच कोई स्पष्ट प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, सीबीएस के लिए यूरोपीय संघ की आयात कीमत चीन की कीमतों से 13 प्रतिशत अधिक हैं और संबद्ध देशों से आयातों की औसत कीमत से 10 प्रतिशत अधिक है।

थ. क्षमता उपयोग की दर में गिरावट कंपनी द्वारा कुशलता से कार्य न करने को दर्शाती है। इसके अलावा, घरेलू कीमतों में गिरावट, कम हुई बिक्री के कारण कम आय, लाभप्रदता और वृद्धि में ऋणात्मक रुझान रहा है।

द. यद्यपि संबद्ध वस्तु के लिए कर्मचारियों में वृद्धि हुई है। तथापि, टीडीक्यू के लिए उत्पादकता घटी है जबकि सीबीएस के लिए मौटे तौर पर स्थिर रही है।

ध. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की वित्त लागत को प्रमाणित, सही और पर्याप्त होना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। यदि ऐसी लागतें पर्याप्त हैं तो प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति होने के महत्व का निर्णय ले सकते हैं।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

58. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी द्वारा यहां किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

59. नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत की आय पर विचार करने के तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने एडी नियमावली के अनुबंध-III की प्रक्रिया के अनुसार एनआईपी निर्धारित की है।

60. कोविड अवधि के दौरान लॉकडाउन के समय विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति करने में घरेलू उद्योग की असमर्थता के तर्क के संबंध में यह नोट किया गया है कि कोविड-19 के कारण घरेलू उद्योग की सुविधाओं

के बंद रहने की अवधि केवल 50 दिन थी जिसमें निर्यातकों ने पूरी जांच अवधि के दौरान उत्पाद को निर्यात किया है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि यह कंपनी के लिए अप्रत्याशित घटना थी और इससे भारत में उत्पाद के पाटन को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

61. नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत की आय को मानने संबंधी तर्क के बारे में यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने संगत प्रक्रिया और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार एनआईपी निर्धारित की है। घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि संयंत्र का काफी मूल्य ह्रास हुआ था और मूल्यह्रास हुए संयंत्र पर 22 प्रतिशत आय बिल्कुल अपर्याप्त है।

62. कोविड-19 के कारण घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों में गिरावट के संबंध में महामारी केवल भारत तक सीमित नहीं थी और एक वैश्विक समस्या थी। कोविड महामारी पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का पर्याप्त औचित्य नहीं हो सकती है और न ही पाटन घरेलू उद्योग को क्षति का एकमात्र कारण होना जरूरी है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को महामारी शुरु होने से काफी पहले 2019-20 में कीमत पर भारी ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव का सामना करना पड़ा था, जिससे लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई थी। यह रूझान जांच अवधि में भी जारी रहा और कीमतों पर यह बहुत अधिक न्यूनकारी/ह्रासकारी प्रभाव बन गया तथा परिणामस्वरूप लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई। इस गिरावट के लिए वैश्विक महामारी जिम्मेदार नहीं हो सकती है। संबद्ध उत्पाद की आयात कीमत में लगभग 24-27 प्रतिशत की गिरावट आई है। आयात कीमत में यह गिरावट उत्पादन लागत में परिणामी गिरावट द्वारा समर्थित नहीं है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को बनाए रखने में असमर्थ था और उसे उत्पादन लागत में गिरावट से अधिक अपनी कीमतें घटाने को बाध्य होना पड़ा था। संबद्ध उत्पाद का भारी पाटन हुआ था जो जांच अवधि के दौरान काफी अधिक पाटन मार्जिन से स्पष्ट है।

63. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति उच्च ब्याज और मूल्यह्रास लागत के कारण हुई है। यह नोट किया जाता है कि ब्याज और मूल्यह्रास के कारण लागत प्रत्येक विचाराधीन उत्पाद की बिक्री लागत का 1 प्रतिशत से कम है। इस प्रकार यद्यपि ब्याज और मूल्यह्रास लागत इसकी लागत का अभिन्न और आवश्यक भाग है और घरेलू उद्योग का उपभोक्ताओं पर उसे डालने का वैध अधिकार है। तथापि, वर्तमान मामले में ये लागतें इतनी कम हैं कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग को क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती हैं।

64. इस तर्क के संबंध में कि बिक्री कीमतें कच्चे तेल और बेंजीन की कीमतों में गिरावट के कारण काफी प्रभावित हुई हैं। यह नोट किया गया है कि कच्चे तेल और बेंजीन की कीमतों में परिवर्तन से घरेलू उद्योग की लागत पर भी प्रभाव पड़ेगा। तथापि, यह नोट किया गया है कि आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में गिरावट से अधिक है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में गिरावट से अधिक है। अत: यह दलील नहीं दी जा सकती है कि आयात कीमत में गिरावट निविष्टियों की लागत में गिरावट का परिणाम थी। यह भी नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाते हुए कोई संख्यात्मक दावा नहीं किया है कि आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट निविष्टियों में गिरावट की लागत के अनुरूप थी।

65. घरेलू उद्योग के निर्यातों से क्षति होने के तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय जैसे मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण केवल घरेलू प्रचालनों के संबंध में किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के निर्यात घरेलू बाजार में उत्पाद को बेचने में उसकी असमर्थता का परिणाम है, और इसलिए निर्यातों में खराब निष्पादन को पाटित आयातों के कारण क्षति दर्शाने वाले मापदंड के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

ज.3.1 संचयी आकलन

66. नियमावली के अनुबंध-III पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक या एक से अधिक देश से उत्पाद का आयात एकसाथ पाटनरोधी जांच के अधीन हो तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेंगे, यदि यह निर्धारित होता हो कि:

i. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत रूप में व्यक्त 2 प्रतिशत से अधिक हो और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (या अधिक) हो या जहां अलग-अलग देशों के निर्यात 3 प्रतिशत से कम हों, परंतु आयात समग्र रूप से समान वस्तु के आयातों के 7 प्रतिशत से अधिक हों; और

ii. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उचित है।

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. वर्तमान जांच में टीडीक्यू और सीबीएस का एक से अधिक देश से भारत में पाटन किया जा रहा है। चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और रूस से टीडीक्यू के पाटन का मार्जिन और चीन जन.गण. तथा यूरोपीय संघ से सीबीएस के पाटन का मार्जिन नियमावली में विहित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ii. प्रत्येक संबंधित संबद्ध देश से टीडीक्यू और सीबीएस के आयात की मात्रा अलग-अलग रूप से आयातों की कुल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है।

iii. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उचित है क्योंकि अपने संबंधित संबद्ध देशों से टीडीक्यू और सीबीएस के निर्यात न केवल उनमें से प्रत्येक के द्वारा प्रस्तुत पीडीक्यू और सीबीएस की समान वस्तुओं से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की समान वस्तु से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग से खरीदने वाले उपभोक्ता संबद्ध देशों से आयात भी कर रहे हैं।

68. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर संबंधित संबद्ध देशों से टीडीक्यू और सीबीएस के पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उचित समझते हैं।

69. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

ज.3.2. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

70. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और स्रोतों से आयातों के योग के रूप में विचार किया है।

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
टीडीक्यू					
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*105*	*93*	*80*
अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*119*	*126*	*109*
संबद्ध देश	*मी.टन*	2,537	2,670	2,613	2,567
अन्य देश	*मी.टन*	12	37	79	98
कुल भारतीय मांग	*मी.टन*	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*110*	*106*	*94*
पीवीआई					
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*108*	*94*	*82*
अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री	मी.टन	-	-	-	-
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	-	-	-	-
संबद्ध देश – चीन जन.गण.	मी.टन	1,091	1,035	1,077	1,054
अन्य देश	मी.टन	0	-	4	-
कुल भारतीय मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*101*	*97*	*90*
सीबीएस					
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***

प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*102*	*109*	*96*
अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री	मी.टन	-	-	-	-
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	-	-	-	-
संबद्ध देश	मी.टन	2,554	2,977	3,142	2,882
अन्य देश	मी.टन	497	496	464	359
कुल भारतीय मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*109*	*114*	*102*

71. **टीडीक्यू:** यह नोट किया गया है कि टीडीक्यू की मांग में 2018-19 में वृद्धि हुई परंतु उसके बाद गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने बताया कि मांग में गिरावट ऑटो क्षेत्र में मंदी और कोविड-19 के कारण आई है।

72. **पीवीआई:** यह नोट किया गया है कि पीवीआई की मांग में 2018-19 में वृद्धि हुई परंतु उसके बाद गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने बताया कि मांग में गिरावट ऑटो क्षेत्र में मंदी और कोविड-19 के कारण आई है।

73. **सीबीएस:** यह नोट किया गया है कि सीबीएस की मांग में 2019-20 तक वृद्धि हुई है और जांच अवधि में गिरावट आई है। तथापि, सीबीएस की समग्र मांग में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देशों से आयात मात्राएं

74. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदा-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है, वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**जांच की अवधि**
टीडीक्यू					
संबद्ध देश	मी.टन	2,537	2,670	2,613	2,567
चीन जन.गण.	मी.टन	806	1,849	1,728	1,578
ईयू	मी.टन	619	148	341	573
रूस	मी.टन	1,111	673	545	416

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
टीडीक्यू					
अन्य देश	मी.टन	12	37	79	98
निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*86*	*88*	*102*
खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*96*	*97*	*107*
पीवीआई					
संबद्ध देश- चीन जन.गण	मी.टन	1,091	1,035	1,077	1,054
अन्य देश	मी.टन	0	0	4	0
निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*99*	*104*	*130*
खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*94*	*102*	*107*
सीबीएस					
संबद्ध देश	मी.टन	2,554	2,977	3,142	2,882
चीन जन.गण.	मी.टन	1,934	2,369	2,484	2,316
ईयू	मी.टन	620	608	658	566
अन्य देश	मी.टन	497	496	464	359

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
टीडीक्यू					
निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*106*	*104*	*112*
खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*107*	*108*	*110*

75. **टीडीक्यू:** यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से आयात की मात्रा 2019-20 तक बढ़ी है और उसके बाद जांच अवधि के दौरान कम हुई है। तथापि, संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बढ़े हैं। संबद्ध आयातों में पूर्ववर्ती तथा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान उत्पादन और खपत की दृष्टि से भी वृद्धि हुई है।

76. **पीवीआई:** यह नोट किया गया है कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में गिरावट आई है। तथापि, आयातों की मात्रा पूरी क्षति अवधि में स्थिर रही है। उत्पादन और खपत की दृष्टि से आयातों की मात्रा में पूर्ववर्ती वर्ष तथा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में वृद्धि हुई है।

77. **सीबीएस:** यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में 2019-20 तक वृद्धि हुई है और तत्पश्चात जांच अवधि में गिरावट आई है। तथापि, आयातों की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। उत्पादन और खपत की दृष्टि से आयातों की मात्रा में पूर्ववर्ती वर्ष तथा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में वृद्धि हुई है।

ज.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

78. कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या कथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत कटौती की गई है या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनाथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क. कीमत कटौती

79. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। तद्नुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कटौती प्रभाव निम्नानुसार हैं:-

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
टीडीक्यू					
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*106*	*85*	*78*
चीन जन.गण.					
पहुंच कीमत	₹/मी.टन	1,75,458	1,83,126	1,32,371	1,28,896
कीमत कटौती	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*129*	*225*	*152*
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
रेंज	%	0-10	0-10	10-20	10-20
ईयू					
पहुंच कीमत	₹/मी.टन	1,33,558	1,92,478	1,13,602	1,15,179
कीमत कटौती	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*10*	*84*	*58*
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
रेंज	%	30-40	0-10	30-40	20-30
रूस					
पहुंच कीमत	₹/मी.टन	1,37,998	1,70,476	1,40,502	1,29,816
कीमत कटौती	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*56*	*36*	*34*
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
रेंज	%	30-40	10-20	10-20	10-20
संबद्ध देश					
पहुंच कीमत	₹/मी.टन	1,48,822	1,80,453	1,31,619	1,25,984
कीमत कटौती	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*46*	*70*	*53*

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
रेंज	%	20-30	0-10	20-30	10-20
पीवीआई					
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*113*	*99*	*91*
संबद्ध देश– चीन जन.गण					
पहुंच कीमत	₹/मी.टन	3,08,583	3,67,439	2,67,577	2,55,383
कीमत कटौती	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*87*	*153*	*125*
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
रेंज	%	20-30	10-20	40-50	30-40
सीबीएस					
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*110*	*92*	*83*
चीन जन.गण.					
पहुंच कीमत	₹/मी.टन	2,52,509	2,97,548	2,16,673	1,95,179
कीमत कटौती	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*82*	*115*	*104*
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
रेंज	%	20-30	10-20	30-40	30-40
ईयू					
पहुंच कीमत	₹/मी.टन	2,51,941	3,31,055	2,80,113	2,33,138
कीमत कटौती	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*31*	*19*	*46*
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
रेंज	%	20-30	0-10	0-10	10-20

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
संबद्ध देश					
पहुंच कीमत	₹/मी.टन	2,52,371	3,04,390	2,29,959	2,02,632
कीमत कटौती	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*71*	*95*	*92*
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
रेंज	*%*	*20-30*	*10-20*	*20-30*	*30-40*

80. यह नोट किया गया है कि संबंधित देशों से प्रत्येक विचाराधीन उत्पाद संबंधित विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर प्रवेश कर रहा है, जिससे भारी कीमत कटौती हुई है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

81. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में भारी ह्रास करना है और ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में परिवर्तन पर विचार किया है। नीचे तालिका में वास्तविक स्थिति दर्शाई गई है:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
टीडीक्यू					
बिक्री की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*88*	*93*
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*106*	*85*	*78*
पहुंच मूल्य (संबद्ध देश)	रु./मी.टन	1,48,822	1,80,453	1,31,619	1,25,984
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*121*	*88*	*85*
पीवीआई					
बिक्री की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***

विवरण	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**जांच की अवधि**
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*117*	*110*	*108*
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*113*	*99*	*91*
पहुंच मूल्य (संबद्ध देश)	रु./मी.टन	3,08,583	3,67,439	2,67,577	2,55,383
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*119*	*87*	*83*
सीबीएस					
बिक्री की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*112*	*108*	*107*
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*110*	*92*	*83*
पहुंच मूल्य (संबद्ध देश)	रु./मी.टन	2,52,371	3,04,390	2,29,959	2,02,632
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*121*	*91*	*80*

82. **टीडीक्यू:** यह नोट किया गया है कि संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य, जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम रहा है। परिणामस्वरूप, बिक्री कीमत में गिरावट आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में गिरावट से अधिक है। संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में न्यूनीकरण हो रहा है।

83. **पीवीआई:** यह नोट किया गया है कि संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य 2019-20 और जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम है, परिणामस्वरूप आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बिक्री लागत में यद्यपि वृद्धि हुई। तथापि बिक्री कीमत में गिरावट आई है। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास और न्यूनीकरण कर रहे हैं।

84. **सीबीएस:** यह नोट किया गया है कि संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य 2019-20 और जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम है, परिणामस्वरूप आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बिक्री लागत में यद्यपि वृद्धि हुई। तथापि बिक्री कीमत में गिरावट आई है। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास और न्यूनीकरण कर रहे हैं।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

85. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों को पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

86. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए, क्षति मापदंडों की वस्तुनिष्ठ जांच की है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री और मालसूची

87. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और मालसूची नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
टीडीक्यू					
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*128*	*135*	*135*
उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*117*	*107*	*90*
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*91*	*79*	*67*
घरेलू बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*105*	*93*	*80*
औसत स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*191*	*236*	*296*

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
पीवीआई					
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*100*	*100*
उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*96*	*95*	*74*
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*96*	*95*	*74*
घरेलू बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*108*	*94*	*82*
औसत स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*108*	*122*	*166*
सीबीएस					
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*123*	*231*	*231*
उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*109*	*118*	*101*
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*89*	*51*	*44*
घरेलू बिक्री	मी.टन	***	***	***	***

विवरण	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**जांच की अवधि**
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*102*	*109*	*96*
औसत स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*133*	*224*	*258*

88. **टीडीक्यू:** यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है। उत्पादन और घरेलू बिक्री में 2018-19 तक वृद्धि हुई परंतु 2019-20 में गिरावट आई और जांच अवधि में अधिक गिरावट आई। घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में संपूर्ण क्षति अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति अवधि और जांच अवधि में वृद्धि हुई है।

89. **पीवीआई:** यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में पूरी क्षति अवधि और जांच अवधि में गिरावट आई है। घरेलू बिक्रियों में 2018-19 में वृद्धि हुई परंतु बाद में 2019-20 में गिरावट आई और इसके अलावा जांच अवधि में अधिक गिरावट आई। घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति अवधि और जांच अवधि में वृद्धि हुई है।

90. **सीबीएस:** यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि में अपनी क्षमता बढ़ाई है। तथापि, क्षमता वृद्धि के बावजूद उत्पादन और बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में संपूर्ण क्षति अवधि और जांच अवधि में गिरावट आई है। जांच अवधि में क्षमता उपयोग सबसे कम रहा है। घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति अवधि और जांच अवधि में वृद्धि हुई है।

ii. **मांग में बाजार हिस्सा**

91. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**जांच की अवधि**
टीडीक्यू					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*96*	*87*	*85*
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*108*	*119*	*116*
संबद्ध देश	%	17.73	16.95	17.20	19.04
चीन जन.गण.	%	5.64	11.74	11.37	11.71
ईयू	%	4.33	0.94	2.24	4.25
रूस	%	7.77	4.28	3.59	3.09
अन्य देश	%	0.08	0.24	0.52	0.73

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
टीडीक्यू					
पीवीआई					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*107*	*97*	*91*
अन्य भारतीय उत्पादक	%	-	-	-	-
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	-	-	-	-
संबद्ध देश-चीन जन.गण.	%	***	***	***	***
अन्य देश	%	0.00	0.00	0.20	0.00
सीबीएस					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*93*	*95*	*94*
अन्य भारतीय उत्पादक	%	-	-	-	-
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	-	-	-	-
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
चीन जन.गण.	%	38.17	42.85	42.84	44.71
ईयू	%	12.24	11.00	11.35	10.92
अन्य देश	%	9.80	8.97	7.99	6.94

92. **टीडीक्यू:** यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बढ़ा है जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

93. **पीवीआई:** यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच अवधि में गिरावट आई है जबकि संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

94. **सीबीएस:** यह नोट किया गया है कि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में क्षति अवधि और जांच अवधि में वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

iii. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

95. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
टीडीक्यू					
लाभ/हानि	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*124*	*75*	*31*

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
लाभ/हानि	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*130*	*70*	*25*
पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*130*	*70*	*25*
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*127*	*74*	*33*
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*113*	*60*	*20*
पीवीआई					
लाभ/हानि	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*102*	*65*	*38*
लाभ/हानि	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*110*	*62*	*31*
पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*110*	*62*	*31*
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*109*	*63*	*34*
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*104*	*62*	*25*
सीबीएस					
लाभ/हानि	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*107*	*57*	*31*
लाभ/हानि	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*109*	*61*	*30*
पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*109*	*62*	*31*
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*110*	*71*	*40*

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*56*	*23*	*12*

96. **टीडीक्यू:** यह नोट किया गया है कि 2018-19 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वृद्धि हुई परन्तु 2019-20 में गिरावट आई और पूर्ववर्ती वर्ष तथा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में अधिक गिरावट आई। पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में लाभप्रदता के समान प्रवृत्ति रही है।

97. **पीवीआई:** यह नोट किया गया है कि 2018-19 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वृद्धि हुई परन्तु 2019-20 में गिरावट आई और पूर्ववर्ती वर्ष तथा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में अधिक गिरावट आई। पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में लाभप्रदता के समान प्रवृत्ति रही है।

98. **सीबीएस:** यह नोट किया गया है कि 2018-19 में लाभप्रदता में वृद्धि हुई परन्तु 2019-20 में गिरावट आई और पूर्ववर्ती वर्ष तथा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में अधिक गिरावट आई। पीबीआईटी और नकद लाभ में लाभप्रदता जैसी प्रवृत्ति रही। नियोजित पूंजी पर आय में क्षति अवधि और जांच अवधि में गिरावट आई है।

iv. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

99. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और लाभप्रदता नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
टीडीक्यू					
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*89*	*178*	*178*
प्रति दिन उत्पादकता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*117*	*107*	*90*
मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*105*	*110*	*99*
पीवीआई					
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*109*	*109*
प्रति दिन उत्पादकता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*96*	*95*	*74*
मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*90*	*119*	*102*

सीबीएस					
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*133*	*367*	*383*
प्रति दिन उत्पादकता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*109*	*118*	*101*
मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*107*	*142*	*127*

100. **टीडीक्यू:** यह नोट किया गया है कि जांच अवधि में रोजगार स्तरों में वृद्धि हुई है। प्रतिदिन उत्पादकता में क्षति अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि उत्पादकता में गिरावट उत्पादन में गिरावट के कारण आई है। जांच अवधि में प्रदत्त मजदूरी में पूर्ववर्ती वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।

101. **पीवीआई:** यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि में रोजगार स्तरों और प्रदत्त मजदूरी में वृद्धि हुई है। प्रतिदिन उत्पादकता में गिरावट आई है।

102. **सीबीएस:** यह नोट किया गया है कि रोजगार स्तरों में संपूर्ण क्षति अवधि और जांच अवधि में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि में प्रतिदिन उत्पादकता में वृद्धि हुई है। मजदूरी में 2019-20 में वृद्धि हुई और जांच अवधि में गिरावट आई।

103. घरेलू उद्योग ने बताया है कि वे मापदंड घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

v. पाटन मार्जिन

104. सभी पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से काफी अधिक थे। घरेलू उद्योग पर पाटन के वास्तविक मार्जिन की मात्रा का प्रभाव अत्यधिक था।

vi. वृद्धि

105. उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय की दृष्टि से घरेलू उद्योग की वृद्धि जांच अवधि में ऋणात्मक हो गई है।

पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**जांच की अवधि**
टीडीक्यू					
उत्पादन	%	-	16.99	(8.77)	(15.33)
घरेलू बिक्री मात्रा	%	-	5.35	(11.87)	(13.49)
औसत स्टॉक	%	-	91.26	23.65	24.96
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	12.98	(46.98)	(66.10)
लाभ/हानि	%	-	30.29	(46.62)	(64.47)
नकद लाभ	%	-	26.71	(41.25)	(55.29)

पीवीआई					
उत्पादन	%	-	(4.33)	(1.16)	(21.63)
घरेलू बिक्री मात्रा	%	-	7.53	(12.56)	(12.80)
औसत स्टॉक	%	-	8.18	12.89	36.21
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	4.11	(40.31)	(59.21)
लाभ/हानि	%	-	9.57	(43.83)	(49.93)
नकद लाभ	%	-	8.50	(41.54)	(46.90)
सीबीएस					
उत्पादन	%	-	9.48	7.57	(14.46)
घरेलू बिक्री मात्रा	%	-	1.94	6.71	(11.59)
औसत स्टॉक	%	-	32.83	68.44	15.40
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	(44.35)	(58.34)	(46.56)
लाभ/हानि	%	-	8.59	(43.22)	(50.91)
नकद लाभ	%	-	10.14	(35.51)	(44.03)

106. **टीडीक्यू:** यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान सभी मात्रा और कीमत मापदंडों में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। पूरी जांच अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची सकारात्मक रही है।

107. **पीवीआई:** यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान सभी मात्रा और कीमत मापदंडों में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। पूरी जांच अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची सकारात्मक रही है।

108. **सीबीएस:** यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान सभी मात्रा और कीमत मापदंडों में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। पूरी जांच अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची सकारात्मक रही है।

vii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

109. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को लाभप्रदता में गिरावट का सामना करना पड़ा है, अत: पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता कमजोर हुई है।

viii. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

110. **टीडीक्यू:** यह नोट किया जाता है कि आयात कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे प्रभावित कर रही हैं। संबंधित संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम रहा है। जब घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में गिरावट भी आई तो आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट और परिणामस्वरूप 2019-20 और पीओआई में बिक्री कीमत में गिरावट, उत्पादन लागत में गिरावट लागत से अधिक थी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग देश में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण बाजार में अपनी कीमतें बनाए रखने में असमर्थ है। संबद्ध आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती और ह्रास कर रही हैं। तीसरे देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर या तो पाटनरोधी शुल्क लागू है या वे न्यूनतम स्तर पर हैं अथवा उच्चतर कीमतों पर हुए हैं। पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। अत: यह स्पष्ट है कि घरेलू कीमतों को

प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक भी है।

111. **पीवीआई**: यह नोट किया जाता है कि आयात कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे प्रभावित कर रही हैं। संबंधित संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम रहा है। जब घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में गिरावट भी आई तो आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट और परिणामस्वरूप 2019-20 और पीओआई में बिक्री कीमत में गिरावट, उत्पादन लागत में गिरावट लागत से अधिक थी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग देश में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण बाजार में अपनी कीमतें बनाए रखने में असमर्थ है। संबद्ध आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती और ह्रास कर रही हैं। क्षति अवधि में तीसरे देशों से संबद्ध वस्तु के नगण्य आयात हुए हैं। पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। अत: यह लगता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक भी है।

112. **सीबीएस**: यह नोट किया जाता है कि आयात कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे प्रभावित कर रही हैं। संबंधित संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम रहा है। जब घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में गिरावट भी आई तो आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट और परिणामस्वरूप 2019-20 और पीओआई में बिक्री कीमत में गिरावट, उत्पादन लागत में गिरावट लागत से अधिक थी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग देश में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण बाजार में अपनी कीमतें बनाए रखने में असमर्थ है। संबद्ध आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती और ह्रास कर रही हैं। तीसरे देशों से संबद्ध वस्तु के आयात या तो न्यूनतम स्तर पर हैं अथवा उच्चतर कीमतों पर हुए हैं। पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। अत: यह लगता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक भी है।

ज.3.5 कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन (आईएम)

113. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग की एनआईपी निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है और जांच अवधि के लिए कार्यरत लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित है। एनआईपी की तुलना क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देशों से पहुंच कीमत के साथ की गई है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण हेतु क्षति अवधि में कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पाद क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत से असाधारण या अनावर्ती व्ययों को बाहर रखा गया है। औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी पर विचाराधीन उत्पाद के लिए 22 प्रतिशत की दर से तर्कसंगत आय और नियमावली के अनुबंध-III में यथा-विहित क्षतिरहित कीमत ज्ञात करने के लिए ब्याज, कर और लाभ की अनुमति दी गई है।

114. पहुंच कीमत को डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों से सीआईएफ निर्यात कीमत तथा लागू सीमा शुल्क और उपकर के आधार पर निर्धारित किया गया है।

115. ऊपर यथा-निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी द्वारा क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और नीचे तालिका में दिया गया है:

टीडीक्यू

देश	उत्पादक/निर्यातक	गैर-क्षतिकारी कीमत (यूएसडॉ./मी.टन)	पहुंच मूल्य (यूएसडॉ./मी.टन)	क्षति मार्जिन (यूएसडॉ./मी.टन)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज
यूरोपीय संघ	सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	20-30
रूस	सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	10-20
चीन जन.गण	सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	10-20

पीवीआई

देश	उत्पादक/निर्यातक	गैर-क्षतिकारी कीमत (यूएसडॉ./मी.टन)	पहुंच मूल्य (यूएसडॉ./मी.टन)	क्षति मार्जिन (यूएसडॉ./मी.टन)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज
चीन जन.गण	सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	30-40

सीबीएस

देश	उत्पादक/निर्यातक	गैर-क्षतिकारी कीमत (यूएसडॉ./मी.टन)	पहुंच मूल्य (यूएसडॉ./मी.टन)	क्षति मार्जिन (यूएसडॉ./मी.टन)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज
चीन जन.गण.	सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	10-20
यूरोपीय संघ	सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	(***)	(***)	(0-10)

ज.3.6 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

116. **टीडीक्यू:** संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयात घरेलू कीमतों में भारी कटौती कर रहे हैं। आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कमी की है। घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में जांच अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति अवधि और जांच अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय की दृष्टि से भारी गिरावट आई है।

117. **पीवीआई:** संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच से पता चलता है कि यद्यपि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में कम हुई है। तथापि, पूर्ववर्ती वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में, जांच अवधि में उत्पादन और खपत की दृष्ट से इसमें वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयात घरेलू कीमतों में भारी कटौती कर रहे हैं। कीमत कटौती से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में जांच अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति अवधि और जांच अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय की दृष्टि से भारी गिरावट आई है।

118. **सीबीएस:** संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में समग्र और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयात घरेलू कीमतों में कटौती कर रहे हैं। कीमत कटौती से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में जांच अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति अवधि और जांच अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय की दृष्टि से भारी गिरावट आई है।

ज.3.7 <u>गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

119. प्राधिकारी ने पाटित आयातों से इतर ऐसे किसी ज्ञात कारक की जांच की है, जिसने उसी समय घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाया हो ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल है। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क. पाटित कीमतों पर बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य

120. अन्य देशों से प्रत्येक विचाराधीन उत्पाद का आयात न्यूनतम स्तरों पर है। इस प्रकार, अन्य देशों से एक विचाराधीन उत्पाद के आयात से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ख. मांग में संकुचन

121. प्रत्येक विचाराधीन उत्पाद की मांग में जांच अवधि में गिरावट आई है। तथापि, जांच अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। इसके अलावा, उसकी कीमतों में तीव्र गिरावट आई है जो उत्पादन लागत में गिरावट और कोविड महामारी से पहले की गिरावट से भी काफी अधिक है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को क्षति मांग में संकुचलन के कारण नहीं हुई है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

122. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक बदलाव नहीं हुआ है। अत: खपत के पैटर्न में बदलाव से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

123. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में प्रतिस्पर्धा की दशाओं या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं में बदलाव नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्रतिस्पर्धा की दशाएं और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

124. प्रौद्योगिकी में ऐसे किसी भारी बदलाव की मौजूदगी के बारे में किसी हितबद्ध पक्षकार ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

च. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन

125. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि देश में उत्पाद की मांग को देखते हुए, घरेलू उद्योग के लिए निर्यात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, विशेषरूप से तब जबकि ये निर्यात ऐसी कीमत पर हुए हैं और लाभप्रदता घरेलू बाजार की तुलना में काफी कम है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातों का एकमात्र कारण घरेलू बाजार से ऑर्डर का अभाव है। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि उद्योग तिमाही-वार ऑर्डर देता है और उसके बाद समय-समय पर डिलीवरी कार्यक्रम जारी करता है। अत: घरेलू उद्योग को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें वह सृजित क्षमता की मात्रा तक अपना संयंत्र चलाने में असमर्थ है। घरेलू बाजार में ऑर्डर की कमी का सामना करने पर घरेलू उद्योग के पास विदेशी ग्राहकों से ऑर्डर लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा तब भी हुआ है जब ये ऑर्डर घरेलू उद्योग के लिए बहुत कम लाभप्रद हैं। घरेलू उद्योग ने यह दलील भी दी है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव को दर्शाने हेतु घरेलू उद्योग के खराब कार्य-निष्पादन को अलग करने पर भी निर्यात बाजार में घरेलू उद्योग का खराब कार्य-निष्पादन और लाभप्रदता भारतीय बाजार में इन उत्पादों के पाटन के कारण है जिससे घरेलू बाजार से इन उत्पादों की मांग कम हुई है। यदि घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में सामग्री बेचने का अवसर मिले, न केवल वह अपनी लाभप्रदता में सुधार करने में समर्थ होगा बल्कि उसका उत्पादन और व्यवहार्यता भी बेहतर होंगे। इस प्रकार, निर्यात बाजार में घरेलू उद्योग का खराब कार्य-निष्पादन देश में उत्पाद के पाटन का परिणाम है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस वजह से घरेलू उद्योग की दलील का खंडन नहीं हुआ है।

छ. अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन

126. यद्यपि प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर विचार किया है और अन्य उत्पादों के कार्य-निष्पादन को पृथक रखा है। तथापि, घरेलू उद्योग ने कंपनी द्वारा उत्पादित और बेचे गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों के कार्य-निष्पादन संबंधी सूचना प्रदान की है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि वह कतिपय विशेष रसायनों का उत्पादन और बिक्री कर रहा है जिसके *** प्रतिशत को ***, ***, आदि जैसी कंपनियों को निर्यात किया जाता है। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि यदि उसके कार्य-निष्पादन को अलग किया जाए और विशिष्ट रबड़ रसायनों के कार्य-निष्पादन को हटा दिया जाए तो न केवल कंपनी के समग्र कार्य-निष्पादन में भारी गिरावट प्रदर्शित होगी बल्कि वर्तमान जांच के अधीन नहीं रहे अन्य रबड़ रसायनों के कार्य-निष्पादन में भी लाभ और निवेश पर आय की दृष्टि से वास्तव में भारी गिरावट प्रदर्शित होगी। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग इन विशिष्ट रबड़ रसायनों के संबंध में काफी बेहतर लाभ कमा रहा है, जिनका *** प्रतिशत उत्पादन निर्यातित होता है। इसके अलावा, विशिष्ट रबड़ रसायनों के संबंध में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता संबद्ध उत्पादों और अन्य सामान्य रबड़ रसायनों के कार्य-निष्पादन की तुलना में काफी स्थिर रही है और अन्य सामान्य रबड़ रसायनों में कार्य-निष्पादन में काफी तेजी से गिरावट आई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी रबड़ रसायनों (विशिष्ट रसायनों को छोड़कर) के संबंध में निवेश पर आय अत्यंत कम रही है। इसके अलावा, सभी रसायनों (विशिष्ट रसायनों को छोड़कर) के संबंध में कंपनी के निवेश पर आय, क्षति अवधि में तेजी से कम हुई है।

127. प्राधिकरण इस प्रकार निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण पीओआई में चोट नहीं लगी है। इसके अलावा, निम्नलिखित कारकों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को चोट डंप किए गए विषय आयात के कारण है:

क. आयात घरेलू उद्योग के मूल्यों में कमी कर रहे हैं।

ख. आयातों ने घरेलू उद्योग को उत्पाद को अपनी उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया है। डंप किए गए विषय के आयात का घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य पर मूल्य

निराशाजनक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की कीमतें चोट की अवधि के दौरान दबा दी जाती हैं।

ग. विषय आयात के कारण मूल्य अवसाद और दमन ने प्रचालन निष्पादन के संदर्भ में घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

128. प्राधिकरण, इस प्रकार, निष्कर्ष निकालता है कि विषय देशों से विषय वस्तुओं के डंपिंग और घरेलू उद्योग को चोट के बीच एक कारण लिंक मौजूद है।

झ. प्रकटन पश्चात अनुरोध

झ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

129. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का विश्लेषण केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किया जाना अपेक्षित है। सभी कच्ची सामग्रियों पर पाटनरोधी शुल्क के संचयी प्रभाव को दर्शाना प्राधिकारी को गुमराह करने का जानबूझकर प्रयास है।

ख. एटीएमए वह सूचना प्रस्तुत करने में भी विफल रहा है जो उन्हें आसानी से उपलब्ध है और जिन्हें वह दे सकता था।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय रूप में दावा की गई कतिपय सूचना का प्रकटन किया गया है।

घ. प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग की मात्रा, कीमत और आर्थिक मापदंडों का विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। यह निष्कर्ष अंतिम जांच परिणाम में निकल सकता है।

ड. प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद के 20 से अधिक आयातों/प्रयोक्ताओं को पत्र लिखने के बावजूद केवल 4 प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने शुल्क लागू नहीं करने के लिए कोई संगत सूचना नहीं दी है।

च. घरेलू उद्योग ने टायर और गैर-टायर उद्योग पर तथा समग्र रूप से रबड़ रसायन की खपत और प्रत्येक विचाराधीन उत्पाद के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रभाव की मात्रा बताई है।

छ. एनओसीआईएल अतिरिक्त उत्पादों का आक्रामक पाटन के कारण केवल मजबूरी में निर्यात करता है।

ज. रबड़ रसायन उद्योग के 3.5 प्रतिशत के सीएजीआर सहित 2029 तक 27 मिलियन एमटीए से बढ़कर 40 मिलियन एमटीए होने की उम्मीद है। टायर उद्योग ने अधिक वृद्धि की संभावना के साथ घरेलू उद्योग का क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है।

झ. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के लगातार पाटन के कारण अपनी निवेशों पर सम्मानजनक आय अर्जित करने में असमर्थ है।

ञ. शुल्क लागू नहीं करने का अर्थ होगा कि घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग के अपर्याप्त स्तर तक प्रचालन करना जारी रखे।

ट. शुल्क लगाया जाना प्रयोक्ताओं के हित में होगा क्योंकि इससे वे अत्यंत अस्थिर माहौल में घरेलू उद्योग को कच्ची सामग्री के अपने स्रोतों को विविध बना सकेंगे। स्थानीय रूप से खरीद से मालसूची का स्तर कम रहेगा और उनकी लागत कम होगी। प्रयोक्ताओं के हित में यह है कि एक स्वस्थ और मजबूत उद्योग बना रहे।

ठ. पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं करने से भारत संबद्ध देशों से पाटित आयातों के लिए एक लाभकारी बाजार बन जाएगा।

ड. घरेलू उद्योग की क्षमता टीडीक्यू और सीबीएस की वर्तमान मांग से अधिक है। पीवीआई के संबंध में, घरेलू उद्योग के पास *** प्रतिशत मांग पूरी करने के लिए क्षमता है। घरेलू उद्योग असंगत लाभ के मद्देनजर और चाइना के एकमात्र प्रतिस्पर्धी होने के कारण निवेश करने में संकोच कर रहा है।

ढ. बिक्री कीमत में गिरावट, कोविड-19 के प्रकोप से पहले भी हुई है। शुल्क समाप्त होने पर घरेलू उद्योग की लाभप्रदता घटी है।

ण. आयात कीमत में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग कीमत कटौती के लिए इन क्रेताओं से मांग लेना जारी रखे है, जो पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति का उल्लेख कर रहे हैं और घरेलू उद्योग को अपनी लागत में कमी से अधिक कीमत में कमी करनी पड़ी थी।

त. संबद्ध वस्तु का वैश्विक उत्पादन होने के बावजूद, इसका कार्य-निष्पादन पाटन के लिए प्रयुक्त चीन की अतिरिक्त क्षमताओं के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

थ. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट, पाटित आयातों का परिणाम है। घरेलू उद्योग केवल मजबूरी में अतिरिक्त वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यात घरेलू बाजार की तुलना में अत्यंत कम लाभप्रदता पर किए गए हैं।

द. टीडीक्यू और सीबीएस के संबंध में, देश में आयातों की कोई जरूरत नहीं है और पीवीआई के आयातों की आवश्यकता नगण्य है।

ध. विचाराधीन उत्पाद की वर्तमान कीमत उत्पादन की वर्तमान लागत से काफी कम है।

न. घरेलू उद्योग को विशेष रूप से कोयले और पीएन गैस के मामले में कच्ची सामग्री और सुविधा की लागत में असाधारण वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है।

प. शुल्क लागू नहीं होने पर घरेलू उद्योग को घाटे में प्रचालन करना पड़ेगा जो घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक सिद्ध होगा और इससे व्यापार बंद हो सकता है और रोजगार समाप्त हो सकता है।

फ. विश्व बाजार में चीन के निर्यात, बाजार हिस्से पर कब्जा करने और प्रतिस्पर्धी लाभ अर्जित करने का प्रयास हैं। चीन के पास आरसी की मांग का केवल 34-35 प्रतिशत है, तथापि, उनकी वर्तमान उत्पादन क्षमताएं, वर्तमान मांग का 88 प्रतिशत से अधिक है।

ब. भारत का वैश्विक रबड़ प्रसंस्करण में तीसरा स्थान है और भारत में 6 प्रतिशत वैश्विक खपत होती है। इसलिए, भारत किसी बड़े उत्पादक के लिए एक विशाल आकर्षक बाजार है।

भ. विश्व भर में पीवीआई केवल भारत और चीन में उत्पादित होता है। एनओसीआईएल, पीवीआई का एकमात्र उत्पादक है, जबकि चीन में 2-3 कंपनियां हैं। यदि एडीडी लागू नहीं होता है तो चीन को उत्पाद पर एकाधिकार मिल जाएगा।

म. जहां तक सीबीएस का संबंध है, उत्पाद केवल भारत, चीन, यूरोप और यूएस में उत्पादित होता है, ऐसे मामले में यह स्पष्ट है कि यदि भारतीय उत्पादक उत्पादन बंद करेंगे तो कीमतों में भारी वृद्धि हो जाएगी।

य. विगत दो दशकों में चीन के उत्पादकों ने वैश्विक रबड़ रसायन खपत में 20 प्रतिशत बाजार हिस्से से बढ़कर 85 प्रतिशत बाजार हिस्सा हासिल कर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। यद्यपि वैश्विक एकाधिकार, भारत सरकार के नियंत्रण से बाहर है। तथापि, घरेलू एकाधिकार सरकार की शक्ति के अधीन है।

कक. पीएक्स-13 के मामले में, चीन/कोरिया/वियतनाम में एक उत्पादक के पास वैश्विक मांग का 85 प्रतिशत और 4एडीपीए के मामले में वैश्विक बाजार का 90 प्रतिशत है। ईस्टमैन (पूर्ववर्ती फ्लेक्सिस) की वन रॉक कैपिटल को हाल की बिक्री एक अन्य ऐसा उदाहरण है जिसमें चीन से

आक्रामक प्रतिस्पर्धा के निहितार्थों के कारण यूरोपीय या पश्चिमी विश्व की प्रमुख कंपनी को इस व्यापार से बाहर होने को बाध्य होना पड़ा है।

खख. घरेलू उद्योग अपनी मौजूदा क्षमताओं को दुगुना करने के लिए बड़े विस्तार की योजना बना रहा है। चीन को यदि रोका नहीं गया तो वह एनओसीआईएल को समाप्त करने या हाशिए पर डालने और इस प्रकार एकाधिकारी हिस्सा प्राप्त करने से संकोच नहीं करेगा।

झ.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

130. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन की गणना को प्रकटन विवरण में नहीं बताया गया है। याचिकाकर्ता भी अपनी अगोपनीय याचिका में सामान्य मूल्य की गणना बताने में विफल रहा हे।

ख. याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित पाटन मार्जिन की रेंज डीजीटीआर द्वारा जारी रेंज से अलग है।

ग. कथित अनुचित व्यापार उत्पादों का वितरण क्षति होने के लिए उत्तरदायी है और उससे ईयू के आयातों पर अनुचित प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

घ. पीओआई क्षति विश्लेषण के लिए अपनाए गए वित्तीय वर्ष से मेल नहीं खाती है और वह तुलना योग्य नहीं है तथा बराबर नहीं है और इसलिए पाटनरोधी करार के अधीन 'वस्तुनिष्ठता' के मापदंडों को पूरा नहीं करती है।

ड. संभावित क्षति रूसी आयातों के बजाए कोविड-19 के कारण भी होगी।

च. ट्रेडमैप पर आधारित आयात कीमत और इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य सार्वजनिक आंकड़ों के स्रोत होने के बावजूद गोपनीय रूप में दर्शाए गए हैं।

छ. मैसर्स नेंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को शामिल नहीं करने से क्षति विश्लेषण विकृत हुआ है।

ज. रूस के आयातों में आधार वर्ष से कमी आई है और वे पीओआई में चीन और ईयू से कम हैं तथा उन्हें संचयी नहीं किया जाना चाहिए।

झ. कंपनी के उत्पादन, कर्मचारियों की संख्या और प्रति दिन उत्पादकता में कमी स्पष्ट नहीं हो सकती है क्योंकि यह अवधि कोविड-19 के प्रकोप से प्रभावित थी।

ञ. पीओआई के उत्तरार्ध में आवेदक के वित्तीय आंकड़ों में वृद्धि महामारी के प्रकोप और ऑटो उद्योग में मंदी के कारण हुई है। आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 पर भरोसा किया गया है।

ट. भारतीय उत्पादक ने संरक्षण के एक साधन के रूप में 13 वर्षों तक संबद्ध वस्तु पर व्यापार उपचार का लाभ उठाया है।

ठ. घरेलू उद्योग ने टिप्पणियां देने के लिए अन्य पक्षकारों को समय पर अवसर दिए बिना जांच के अंतिम चरण में नई सूचना प्रस्तुत की है।

ड. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण जारी करते समय घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पत्र के आंकड़ों पर विचार किया है और पत्र के एक दिन पश्चात आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। यह कानून और प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लंघन है। पत्र प्रस्तुत करना घरेलू उद्योग की दुर्भावना को दर्शाता है।

ढ. घरेलू उद्योग ने दोनों पत्रों में और अपने प्रभाव विश्लेषण में प्रदत्त आंकड़ों के लिए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। संलग्न अनुबंधों में दी गई कतिपय सूचना जो सार्वजनिक तीसरे पक्ष की सूचना प्रतीत होती है, किसी विश्वसनीय स्रोता या संदर्भ के बिना दी गई है। प्रयोक्ताओं

पर प्रभाव विश्लेषण जो घरेलू उद्योग की गोपनीय सूचना पर आधारित है, अपनी प्रामाणिकता और सटीकता पर संदेह उत्पन्न करता है और इसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

ण. प्राधिकारी को सभी हितबद्ध पक्षकारों को नई मौखिक सुनवाई के जरिए या टिप्पणियां प्रस्तुत करने, दोनों के माध्यम से पत्र की विषयवस्तु का खंडन करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ऐसा न होने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को पत्र की विषयवस्तु को अस्वीकृत करना चाहिए और डीएस पुन: जारी करना चाहिए या डीआई को सूचीबद्ध आंकड़ों सहित पत्र पुन: प्रस्तुत करने का निदेश देना चाहिए।

त. घरेलू उद्योग ने पूर्णत: यह जानते हुए 24 मार्च, 2022 को सूचना परिचालित की कि हितबद्ध पक्षकार 24 घंटे से कम में ऐसी सूचना का खंडन करने में सक्षम नहीं होंगे। इसकी संगतता के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

थ. वैश्विक कंपनियों के बाहर जाने के संबंध में, वे बाहर नहीं जा रहीं बल्कि अपने नेतृत्व का प्रचार कर रही हैं। अनुबंधों में एनपीयूसी के व्यापार बंद करने का उल्लेख है।

द. यह नोट किया जाए कि वर्तमान घरेलू उद्योग निरंतर व्यापार उपचार उपायों का प्रयोग करता है और अधिकांश मामलों में माननीय डीए ने उसके आवेदनों को सत्य से परे पाया है और इस प्रकार वह एडीडी लगाने की विधिक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।

ध. जांच अवधि के अतिरिक्त अवधि के दौरान डीआई को क्षति, यदि कोई हो, को मांग में मंदी के कारण हुई है और घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत संबद्ध आयातों से इतर कोविड-19 ने भी इसमें अपना योगदान दिया होगा।

न. संबद्ध देशों से पीओआई के दौरान टीडीक्यू, पीवीआई और सीबीएस के आयातों में कमी के साथ यह स्पष्ट है कि समग्र रूप से पाटित आयातों में "भारी वृद्धि" की विधिक अपेक्षा पूरी नहीं होती है।

प. सकारात्मक कीमत कटौती का दावा कीमत क्षति दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और निवल बिक्री प्राप्ति एक स्वैच्छिक व्यापार निर्णय है और उसका विश्लेषण उत्पादन लागत, लाभप्रदता और कच्ची सामग्री की अस्थिर कीमतों जैसे अनेक कारकों को ध्यान में रखकर करना होगा।

फ. डीआई ने अपनी बढ़ी हुई उत्पादन क्षमताओं का अकुशल उपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग में कमी का रूझान है जो नई क्षमता बढ़ाने पर सामान्य बात है क्योंकि कोई संयंत्र/मशीनरी उसे लगाने के आरंभिक चरण में पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकती है।

ब. पीओआई के दौरान कोविड-19 के कारण शटडाउन, श्रम की आपूर्ति में कमी और आर्थिक मंदी के कारण विनिर्माण लागत इष्टतम/कारगर विनिर्माण लागत नहीं थी। अत: कम कीमत पर बिक्री का निर्धारण सही नहीं है तथा एनआईपी की पुन: गणना करनी चाहिए और इसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की एनआईपी के आलोक में जांच होनी चाहिए।

भ. यद्यपि प्रयोक्ता उद्योग के हितों पर एडीडी के प्रभावों की जांच की कोई विधिक अपेक्षा नहीं है, तथापि पीयूसी के काफी हिस्से वाले प्रयोक्ताओं की चार सदस्य कंपनियों ने उत्तर दिया है जो विहित प्रपत्र में प्रश्नावली का विधिवत उत्तर है और उन्होंने इस जांच में माननीय डीए से सहयोग किया है।

म. एडीडी का संचयी प्रभाव जनहित की दृष्टि से संगत है क्योंकि अनेक टायर निविष्टियों पर एडीडी लगाना प्रयोक्ता उद्योग पर काफी बोझ डाल देगा और इसलिए इसे समग्र रूप से देखा जाना चाहिए।

य. जनहित एक बहु-आयामी विश्लेषण है। प्रयोक्ताओं और उत्पादकों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने/नहीं लगाने, दोनों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

131. प्राधिकारी ने इस जांच की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रयोक्ताओं, आयातकों और आम जनता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का विश्लेषण किया है। यह नोट किया जाता है कि अंतिम उपभोक्ताओं पर प्रभाव बिल्कुल मामूली है और शुल्क लागू करना उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग देश में पीवीआई और सीबीएस का एकमात्र उत्पादक है और शुल्क नहीं लगाने से उसके कार्य-निष्पादन में और अधिक गिरावट आएगी। पाटनरोधी उपाय लगाने का उद्देश्य पाटन की प्रक्रिया से अर्जित अनुचित लाभों को समाप्त करना, घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगाना और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापार विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करना है। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकार यह सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं पर कैसे बुरा प्रभाव पड़ेगा और वह कैसे जनहित के विरुद्ध होगा। रिकॉर्ड में उपलबध सूचना दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विपरीत नहीं होगा। घरेलू उद्योग ने टायर और गैर-टायर उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रभाव की मात्रा बताई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह प्रभाव बिल्कुल मामूली है अर्थात टायर उद्योग पर 0.04 प्रतिशत और गैर-टायर उद्योग पर 0.17 प्रतिशत है।

उपयोगकर्ता उद्योग पर प्रभाव

विवरण	**टीडीक्यू**	**पीवीआई**	**सीबीएस**	**संबद्ध वस्तुओं के लिए कुल**
टायर उद्योग का कारोबार (करोड़ रुपए में)	75000	75000	75000	75000
कुल भारतीय खपत *(मात्रा एमटीए)*	16000	2500	6000	24500
टायर उद्योग पर प्रभाव				
टायर की खपत (एमटीए)	10000	2000	4200	16200
टायर खपत मूल्य (करोड़ रुपए में)	210	150	170	530
प्रत्येक का एडीडी पर .ग्रा.कि/.रु 20 में .रु करोड़ – प्रभाव	20	4	8	32
उपभोक्ताओं की समग्र आय के प्रतिशत रूप में एडीडी का प्रभाव	0.267%	0.0053%	0.0107%	0.0427%
गैर-टायर उद्योग पर प्रभाव				
टायर की खपत (एमटीए)	6000	500	1800	8300
टायर खपत मूल्य (करोड़ रुपए में)	140	35	70	245
प्रत्येक 20 रु/.कि.ग्रा .पर एडीडी का प्रभाव – करोड़ रु .में	12	1	4	17

उपभोक्ताओं की समग्र आय के प्रतिशत रूप में एडीडी का प्रभाव	0.12%	0.01%	0.04%	0.17%

132. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने प्रस्तावित उत्पादों पर शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताई है, तथापि उपभोक्ता उद्योग एसोसिएशन ने टायर उद्योग के उपयोग वाली विभिन्न कच्ची सामग्रियों पर लागू सभी पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव की मात्रा बताई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान विचाराधीन उत्पादों पर प्रस्तावित शुल्क का प्रभाव केवल वर्तमान जांच के लिए संगत है। इसके अलावा, एटीएमए ने यह स्थापित नहीं किया है कि वर्तमान रबर रसायनों या अन्य रबर रसायनों या अन्य कच्चे माल पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से उन उत्पादों की कीमतों में लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्कों की मात्रा से वृद्धि हुई थी। लागू पाटनरोधी शुल्क को जोड़ने के बाद आयातों की पहुंच कीमत की जांच और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ उसकी तुलना दर्शाती है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लागू पाटनरोधी शुल्क को जोड़ने के बाद आयातों की पहुंच कीमत से वास्तविक रूप से कम थी। अत: यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने लागू पाटनरोधी शुल्क की सीमा तक अपनी कीमत में वृद्धि भी नहीं की थी। चूंकि प्रयोक्ता उद्योग ने चिंता जताई है, इसलिए प्राधिकारी ने अन्य रबड़ रसायन अर्थात पीएक्स-13 के संबंध में तथ्यों की जांच की है। यह देखा गया है कि उस मामले में भी घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लागू पाटनरोधी शुल्क को जोड़ने के बाद आयात की पहुंच कीमत से वस्तुत: कम थी। अत: यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क की राशि के बराबर भी अपनी कीमत नहीं बढ़ाई है। ऐसे मामले में यह मानते हुए उपभोक्ता उद्योग की उत्पादन लागत पर प्रस्तावित उपायों के प्रभाव की मात्रा बताना उचित नहीं होगा कि उत्पाद की लागत पाटनरोधी शुल्क की राशि से बढ़ जाएगी। इसके होते हुए भी यदि यह माना जाए कि भविष्य में घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क की राशि के बराबर कीमत बढ़ा देगा तो यह देखा गया है कि उस मामले में भी टायर उद्योग की उत्पादन लागत पर प्रस्तावित शुल्क का प्रभाव काफी कम होगा। इसके अलावा, टायर उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि प्राधिकारी द्वारा विभिन्न उत्पादों पर पूर्व में लागू पाटनरोधी शुल्क से उसकी उत्पादन लागत या लाभप्रदता या उपलब्धता पर कोई खास बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके विपरीत, रबड़ रसायनों की विभिन्न किस्मों से संबंधित पूर्ववर्ती निर्धारणों की जांच से पता चलता है कि एडीडी लागू होने वाले स्रोतों से आयातों का बाजार में इन उत्पादों की मांग में मौटे तौर पर काफी अधिक हिस्सा बना रहा है। इसके अलावा, इनमें से किसी जांच में तत्पश्चात समीक्षा के स्तर पर उपभोक्ता उद्योग ने पाटनरोधी उपायों के कारण इन उत्पादों में किसी की अनुपलब्धता के संबंध में न तो कोई प्रतिकूल चिंता जताई है और न ही लागू पाटनरोधी शुल्क द्वारा उन पर पड़े किसी उच्चतर कीमत के दबाव की मात्रा बताई है तथा उनकी उत्पादन लागत पर शुल्क के भारी प्रतिकूल प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है। वर्तमान मामले में संख्यात्मक सूचना से टायरों की उत्पादन लागत पर प्रस्तावित उपायों के बिल्कुल मामूली प्रभावों का स्पष्ट पता चलता है।

133. उत्पादक पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाने के संबंध में, प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्ड में रखी विभिन्न सूचना के आधार पर प्रभाव का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्राधिकारी ने बाजार में उत्पाद की उपलब्धता पर प्रस्तावित उपायों के संभावित प्रभाव की जांच की है। इस प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने मांग-आपूर्ति की स्थिति, उत्पादन, घरेलू और निर्यात बिक्रियों तथा संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त बाजार हिस्से पर विचार किया है।

विवरण	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**पीओआई**
टीडीक्यू					
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*120*	*125*	*125*

मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*107*	*102*	*88*
मांग के प्रतिशत रूप में क्षमता	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*113*	*123*	*143*
एनओसीआईएल का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*99*	*91*	*92*
क्षमता के प्रतिशत रूप में निर्यात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*113*	*112*	*97*
लाभ/यूनिट					
घरेलू	रु. मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*124*	*75*	*31*
निर्यात	रु. मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*190*	*97*	*6*
सीबीएस					
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*123*	*231*	*231*
मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*109*	*114*	*102*
मांग के प्रतिशत रूप में क्षमता	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*113*	*200*	*225*
एनओसीआईएल का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*93*	*95*	*94*
क्षमता के प्रतिशत रूप में निर्यात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*88*	*58*	*49*
लाभ/यूनिट					
घरेलू	रु. मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*107*	*57*	*31*
निर्यात	रु. मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*(28)*	*(355)*	*(397)*
पीवीआई					
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*100*	*100*
मांग	मी.टन	***	***	***	***

प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*101*	*97*	*90*
मांग के प्रतिशत रूप में क्षमता	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*104*	*111*
एनओसीआईएल का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*107*	*97*	*91*
क्षमता के प्रतिशत रूप में निर्यात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*104*	*93*	*70*
लाभ/यूनिट					
घरेलू	रु. मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*102*	*65*	*38*
निर्यात	रु. मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*68*	*(8)*	*(18)*

134. यह देखा गया है कि:

क. भारतीय उद्योग के पास टीडीक्यू और सीबीएस की समूची भारतीय मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। तथापि, आयात जांच अवधि के दौरान टीडीक्यू और सीबीएस की मांग का क्रमश: 19 प्रतिशत और 56 प्रतिशत हिस्सा हैं और क्षति अवधि में भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में टीडीक्यू के मामले में 81 प्रतिशत से 77 प्रतिशत और सीबीएस के मामले में 40 प्रतिशत से 37 प्रतिशत की गिरावट आई है। पीवीआई के मामले में, घरेलू उद्योग देश में 90 प्रतिशत मांग को पूरा करने में सक्षम है। तथापि, आयात मांग में 59 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष में 45 प्रतिशत से जांच अवधि में 41 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस प्रकार, भारतीय उद्योग के पास संबद्ध वस्तु की वर्तमान मांग को पूरा करने की क्षमता होने पर भी देश में भारी आयात हुए हैं। अत:, पाटनरोधी शुल्क लागू होने से बाजार में उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। शुल्क लगने से देश में उचित प्रतिस्पर्धा ही बहाल होगी।

ख. अपने निर्यात के संबंध में घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता, घरेलू बिक्रियों में घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभप्रदता से काफी कम है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि जांच अवधि में काफी कम लाभ या घाटे पर भी अपने उत्पादों के 40 प्रतिशत का निर्यात करने को बाध्य होना पड़ा है, जबकि भारी मांग मौजूद है और यह देश में पाटन की मौजूदगी के कारण हुआ है।

ग. जैसा पहले नोट किया गया, वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता के बावजूद भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

घ. घरेलू उद्योग ने बताया कि पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाना कंपनी के लिए दीर्घावधि में हानिकारक होगा और इसके परिणामस्वरूप रबड़ रसायन का व्यापार बंद भी हो सकता है। इससे कम से कम 1500 कर्मचारियों का रोजगार समाप्त हो जाएगा।

ड. घरेलू उद्योग ने बताया है कि रबड़ रसायन व्यापार में अनेक प्रमुख वैश्विक कंपनियों ने या तो अपने संयंत्र बेच दिए हैं या चीनी कंपनियों से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के कारण पूरी तरह बंद हो गई हैं।

विवरण	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**पीओआई**
टीडीक्यू					
भारतीय क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*120*	*125*	*125*
मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*107*	*102*	*88*
आयात/(भारतीय अधिशेष) की कमी या आवश्यकता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*(100)*	*(165)*	*(203)*	*(249)*
आयातों पर वास्तविक निर्भरता	मी.टन	***	***	***	***
सीबीएस					
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*123*	*231*	*231*
मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*109*	*114*	*102*
आयात/(भारतीय अधिशेष) की कमी या आवश्यकता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*97*	*8*	*(16)*
आयातों पर वास्तविक निर्भरता	मी.टन	***	***	***	***
पीवीआई					
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*100*	*100*
मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*101*	*97*	*90*
आयात/(भारतीय अधिशेष) की कमी या आवश्यकता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*102*	*85*	*52*
आयातों पर वास्तविक निर्भरता	मी.टन	***	***	***	***

135. उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से बाजार में उत्पाद की उपलब्धता भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होगी। कर्तव्यों को लागू करने से देश में उचित प्रतिस्पर्धा फिर से स्थापित होगी।

क्रमांक	विवरण	अवधि	टिप्पणी
	ईस्टमैन (जिसे पहले सोलुसिया से पहले फैलेक्सिस के रूप में जाना जाता था)	मई 2008	फैलेक्सिस (अब ईस्टमैन) ने अपने रुआबोन संयंत्र को बंद कर दिया
		नव. 2010	फैलेक्सिस (अब ईस्टमैन) ने एक्सलेटर व्यापार को लैंसेक्स जर्मनी को बेच दिया
		जून 2012	सोलुसिया, सिनोर्गकैम और केकेपीसी डीग्रेडेंट रोधी पेटेंट विवाद में वैश्विक समझौते पर पहुंचे हैं (जो 4एडीपीए के चीन केन्द्रित निर्माण दर्शाता है)।
		जून 2021	ईस्टमैन ने अपना टायर एडिटिव्स व्यापार बेच दिया है।
	लैंक्सेस	मार्च 2012	लैंक्सेस ने ब्रंसबटल, जर्मनी ने अपने संयंत्र में वल्कानोक्स रबड़ एंटीऑक्सीडेंट के उत्पादन में प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तु (4एडीपीए) का विनिर्माण बंद कर दिया।
		सित. 2013	लैंक्सेस ने जर्मनी ने तीन इकाईयों ने अपने एक्सीलेटर और एंटी-आक्सिडेंट व्यापार को बेचने की मंशा की घोषणा की है।
		सित. 2014	लैंक्सेस ने अपनी खरीद नीति में बदलाव किया और रबड़ रसायन व्यवसाय की निर्धारित बिक्री को रोक दिया।
	केमतुरा	दिस. 2009	6पीपीडी व्यापार से बाहर हो गया।
	एमराल्ड	मई 2016	एमराल्ड ने डाईस्टार को दो इकाईयां बेची जिन्हें सिनोर्गकेम द्वारा डाईस्टार से लिया गया
	सोंगवोन	जून 2013	एंटी-आक्सिडेंट व्यापार से बाहर हो गया
	डुस्लो और सुमिटोमो		4 एडीपीए के उत्पाद से बाहर हो गया।

136. इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि रबर रासायनिक व्यवसाय में कई प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों ने चीनी खिलाड़ियों से मजबूत प्रतिस्पर्धा के कारण या तो अपने संयंत्रों को बेच दिया है या पूरी तरह से बंद कर दिया है।

137. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत और चीन पीवीआई के एकमात्र वैश्विक उत्पादक हैं। सीबीएस केवल भारत, चीन, यूरोप और यूएस में उत्पादित होता है। शुल्क नहीं लगाने पर घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में और अधिक गिरावट की संभावना है। यह भी नोट किया गया है कि चीन में क्षमताएं मांग से कहीं अधिक हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि रबड़ रसायन के विभिन्न प्रकारों की 88 प्रतिशत वैश्विक क्षमता चीन में है, जबकि इसकी घरेलू मांग अपनी क्षमता का केवल 40 प्रतिशत है। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि यद्यपि चीन के उत्पादकों के पास वैश्विक बाजार का केवल 20 प्रतिशत है, तथापि अब चीन के

उत्पादक वैश्विक खपत में 85 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं और स्थिति बिगड़ती जा रही है जिससे चीन के उत्पादकों के लिए एकाधिकार की स्थिति बढ़ती जा रही है। इस प्रकार, चीन से पाटन जारी रहने देने से चीन में भारी अतिरिक्त क्षमताओं के कारण चीनी कंपनियों के लिए एकाधिकार हो जाएगा, जिसका उपयोग पाटन के लिए होगा।

138. रिकॉर्ड में सूचना के अनुसार वैश्विक रबड़ प्रसंस्करण में भारत का तीसरा स्थान है और वैश्विक रबड़ खपत का 6 प्रतिशत भारत में है, अत: भारत किसी उत्पादक के लिए एक बड़ा आकर्षक बाजार है।

139. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त निवेश पर आय में गिरावट आई है और जांच अवधि में यह अत्यंत कम है।

140. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने एक उत्पाद एनएस और अपनी संगत मध्यवर्ती वस्तु एनएएमबीटी के लिए क्षमताओं की स्थापना सहित एक्सलरेटर बाजार में भागीदारी के लिए अतिरिक्त क्षमताएं (सीबीएस/एनएस) विकसित करने हेतु दाहेज में *** करोड़ रु. (2017-19) का निवेश किया है। एनओसीआईएल ने लगभग *** एमटीए की टीडीक्यू के लिए अतिरिक्त मात्रा विकसित करने हेतु अवरोध दूर करने के ज़रिए नवी मुंबई में *** करोड़ रु. (2017-18) का भी निवेश किया है। निवेश पर आय की वर्तमान दर को देखते हुए, यदि शुल्क नहीं लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग अपने निवेश पर तर्कसंगत आय अर्जित नहीं कर पाएगा। इस प्रकार, उसके भावी निवेश प्रभावित होंगे। घरेलू उद्योग ने बताया है कि 1,50,000 एमटीए से अधिक क्षमता वृद्धि करने के लिए उसकी योजना 1,200 करोड़ रु. (150 मिलियन यूएसडॉ. PUC और नॉन PUC सामान रूप से) का निवेश करने की है। विभिन्न उत्पादों के संबंध में वर्तमान प्रचालनों की व्यवहार्यता यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि निवेश खतरे में न पड़े। घरेलू उद्योग ने इस संबंध में बताया है कि वित्तीय संस्थान और निवेशक केवल समग्र कार्य-निष्पादन के आधार पर कंपनी में निवेश नहीं करते हैं।

141. कोविड 19 के कारण घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन के गिरावट के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की पहुंच कीमत और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में जुलाई, 2019 में काफी गिरावट आई थी जो कोविड 19 लॉक्डाउन से पहले की अवधि है। 2019-20 में आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट के लिए न तो मांग में गिरावट या कोविड 19 या एडीडी की समाप्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बावजूद 2019-20 में सीआईएफ आयात कीमतों में गिरावट आई थी। शुल्क की समाप्ति से विदेशी उत्पादकों को बाजार से बेहतर कीमत मिलनी चाहिए थी। तथापि, उत्पाद की सीआईएफ कीमत में काफी अधिक गिरावट आई और यह गिरावट उत्पादन लागत में गिरावट से काफी अधिक थी। विदेशी उत्पादकों द्वारा कीमत में कमी से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भारी गिरावट आई। घरेलू उद्योग को बाजार में अपनी कीमतों पर काफी अधिक कीमत ह्रासकारी प्रभाव का सामना करना पड़ा। कीमत ह्रास के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में उत्पादन लागत में गिरावट से कहीं अधिक गिरावट आई। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के साथ न केवल 2019-20 में हुई बल्कि क्षति अवधि में भी हुई और यह गिरावट जांच अवधि में जारी रही। इसके अलावा, यह गिरावट उत्पादन लागत में परिवर्तन से भी बहुत अधिक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट का औचित्य सिद्ध हो सकता था। तथापि, शुल्क की समाप्ति आयातों की पहुंच कीमत में विशेष रूप से तब भारी गिरावट को उचित नहीं ठहराती जबकि उसका निर्धारण पाटनरोधी शुल्क के बिना किया गया हो और उत्पादन लागत में कोई संगत गिरावट नहीं हुई हो। इसके अलावा, शुल्क की समाप्ति से विदेशी उत्पादकों को बाजार में उच्चतर कीमत निर्धारित करने का अवसर मिलना चाहिए था। तथापि, यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान प्रत्येक संबद्ध उत्पाद की कीमत में तीव्र गिरावट आई थी। इस प्रकार, देश में उत्पाद के पाटन के कारण कीमतों और परिणामस्वरूप लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह में भारी गिरावट आई है।

142. सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन की गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी ने संगत प्रक्रिया के अनुसार सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन के निर्धारण का उचित ढंग से प्रकटन किया है।

143. जांच अवधि की उपयुक्तता के संबंध में, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली और डब्ल्यूटीओ एडी करार के अनुसार जांच अवधि पर विचार किया है।

144. इस दलील के संबंध में कि रूसी आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूरी क्षति अवधि के दौरान पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक रहा है। चूंकि प्राधिकारी ने संचयी आधार पर क्षति विश्लेषण किया है, इसलिए संबद्ध देशों से अलग-अलग क्षति की जांच करना उचित नहीं होगा। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह सिद्ध नहीं किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति का संचयी आकलन करना वर्तमान मामले में कैसे उचित नहीं है।

145. क्षति विश्लेषण में लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आंकड़ों को शामिल नहीं करने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने कंपनी को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी। तथापि, मैसर्स लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जांच के दौरान कोई सूचना नहीं दी थी। इसके अलावा, एनओसीआईएल लिमिटेड नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है और नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत, घरेलू उद्योग है। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि लैंक्सेस के आंकड़ों को शामिल नहीं करने से वर्तमान क्षति निर्धारण में कोई विकृति आई है।

146. घरेलू उद्योग के लिए अत्यधिक संरक्षण की दलील के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एडीडी अपने आप में कोई संरक्षण नहीं है। शुल्क का उद्देश्य केवल समान अवसर की प्रतिस्पर्धा सृजित करना है और यह पाटन की स्थिति के समाधान के लिए है। घरेलू उद्योग द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए प्राधिकारी के पास जाने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। शुल्क लगाने की सिफारिश केवल तभी की जाती है जब अपेक्षित विधिक जरूरते पूरी होती हों। घरेलू उद्योग के पूर्ववर्ती आवेदन में कोई तथ्य नहीं होने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्ववर्ती आवेदन या निर्धारण की वर्तमान जांच में कोई प्रासंगिकता नहीं है। वर्तमान जांच को, केवल जांच के बाद और घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन की पर्याप्तता और सत्यता से संतुष्ट होने पर ही शुरु किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई वास्तविक क्षति संबंधित संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पादों के पाटित आयातों के कारण हुई हे। तथापि, यह नोट किया गया है कि पाटन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है। जब तक उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कारण है, तब तक घरेलू उद्योग उसके विरुद्ध संरक्षण और समान अवसर वाली प्रतिस्पर्धा की मांग करने का हकदार है।

147. टायर उद्योग की विभिन्न निविष्टयों, जिन पर शुल्क लागू है, के संचयी आधार पर विचार करने संबंधी प्रयोक्ता उद्योग द्वारा प्रदत्त प्रभाव विश्लेषण के संबंध में प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम के संगत भाग में पहले ही इस बात का समाधान किया है।

148. एनआईपी की गणना के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्धारण निर्धारित नियमावली और प्राधिकारी की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।

149. इस संबंध में कीमत कटौती, कीमत क्षति को दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत कटौती यह निर्धारित करने के कारणों में से केवल एक है कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के कीमत ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव की जांच की है। यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों के कारण इस कीमत कटौती से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन संबंधी अनेक आर्थिक मापदंडों ने घरेलू उद्योग को क्षति सिद्ध की है।

150. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पत्रों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पत्रों में दी गई सूचना घरेलू उद्योग द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सूचना का मात्र दोहराव थी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों के पास जांच की प्रक्रिया में अपने हितों के बचाव का पर्याप्त अवसर था। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीयता की अपेक्षाओं के अधीन विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की पर्याप्त पहुंच दी गई थी।

151. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के दावों के संबंध में, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उनसे संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों की अनुमति दी है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रभाव विश्लेषण की गोपनीयता के संबंध में, प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम के संगत भाग में इसका पहले ही समाधान किया है।

152. इस दलील के संबंध में कि सभी प्रयोक्ताओं के लिए प्रश्नावली का उत्तर देना अनिवार्य नहीं है, प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम के संगत भाग में पहले ही इसका समाधान किया है।

अ. <u>भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे</u>

अ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

153. जनहित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. पिछले दशक में चीन के प्रभुत्व और उनके गैर-बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के कारण रबड़ रसायन उद्योग में प्रमुख कंपनियों को बाहर होने के लिए या न्यूनतम उपस्थिति के लिए मजबूर होना पड़ा है। चीन जन.गण. द्वारा अपनाई गई आक्रामक पाटन प्रक्रियाओं के कारण एनओसीआईएल की क्षमताएं सीमित हैं।

ख. 2019 में मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में भारी गिरावट आई है। शुल्क से एनओसीआईएल के लिए समान अवसर और उचित प्रतिस्पर्धी व्यापारिक माहौल सुनिश्चित होता है और एनओसीआईएल के अनुसंधान और प्रौद्योगिकी क्षमताओं के बावजूद चीन जन.गण. से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के कारण उसका अस्तित्व संकट में है।

ग. चूंकि एनओसीआईएल रबड़ कैमिकल का एक बड़ा गैर-चीनी विनिर्माता है, इसलिए वह चीन जन.गण. द्वारा अपनाई गई आक्रामक पाटन प्रक्रियाओं के कारण ईष्टम क्षमता उपयोग प्राप्त करने में असमर्थ है।

घ. किसी भी प्रयोक्ता ने पर्याप्त और सत्यापन योग्य सूचना के साथ शुल्क लगाने का विरोध नहीं किया है। इसके अलावा, शुल्कों के इतिहास के बावजूद किसी भी प्रयोक्ता ने रबड़ केमिकल पर पाटनरोधी शुल्क को अपने व्यापार के लिए जोखिम नहीं माना है।

ड. प्रयोक्ता/आयातक उद्योग से सीमित सहयोग और एकमात्र प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक से अधूरा उत्तर दर्शाता है कि वे शुल्कों से प्रतिकूलत: प्रभावित नहीं हुए हैं।

च. घरेलू उद्योग ने समग्र रूप से तथा प्रत्येक उत्पादक के रूप में रबड़ रसायनों की खपत के आधार पर शुल्कों के प्रभाव की मात्रा बताई है और उपभोक्ता उद्योग पर प्रभाव बिल्कुल मामूली है।

छ. इस प्रकार, भारतीय उद्योग पूरी तरह आयातों पर निर्भर हो जाएगा। शुल्क लागू नहीं करने से रबड़ केमिकल उद्योग तथा प्रयोक्ता और डाउनस्ट्रीम उद्योग में रोजगार काफी अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि ये उद्योग केवल स्वदेशी कच्ची सामग्री पर निर्भर है।

ज. टीडीक्यू और सीबीएस के संबंध में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग देश में मौजूदा मांग को पूरा करने में सक्षम है। यद्यपि, पीवीआई के लिए मांग-आपूर्ति में अंतर है, तथापि घरेलू उद्योग कुल मांग के लगभग *** प्रतिशत को पूरा करने में सक्षम है।

झ. घरेलू उद्योग की क्षमता, देश में मांग से अधिक है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पादों को निर्यात करने से अर्जित लाभ घरेलू बिक्रियों से अर्जित लाभों से काफी कम है। यद्यपि जांच अवधि के दौरान, आयात टीडीक्यू, सीबीएस और पीवीआई के संबंध में मांग का क्रमश: *** प्रतिशत, *** प्रतिशत और *** प्रतिशत हिस्सा है, तथापि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में विचाराधीन उत्पादों के संबंध में गिरावट आई है।

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	POI
टीडीक्यू					
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*120*	*125*	*125*
मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*107*	*102*	*88*
मांग के प्रतिशत रूप में क्षमता	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*113*	*123*	*143*
एनओसीआईएल का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*99*	*91*	*92*
क्षमता के प्रतिशत के रूप में निर्यात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*113*	*112*	*97*
लाभ/यूनिट					
घरेलू	रु.मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*124*	*75*	*31*
निर्यात	रु.मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*190*	*97*	*6*
सीबीएस					
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*123*	*231*	*231*
मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*109*	*114*	*102*
मांग के प्रतिशत रूप में क्षमता	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*113*	*200*	*225*
एनओसीआईएल का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*93*	*95*	*94*
क्षमता के प्रतिशत के रूप में निर्यात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*88*	*58*	*49*
लाभ/यूनिट					
घरेलू	रु.मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*107*	*57*	*31*
निर्यात	रु.मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*-28*	*-355*	*-397*
पीवीआई					

क्षमता	रु.मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*100*	*100*
मांग	रु.मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*101*	*97*	*90*
मांग के प्रतिशत रूप में क्षमता	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*104*	*111*
एनओसीआईएल का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*107*	*97*	*91*
क्षमता के प्रतिशत के रूप में निर्यात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*104*	*93*	*70*
लाभ/यूनिट					
घरेलू	रु.मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*102*	*65*	*38*
निर्यात	रु.मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*68*	*-8*	*-18*

झ. शुल्क लागू होने से रबड़ कैमिकल उद्योग में तीव्र वृद्धि में मदद मिलेगी जिसके भारतीय टायर उद्योग में तेजी से सुधार को देखते हुए विकास करने की उम्मीद है।

ञ. एटीएमए यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि शुल्क लागू करना कैसे जनहित के विरुद्ध होगा और उसने संगत सूचना नहीं दी है, इस प्रकार पूरी जांच प्रक्रिया में बाधा डाली है और उसका महत्व कम किया है।

ट. एटीएमए के 9 सदस्यों में से केवल 4 ने प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर दिया है और एसोसिएशन के शेष सदस्यों द्वारा समर्थन या विरोध का कोई संकेत नहीं है।

ठ. गैर-पीयूसी, पीयूसी से बेहतर कार्य-निष्पादन कर रहे हैं और यह बात एनआईसीआईएल द्वारा उत्पादित पीयूसी पर पाटन का प्रतिकूल प्रभाव दर्शाती हे। पीयूसी अर्थात् टीडीक्यू, पीवीआई और सीबीएस समग्र रूप से कंपनी की क्षमता ***प्रतिशत - ***प्रतिशत, उत्पादन का ***प्रतिशत - ***प्रतिशत ,बिक्री मात्रा का ***प्रतिशत -***प्रतिशत, बिक्री आय का ***प्रतिशत -***प्रतिशत और क्षति अवधि तथा जांच अवधि के दौरान कंपनी के लाभों का केवल ***प्रतिशत -***प्रतिशत है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा अर्जित अधिकांश लाभ उनके विशिष्ट रसायन व्यापार में हुए हैं, जिनका मुख्यत: निर्यात के लिए उत्पादन होता है।

तालिका-1: एनओसीआईएल के समग्र व्यापार में पीयूसी व्यापार का हिस्सा

क्र.सं.	**विवरण**	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**पीओआई**
1	क्षमता	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*106*	*114*	*114*

2	उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*108*	*111*	*103*
3	बिक्री मात्रा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*111*	*111*	*105*
4	बिक्री आय	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*119*	*104*	*89*
5	आरसी व्यापार का लाभ	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*120*	*120*	*77*
6	आरओआई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*133*	*71*	*21*

तालिका 2: एनओसीआईएल के समग्र व्यापार में एनपीयूसी विशिष्ट रसायनों का हिस्सा

क्र.सं.	**विवरण**	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**पीओआई**
1	क्षमता	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*92*	*108*	*108*
2	उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*114*	*121*
3	बिक्री मात्रा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*114*	*121*
4	बिक्री आय	%	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*107*	*114*	*121*
5	लाभ	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*110*	*180*	*370*
6	आरओआई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*115*	*99*	*85*

तालिका 3: एनओसीआईएल के समग्र व्यापार में एनपीयूसी रबड़ रसायन व्यापार (विशिष्ट रसायनों को छोड़कर) का हिस्सा (सूचीबद्ध रूप में)

क्र.सं.	**विवरण**	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**पीओआई**
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*114*	*116*	*116*
2	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*84*	*80*
3	बिक्री मात्रा	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*95*	*88*	*83*
4	बिक्री आय	लाख रु. में	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*97*	*74*	*65*
5	लाभ	लाख रु. में	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*92*	*33*	*2*
6	आरओआई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*67*	*22*	*0*

ड. विशिष्ट रसायनों को मुख्यत: निर्यात हेतु उत्पादित किया जाता है और उनका थोड़ा सा घरेलू बाजार है (इन उत्पादों में घरेलू बाजार मुश्किल से ***प्रतिशत है) अत: कंपनी की समस्त सूचना

को इन विशिष्ट रसायनों और अन्य रसायनों के बीच पृथक करना चाहिए और तब यह देखा जाएगा कि पीयूसी कंपनी की तुलना में समग्र प्रचालनों में काफी उच्चतर अनुपात बनता है। जब भी बाजार की दशाएं प्रतिकूल होती हैं, भारतीय बाजार में पाटन की तीव्रता कम क्षमता उपयोग, कम लाभ के रूप में प्रदर्शित होती हैं और ऐतिहासिक लागत आधार पर भी निवेश पर आय कम रहती है।

ढ. विशेषज्ञ रसायन व्यापार में क्षति अवधिक के दौरान लाभ स्थिर रहे हैं और सामान्य रबड़ रसायन से काफी अधिक रहे हैं। जहां भी चीन स्पर्धा करने में असमर्थ है वहां इन उत्पादों के कार्यनिष्पादन मापदंड संगत प्रवृत्ति दर्शाते हैं।

मापदंड	**विवरण**	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**पीओआई**
लाभ लाख रु. में	कुल पीबीटी	लाख रु. में	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*109*	*60*	*36*
	पीयूसी	लाख रु. में	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*135*	*72*	*23*
	एनपीयूसी विशेष रसायन	लाख रु. में	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*122*	*106*	*108*
	एनपीयूसी सामान्य रसायन	लाख रु. में	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*92*	*33*	*2*
	गैर-परिचालन अन्य आय	लाख रु. में	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*91*	*70*	*108*
आरओआई %						
	पीयूसी	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*133*	*71*	*21*
	एनपीयूसी विशेष	%	***	***	***	***

	रसायन					
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*115*	*99*	*85*
	एनपीयूसी सामान्य रसायन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*67*	*22*	*0*
	कुल रबड़ रसायन व्यापार	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	***100***	***90***	***47***	***23***

ण. टीडीक्यू-एचपी **% निर्यात उत्पाद है जो प्रति वर्ष *** करोड़ अर्जित करता है तथा जिसे विशिष्ट रसायन व्यापार के अंतर्गत ब्रिजस्टोन, सुमिटोमो आदि को बेचा जाता है।

त. निर्यात प्रचालनों पर भी क्षति विश्लेषण हेतु विचार किया जा सकता है क्योंकि कंपनी केवल आयातों के कारण निर्यात कर रही है। कंपनी की समग्र स्थिति का विश्लेषण उत्पाद स्तरों पर किया जाना चाहिए और न कि केवल घरेलू बाजार स्तरों पर।

थ. एनओसीआईएल उन कुछ उत्पादकों में से एक है जो डीएचटीएस, टीडीक्यू, एचपी और लेटेक्स उत्पादों जैसे विशिष्ट रसायनों का उत्पादन करते हैं जिन्हें एमएनसी उपभोक्ताओं को बेचा जाता है जो गुणवत्ता, उपलब्धता और सेवा *** पर अधिक ध्यान देते हैं। विशिष्ट रबड़ कैमिकल की उत्पादन लागत *** प्रतिशत. *** से भी कम है।

द. ईस्टमैन, लेंसेस, केमटुरा, यूनिरॉयल, सुमिटोमो आदि जैसे कंपनियों के बाहर होने के कारण विश्व इन उत्पादों में चीन के एकाधिकार की ओर जा रहा है।

ध. यदि परिसंपतियों के मूल्य की पुन: मूल्यांकित पुस्तक पर विचार किया जाए तो चार वर्ष की अवधि में अर्जित आरओआई काफी कम है। निवेश की आयु और वर्तमान मूल्य तथा क्षमता बढ़ाने में अपेक्षित निवेश पर भी विचार किया जाना चाहिए।

न. पहले से बढ़ी हुई क्षमता में एनओसीआईएल द्वारा किया गया निवेश अब काफी कम है क्योंकि संयंत्र का मूल्यह्रास हो गया है और निवेश की अवधि बीत गई है। यदि इस आय पर आरओआई संतोषजनक है तो आगे कोई निवेश नहीं किया जा सकता है। 22 प्रतिशत आरओआई तर्कसंगत हो सकता है परंतु देश में आगे निवेश के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है।

ञ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

154. जनहित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्रश्नावली का उत्तर देते समय प्रयोक्ता उद्योग पर एडीडी के मात्रात्मक प्रभाव को बताने की कोई कानूनी जरूरत नहीं है। कच्ची सामग्री की समग्र लागत ने एडीडी का संचयी प्रभाव *** प्रतिशत है। यह प्रभाव काफी अधिक है। एडीडी लगाने से ऑटो मोबाइल बाजार में मंदी, विदेशों से सस्ते आयात और महामारी के आर्थिक प्रभाव को देखते हुए घरेलू टायर उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

ख. "जनहित" की जांच के लिए किसी कानूनी जरूरत के नहीं होने पर विचार करते हुए एटीएमए और इसके सदस्यों ने अपेक्षित सूचना देने का वचन दिया है। इस संबंध में एक वस्तुनिष्ठ आकलन का अनुरोध है।

ग. चूंकि एनओसीआईएल रबड़ केमिकल बास्केट में ***+उत्पाद की आपूर्ति करती है, इसलिए प्राधिकारी से अगले पांच वर्षों में घरेलू उद्योग पर एडीडी नहीं लगाने के प्रभाव को ज्ञात करने का अनुरोध है। एटीएमए को इस पर टिप्पणी करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए

घ. घरेलू उद्योग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम डीए मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की गलत व्याख्या की है और वर्तमान जांच में उसकी कोई संगतता नहीं है।

ड. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि चीन के उत्पादक बाजार में प्रभुत्व बनाए हैं, जिससे अन्य कंपनियां बाहर जाने को मजबूर है, निराधार है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

च. घरेलू उद्योग भारत में पीयूसी का एकमात्र उत्पादक है और भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए व्यापार उपचार उपायों का लाभ उठाने का उसका 16 वर्ष का इतिहास है। उसके पास भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। एडीडी लगने से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीयूसी की कीमतों में कृत्रिम वृद्धि हो जाएगी। इस शुल्क से टायर उद्योग से संबंधित उद्योग भी प्रभावित होंगे।

छ. एटीएमए ने जांच शुरुआत से इस जांच का विरोध किया है और उसके सदस्यों ने प्रश्नावली का उत्तर टिप्पणियां और अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। घरेलू उद्योग का यह तर्क कि प्रयोक्ताओं ने कोई विरोधी नहीं किया है, निराधार है। एटीएमए सभी व्यापार उपचार जांचों में भाग ले रहा है और यह दर्शाता है कि एडीडी लगाने से प्रयोक्ताओं पर काफी अधिक प्रभाव पड़ना जारी रहेगा। सिएटी की वार्षिक रिपोर्ट में रबड़ केमिकल और कार्बन ब्लैक पर एडीडी का प्रभाव दर्शाया गया हे।

ज. घरेलू उद्योग भारतीय बाजार को एककाधिकारी बना रहा है और उसने रबड़ केमिकल क्षेत्र में किसी नई कंपनी को उभरने नहीं दिया है। यद्यपि, समय समय पर शुल्क लगाए गए हैं।

झ. एडीडी लगने से प्रयोक्ता घरेलू उद्योग की दया पर आश्रित हो जाएंगे, जिससे कीमत में कृत्रिम वृद्धि होगी।

ञ. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि प्रयोक्ता अपनी कच्ची सामग्री की आपूर्ति भारत की ओर ला रहे हैं, गलत है क्योंकि घरेलू उद्योग ने ऐसी सदस्य कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट पर भरोसा किया है जो केवल पीयूसी के लिए नहीं बल्कि कच्ची सामग्री के समेकित आंकड़े प्रस्तुत करती हैं। कच्ची सामग्री खरीदना एक वाणिज्यिक निर्णय है और घरेलू स्रोतों से इस हाल के बदलाव को महामारी के कारण आपूर्ति ऋंखला में रुकावट के रूप में देखा जाना चाहिए।

ट. भारतीय टायर उद्योग की वृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग ने बताया था कि ऑटो मोबाइल बाजार में मंदी है और अनुमानित वृद्धि एडीडी के प्रभाव को शामिल नहीं करती है जिससे उद्योग सीधे प्रभावित होगा।

ठ. घरेलू उद्योग के इस दावे के विपरीत कि केवल एटीएमए के तीन सदस्यों ने उत्तर दिया है, एटीएमए के चार सदस्यों ने प्रश्नावली के उत्तर के रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

ड. एटीएमए सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है और उसके कुछ सदस्यों द्वारा प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं करने को वर्तमान जांच का विरोध नहीं समझा जाना चाहिए। किसी प्रयोक्ता एसोसिएशन के सभी सदस्यों के लिए प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने का कोई अधिदेश नहीं है।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

155. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपाय लागू होने से भारत के बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लागू होने से पाटन की प्रक्रिया से अर्जित अनुचित लाभ समाप्त होंगे। घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं के लिए संबंध वस्तुओं के व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने मे मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यत: पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। अत: पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाने से संबद्ध देश से आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

156. प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लागू होने से जनहित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ऐसा प्रभाव निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में वस्तु की उपलब्धता, उत्पाद के प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव और व्यापक रूप से आम जनता पर प्रभाव के संबंध में शुल्क लगाने के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। यह निर्धारण वर्तमान जांच की प्रक्रिया में किए गए अनुरोधों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित है।

157. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उनके प्रचालनों पर एडीडी के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच में संगत सूचना प्रदान करने के लिए उपभोक्ताओं हेतु एक प्रश्नावली भी विहित की थी। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की प्रतिस्थापनीयता स्रोत बदलने की उपभोक्ताओं की क्षमता, उपभोक्ताओं पर एडीडी के प्रभाव, एडीडी लागू होने के कारण नई स्थिति से समायोजन में शीघ्रता या देरी की संभावना वाले कारकों संबंधी सूचना मांगी थी।

158. इस दलील के संबंध में कि सभी प्रयोक्ताओं के लिए प्रश्नावली का उत्तर देना अनिवार्य नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ताओं की भागीदारी से उनके प्रचालनों पर शुल्क के प्रभाव संबंधी सूचना प्राप्त होने में सरलता होती है। प्राधिकारी जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपभोक्ताओं और आम जनता पर प्रस्तावित उपायों के प्रभाव का विश्लेषण और निर्धारण कर सकते हैं।

159. प्रयोक्ता उद्योग पर एडीडी के प्रभाव संबंधी तर्क के बारे में यह नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया कि विचाराधीन उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लागू होने से उपभोक्ताओं और आम जनता पर कैसे अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एडीडी के प्रभाव की मात्रा बताने और एडीडी लागू होने से उनके प्रतिकूलत: प्रभावित होने के संबंध में प्रयोक्ताओं को सभी प्रपत्र देने के बावजूद किसी भी प्रयोक्ता ने संगत सूचना नहीं दी है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताई है, तथापि प्रयोक्ता एसोसिएशन ने टायर के विनिर्माण में प्रयुक्त समस्त कच्ची सामग्रियों पर पाटनरोधी शुल्क का संचयी प्रभाव बताया है जिसमें विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद शामिल हैं। चूंकि वर्तमान जांच केवल टीडीक्यू, पीवीआई और सीबीएस के सबंध में है, इसलिए प्राधिकारी ने केवल इन उत्पादों पर संभावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच की है। अन्य कच्ची सामग्रियों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच प्राधिकारी ने संबंधित जांचों में की है और वर्तमान जांच में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। यह नोट किया जाता है कि प्रयोक्ता एसोसिएशन ने कार्बन ब्लैक, नाइलोन टायर कोर्ड फैब्रिक, स्टाईरीन बुटाडीन रबड़, पोलीबुटाडीन रबड़ के आयातों पर शुल्क पर विचार किया है, जिनमें से अब कुछ लागू नहीं हैं। इसके अलावा, प्रयोक्ता एसोसिएशन ने टायर उद्योग या अंतिम उत्पाद या आम जनता पर इन शुल्कों के अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव को नहीं दर्शाया है। टायर उद्योग की अनेक निविष्टियों पर पाटनरोधी शुल्क लागू होने की अवधि के दौरान भी प्रयोक्ता

एसोसिएशन टायरों के उत्पादन, बिक्री, कीमत या लागत या अंतिम उत्पाद अथवा आम जनता पर भारी प्रतिकूल प्रभाव दर्शाने में असमर्थ रहा है। अत: यह नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर एडीडी का प्रभाव सिद्ध नहीं किया है। इसके अलावा, यदि यह माना भी जाए कि एडीडी लागू होने से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पाद से कीमत स्तर प्रभावित होंगे, तो भी यह नोट किया जाता है कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों से कम नहीं होगी। विशेष रूप से यदि एडीडी की राशि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित हो। पाटनरोधी उपाय लगाने का उद्देश्य पाटन की प्रक्रिया से अर्जित अनुचित लाभ को समाप्त करना, घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगाना और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक उपलब्ध बनाए रखना है।

160. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक बाजार में एकाधिकार के लिए प्रयास कर रहा है और पाटनरोधी शुल्क से डाउनस्ट्रीम उद्योग प्रभावित होगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में अनेक मापदंडों के अनुसार गिरावट आई है और यदि घरेलू उद्योग एकाधिकार की स्थिति में होता तो ऐसा नहीं होता। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क लागू होने से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे। पाटनरोधी शुल्क सुनिश्चित करता है कि आयात भारतीय बाजार में उचित कीमतों पर प्रवेश करें और विदेशी निर्यातक और घरेलू उद्योग के बीच समान अवसर वाली प्रतिस्पर्धा हो। यह भी नोट किया गया है कि प्रयोक्ता उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि घरेलू उद्योग ने वास्तव में एकाधिकार की स्थिति अपनाई है, जब पूर्व में अनेक रबड़ रसायनों के आयातों पर शुल्क लागू थे। इसके विपरीत, यह देखा गया है कि पहले कार्बन ब्लैक, नाइलोन टायर कोर्ड फैब्रिक, स्टाइरीन बुटाडीन रबड़, पोलिबुटाडीन रबड़ के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू था और इनमें से कुछ पर अब शुल्क समाप्त हो गया है। प्रयोक्ता एसोसिएशन ने उपलब्धता या कीमत पर इन शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव को नहीं दर्शाया है। वर्तमान मामले में भी यह उत्पाद जुलाई, 2019 तक शुल्क के अधीन था और यह देखा गया है कि शुल्क अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा काफी अधिक था। यह भी देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क सहित आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से वास्तव में अधिक थी। इस प्रकार यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने लागू एडीडी जोड़ने के बाद आयातों की पहुंच कीमत की सीमा तक कीमत प्रभारित नहीं की है। ऐसे मामले में इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि घरेलू उद्योग ने विशेष रूप से तब जबकि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद आयातों की पहुंच कीमत की सीमा तक भी कीमत प्रभारित नहीं की है, एकाधिकारी स्थिति का सहारा लिया है।

161. प्राधिकारी ने कंपनी के समग्र कार्य-निष्पादन पर विचार किया है जिसमें घरेलू और निर्यात, दोनों बाजारों में वर्तमान जांच के अधीन नहीं शामिल उत्पादों का कार्य-निष्पादन भी शामिल है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह नोट किया जाता है कि पीयूसी अर्थात टीडीक्यू, पीवीआई और सीबीएस संयुक्त रूप से कंपनी की क्षमता का ***- *** प्रतिशत, उत्पादन का ***- *** प्रतिशत, बिक्री मात्रा का ***- *** प्रतिशत, बिक्री आय का ***- *** प्रतिशत और क्षति अवधि के दौरान कंपनी के लाभ का केवल ***- *** प्रतिशत हिस्सा है। विचाराधीन उत्पादों का समग्र कार्य-निष्पादन गैर-पीयूसी उत्पादों की तुलना में लाभ और निवेश पर आय की दृष्टि से कम हुआ है।

तालिका-1: एनओसीआईएल के समग्र व्यापार में पीयूसी व्यापार का हिस्सा

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
1	क्षमता	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*106*	*114*	*114*
2	उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*108*	*111*	*103*
3	बिक्री मात्रा	%	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*111*	*111*	*105*
4	बिक्री आय	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*119*	*104*	*89*
5	आरसी व्यापार का लाभ	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*120*	*120*	*77*
6	आरओआई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*133*	*71*	*21*

तालिका-2: एनओसीआईएल के समग्र व्यापार में एनपीयूसी विशिष्ट रसायनों का हिस्सा

क्र.सं.	**विवरण**	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**पीओआई**
1	क्षमता	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*92*	*108*	*108*
2	उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*114*	*121*
3	बिक्री मात्रा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*114*	*121*
4	बिक्री आय	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*107*	*114*	*121*
5	लाभ	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*110*	*180*	*370*
6	आरओआई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*115*	*99*	*85*

तालिका-3: एनओसीएल के समग्र व्यापार में एनपीयूसी रबड़ रसायन व्यापार का हिस्सा (विशिष्ट रसायनों को छोड़कर) (सूचीबद्ध रूप में)

क्र.सं.	**विवरण**	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**पीओआई**
1	क्षमता	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*114*	*116*	*116*
2	उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*84*	*80*
3	बिक्री मात्रा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*95*	*88*	*83*
4	बिक्री आय	%	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*97*	*74*	*65*
5	आरसी व्यापार का लाभ	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*92*	*33*	*2*
6	आरओआई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*67*	*22*	*0*

ट .<u>निष्कर्ष एवं सिफारिशें</u>

.162 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:

क. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है। प्राधिकारी ने मैसर्स लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी। तथापि उन्होंने जांच के दौरान कोई सूचना नहीं दी थी।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबंधित संबद्ध देशों से आयातित उत्पादों के समान वस्तु हैं।

ग. संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबंधित संबद्ध देशों में से प्रत्येक से संबद्ध वस्तु के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। पाटन मार्जिन काफी अधिक है। वास्तव में, निर्धारित पाटन मार्जिन क्षति मार्जिन से भी अधिक है।

घ. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के दावों के संबंध में, प्राधिकारी ने किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उनसे संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों की अनुमति दी है।

ड. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है, जैसा कि उक्त जांच से स्पष्ट है और नीचे सारांश दिया गया है:

i. **टीडीक्यू:** संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति अवधि और जांच अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में गिरावट आई है।

ii. **पीवीआई:** संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यद्यपि संबद्ध देश से आयात की मात्रा में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में गिरावट आई है। तथापि पूर्ववर्ती वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। कीमत कटौती से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति अवधि और जांच अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में गिरावट आई है।

iii. **सीबीएस:** संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती, ह्रास और न्यूनीकरण कर रहे हैं। जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति अवधि और जांच अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में गिरावट आई है।

च. घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति संबंधित संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण हुई है।

छ. उपभोक्ता उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि विचाराधीन उत्पादों पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क से उपभोक्ताओं पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ेगा। उपभोक्ता उद्योग ने यह भी नहीं दर्शाया है कि घरेलू उद्योग ने उनकी कीमतों में शुल्क की पूरी राशि प्रभारित की है। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क सहित आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ उसकी तुलना से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने वास्तव में पाटनरोधी शुल्क के अधिकांश हिस्से को अपनी कीमत में नहीं जोड़ा है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत वास्तव में पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद आयातों की पहुंच कीमत से कम है। वर्तमान विचाराधीन उत्पाद पर पहले पाटनरोधी शुल्क लागू था। यह नोट किया गया है कि जब शुल्क लागू भी था तो भी संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा काफी अधिक बना रहा। आयातों का यह उच्च बाजार हिस्सा देश में पर्याप्त क्षमताओं की उपलब्धता के बावजूद था। इसके अलावा, जब पहले अनेक उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लागू था तो टायर उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि विभिन्न निविष्टियों पर एडीडी लागू होने से शुल्क की अवधि के दौरान उन पर उपलब्धता संबंधी कोई समस्या आई थी और शुल्क लगाने के कारण उन्हें कोई परेशानी हुई थी। इस प्रकार, उपभोक्ताओं ने निविष्टियों की उपलब्धता या उनकी कीमतों के अनुसार पूर्व में लागू एडीडी के प्रतिकूल प्रभाव को सिद्ध नहीं किया है। यद्यपि, घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभावों की मात्रा बताई है और यह दर्शाया है कि वह बिल्कुल मामूली है, प्रयोक्ता एसोसिएशन ने टायर के विनिर्माण में प्रयुक्त समस्त कच्ची सामग्री पर पाटनरोधी शुल्क के संचयी प्रभाव की मात्रा बताई है, जिसमें विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद शामिल हैं। क्योंकि वर्तमान जांच केवल टीडीक्यू, पीवीआई और सीबीएस के संबंध में है, इसलिए प्राधिकारी ने केवल इन उत्पादों पर संभावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच की है। अन्य कच्ची सामग्रियों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की प्राधिकारी द्वारा संबंधित जांचों में जांच की गई है और वर्तमान जांच में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

झ. अन्य हितबद्ध पक्षकार यह सिद्ध करने में समर्थ नहीं रहे हैं कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करना व्यापक जनहित के विपरीत कैसे होगा। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक जनहित के विरुद्ध नहीं होगा। घरेलू उद्योग ने टायर और गैर-टायर उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रभाव की मात्रा बताई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसका प्रभाव टायर उद्योग पर बहुत कम अर्थात् 0.04 प्रतिशत और गैर-टायर उद्योग पर 0.17 प्रतिशत है।

ञ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में अनेक मापदंडों के कारण गिरावट आई है। यदि घरेलू उद्योग एकाधिकार की स्थिति में होता तो ऐसा नहीं हो सकता था। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे।

ट. प्राधिकारी ने ऐसी अवधि पर विचार करते हुए वर्तमान जांच की है जो पाटनरोधी नियमावली और डब्ल्यूटीओ एडी करार के बिल्कुल अनुरूप है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच अवधि के चयन के कारण, वर्तमान निर्धारण में किसी अनुपयुक्तता को सिद्ध नहीं किया है।

ठ. प्राधिकारी ने नोट किया है कि विचाराधीन उत्पादों के मुनाफे और निवेश पर प्रतिफल के संदर्भ में घरेलू उद्योग के समग्र प्रदर्शन में काफी गिरावट आई है।

ड. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की पहुंच कीमत और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में जुलाई, 2019 में भारी गिरावट आई है जो कोविड-19 लॉकडाउन से पहले का समय था। 2019-20 में आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट के लिए मांग में गिरावट या कोविड-19, या एडीडी की समाप्ति जिम्मेदार रही है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के बावजूद 2019-20 में सीआईएफ आयात कीमतों में तेजी से गिरावट आई थी। शुल्क समाप्त होने से विदेशी उत्पादकों को बाजार से बेहतर कीमत प्राप्त होनी चाहिए थी। तथापि, उत्पाद की सीआईएफ कीमत में भारी गिरावट आई है और वह उत्पादन लागत में गिरावट से कहीं अधिक है। विदेशी उत्पादकों द्वारा कीमत कटौती से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को बाजार में अपनी कीमतों पर अत्यधिक कीमत न्यूनकारी प्रभाव का सामना करना पड़ा है। कीमत ह्रास से घरेलू उद्योग की कीमत में आई भारी गिरावट उत्पादन लागत में गिरावट से काफी अधिक है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट न

केवल पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर 2019-20 में आई थी, बल्कि क्षति अवधि में भी आई थी और यह जांच अवधि में भी जारी रही। इसके अलावा, यह गिरावट उत्पादन लागत में परिवर्तन के औचित्य से काफी अधिक थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट न्यायोचित हो सकती थी। तथापि, शुल्क की समाप्ति आयातों की पहुंच कीमत में भारी गिरावट को विशेष रूप से तब उचित नहीं ठहराती जबकि उसे पाटनरोधी शुल्क के बिना निर्धारित किया गया है और उत्पादन लागत में कोई संगत गिरावट नहीं हुई है। इसके अलावा शुल्क समाप्ति से विदेशी उत्पादकों को बाजार में उच्चतर कीमत प्राप्त हो सकती थी। तथापि यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान प्रत्येक संबद्ध उत्पाद में कीमत में तीव्र गिरावट आई थी। इस प्रकार, देश में उत्पाद के पाटन के कारण कीमतों में और परिणामस्वरूप लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह में भारी गिरावट आई है।

163. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू के बारे में सकारात्मक सूचना देने के लिए घरेलू उद्योग, संबंधित देशों की सरकार, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। एडीडी नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरु करने और संचालित करने के बाद और ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सकारात्मक क्षति मार्जिन तथा वास्तविक क्षति सिद्ध करने के बाद प्राधिकारी का विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लागू करना आवश्यक है, चूंकि यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीबीएस के आयातों के संबंध में क्षति मार्जिन नकारात्मक है। इसलिए यूरोपीय संघ से सीबीएस के उत्पादकों और निर्यातकों के विरुद्ध किसी पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती है।

164. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। तद्नुसार, प्राधिकारी चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टीडीक्यू के आयातों, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीवीआई के आयातों और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीबीएस के आयातों पर पांच साल की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना की तारीख से नीचे दी गई शुल्क तालिका कॉलम 7 में यथा-उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	38123100	रबड़ कैमिकल टीडीक्यू	चीन जन.गण	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	कोई	231	मी.टन	यूएसडॉलर
2.	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ, रूस और चीन जन.गण. से इतर कोई देश	चीन जन.गण	कोई	231	मी.टन	यूएसडॉलर
3.	-वही-	-वही-	यूरोपीय	यूरोपीय	कोई	416	मी.टन	यूएसडॉलर

			संघ	संघ सहित कोई अन्य देश				
4.	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ, रूस और चीन जन.गण. से इतर कोई देश	यूरोपीय संघ	कोई	416	मी.टन	यूएसडॉलर
5.	-वही-	-वही-	रूस	रूस सहित कोई अन्य देश	कोई	219	मी.टन	यूएसडॉलर
6.	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ, रूस और चीन जन.गण. से इतर कोई देश	रूस	कोई	219	मी.टन	यूएसडॉलर
7.	3812	रबड़ कैमिकल पीवीआई	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई अन्य देश	कोई	1146	मी.टन	यूएसडॉलर
8.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. से इतर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	1146	मी.टन	यूएसडॉलर
9.	-वही-	रबड़ कैमिकल सीबीएस	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई अन्य देश	कोई	488	मी.टन	यूएसडॉलर
10.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. से इतर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	488	मी.टन	यूएसडॉलर

ठ. आगे की प्रक्रिया

165. इस सिफारिश से उत्पन्न होने वाले केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पादक शुल्क और सेवा-कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDING

New Delhi, the 30th March, 2022

Case No. AD (OI)-04/2021

Subject: Anti-dumping Investigation concerning imports of Certain Rubber Chemicals viz., TDQ originating in or exported from China PR, European Union and Russia, PVI originating in or exported from China PR, and CBS originating in or exported from China PR and European Union

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/4/2021 -DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Rules") thereof.

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as "Authority") received an application from M/s NOCIL Limited (hereinafter also referred to as the "applicant") requesting initiation of an anti-dumping investigation under the Act and the Rules on imports of "Certain Rubber Chemicals viz., TDQ, PVI and CBS' (hereinafter referred to as 'subject goods' or 'products under consideration') in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the "Rules"). The present investigation concerns import of TDQ originating in or exported from China PR, European Union and Russia; imports of PVI originating in or exported from China PR, and CBS originating in or exported from China PR and European Union. The applicant, namely, M/s NOCIL Limited has provided the prescribed information in the application.

2. The Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/4/2021-DGTR dated 31st March, 2021, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the respective subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:

   a. The Authority notified the Embassies of the respective subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-rule (5) of Rule 5 supra.

   b. The Authority issued a public notice dated 31st March, 2021 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the respective subject countries.

   c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 31st March, 2021, to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the respective subject countries, known importers, importer/user Associations and other interested parties, as per the addresses made available by the applicant. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and to make their submissions known in writing within the prescribed time-limit in accordance with Rules 6(2) and 6(4) of the Rules.

   d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the respective subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.

   e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to it along with the names and addresses of the known producers/exporters from the respective subject countries.

f. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time to the interested parties to file their Questionnaire Responses. Vide communication dated 11th May, 2021, the time was extended up to 22nd May, 2021. Vide communication dated 20th May, 2021, the time was extended up to 5th June, 2021.

g. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters of the subject goods in the respective subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

i. M/s. Dalian Richon Chem Co. Ltd. (TDQ, PVI, CBS)

ii. M/s. Henan Kailun Chemical Co. Ltd. (TDQ, PVI)

iii. M/s. Jiangsu Company, Sinopec Chemical Commercial Holding (TDQ, CBS)

iv. M/s. Kemai Chemical Co. Ltd. (TDQ, CBS)

v. M/s. Stair Chemical & Technology Co. (TDQ)

vi. M/s. Huangyan Zhedong Rubber Auxiliary Imp. & Exp. Co. (TDQ, PVI, CBS)

vii. M/s. Sennics Co. Ltd. (TDQ)

viii. M/s. Shandong Sunshine Chemical Co. Ltd./ China Sunshine (TDQ, PVI, CBS)

ix. M/s. Lanxess Deutstschland Gmbh (TDQ)

x. M/s. General Quimica S.A.U. (TDQ, CBS)

xi. M/s. Heveachem International Pte. Ltd. (TDQ)

xii. M/s. Public Joint Stock Company, Khimprom (TDQ)

xiii. M/s. Shandong Yanggu Huatai Chemical (PVI, CBS)

xiv. M/s. Shandong Derek New Materials Co. (PVI, CBS)

xv. M/s. Qingdao Welltech Chemicals Co. Ltd. (PVI, CBS)

xvi. M/s. Qingdao Bochenheng Trading Co. Ltd. (PVI)

xvii. M/s. Tangyin Yongxin Chemistry Co. Ltd. (PVI)

xviii. M/s. Lanxess N.V (CBS)

xix. M/s. Hebi Ruida Chemical Technology Co. (CBS)

xx. M/s. Qingdao Auxiliary Chemical Co. (CBS)

xxi. M/s. Zhengzhou Meikewote Trade Co. Ltd. (CBS)

xxii. M/s. Nanjing Union Rubber and Chemicals Co. Ltd. (CBS)

xxiii. M/s. Ningbo Sheen-All Chemical Co. Ltd. (CBS)

xxiv. M/s. Zhengzhou Double Vigour Chemical Product Co. Ltd. (CBS)

xxv. M/s. Puyang Willing Chemicals Co., Ltd. (CBS)

xxvi. M/s. Shenyang Sunway Trading Co., Ltd. (CBS)

xxvii. M/s. Stair Chemical & Technology Co. (CBS)

xxviii. M/s. Taizhou Huangyan Donghai Chemical Co. Ltd. (CBS)

xxix. M/s. Willing New Materials Technology Co. Ltd. (CBS)

xxx. M/s. RDC S.R.L. (CBS)

xxxi. M/s. Duslo. A. S. (CBS)

h. In response to the above notification, the following producers/exporters and their related exporters/traders have responded and submitted/filed exporters' questionnaire responses and/or legal submissions:

i. M/s. Shandong Derek New Materials Co. Ltd. China PR (Producer of PVI and CBS)

ii. M/s. Shandong Yanggu Huatai International Co. Ltd China PR (Exporter of PVI and CBS)

i. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

i. M/s. Agarwal Rubber Limited (TDQ, CBS)
ii. M/s. Apollo Tyres Limited (TDQ, PVI, CBS)
iii. M/s. Asian Tire Factory Limited (TDQ, PVI, CBS)
iv. M/s. ATC Tires Private Limited (TDQ, PVI, CBS)
v. M/s. B.P. Chemicals (TDQ, CBS)
vi. M/s. Balkrishna Industries Limited (TDQ, PVI, CBS)
vii. M/s. Constech Enterprises Pvt. Ltd. (TDQ)
viii. M/s. Deccan Fine Chemicals (India) Pvt. Ltd. (TDQ)
ix. M/s. Forech India Private Limited (TDQ)
x. M/s. Forech Mining & Construction (TDQ)
xi. M/s. Globus Rubchem Private Limited (TDQ)
xii. M/s. Govind Rubber Limited (TDQ)
xiii. M/s. Hartex Rubber Private Limited (TDQ)
xiv. M/s. JK Tyre & Industries Limited (TDQ)
xv. M/s. Kohinoor India Pvt. Ltd. (TDQ)
xvi. M/s. Lanxess India Pvt. Ltd. (TDQ, PVI, CBS)
xvii. M/s. Malhotra Rubbers Ltd. (TDQ)
xviii. M/s. Maxxis Rubber India Private Limited (TDQ)
xix. M/s. Merchem Limited (TDQ, CBS)
xx. M/s. MRL Tyres Limited (TDQ)
xxi. M/s. NRC Industries Ltd. (TDQ)
xxii. M/s. Oriental Rubber Industries Pvt. Ltd. (TDQ)
xxiii. M/s. PMC Rubber Chemicals India Pvt. Ltd. (TDQ, PVI, CBS)
xxiv. M/s. Poddar Tyres Limited (TDQ, CBS)
xxv. M/s. Pukhraj Engg And Chemicals Pvt. Ltd. (TDQ, PVI, CBS)
xxvi. M/s. Sarvoday Rubber Corporation (TDQ)
xxvii. M/s. Speedways Rubber Company (TDQ, PVI, CBS)
xxviii. M/s. Surendra Elastomers Pvt. Ltd. (PVI, CBS)
xxix. M/s. TVS Srichakra Limited (TDQ, PVI, CBS)
xxx. M/s. Vagmi Chemicals Private Limited (TDQ)
xxxi. M/s. Yasho Industries Limited (TDQ)
xxxii. M/s. Zenith Industrial Rubber Products Pvt. Ltd. (TDQ, PVI, CBS)
xxxiii. M/s. Sunrise Industrial Corporation (TDQ)
xxxiv. M/s. Black Rose Industries Limited (PVI)
xxxv. M/s. Bridgestone India Private Limited (PVI)
xxxvi. M/s. Cavendish Industries Limited (PVI)
xxxvii. M/s. CEAT Limited (PVI)
xxxviii. M/s. Coastal Rubber Equipment Private Limited (PVI)
xxxix. M/s. Continental India Private Limited (PVI, CBS)
xl. M/s. Dalmia Polymers LLP (PVI, CBS)
xli. M/s. Forech India Private Limited (PVI, CBS)

xlii. M/s. Goodyear India Limited (PVI, CBS)

xliii. M/s. Goodyear South Asia Tyres Private Limited (PVI, CBS)

xliv. M/s. JK Tyre & Industries Limited (PVI, CBS)

xlv. M/s. Kesoram Industries Ltd. (PVI)

xlvi. M/s. MRF Limited (PVI, CBS)

xlvii. M/s. Oriental Rubber Industries Pvt. Ltd. (PVI, CBS)

xlviii. M/s. ASP Sealing Products Limited (CBS)

xlix. M/s. Chowdhry Rubber & Chemical Pvt. Ltd. (PVI)

l. M/s. Climax Overseas Pvt. Ltd. (PVI)

li. M/s. Dharamshila Belting Pvt. Ltd. (PVI)

lii. M/s. Evermore Industries India Private Limited (PVI)

liii. M/s. Forech Mining & Construction International LLP (CBS)

liv. M/s. General Rubbers (Midas) (CBS)

lv. M/s. Hartex Rubber Private Limited (CBS)

lvi. M/s. KD Impex (CBS)

lvii. M/s. Kohinoor India Pvt. Ltd. (CBS)

lviii. M/s. Mahajan Tyre Company (CBS)

lix. M/s. Metro Tyres Limited (CBS)

lx. M/s. Premier Conveyors Pvt. Ltd. (CBS)

lxi. M/s. Ralson (India) Limited (CBS)

lxii. M/s. Rishiroop Limited (CBS)

lxiii. M/s. **S**peedways Tyre Limited (CBS)

lxiv. M/s. Subh Chemicals (CBS)

lxv. M/s. Vagmi Chemicals Private Limited (CBS)

lxvi. M/s. Vinko Auto Industries Ltd. (CBS)

lxvii. M/s. Welman India Private Limited (CBS)

lxviii. M/s. Globus Rubchem Private Limited (CBS)

j. In response to the above notification, the following importers or users have responded and submitted importer/user questionnaire responses/legal submissions and/or registered as interested parties:

i. M/s. CEAT Limited

ii. M/s. JK Tyre & Industries Limited

iii. M/s. MRF Limited

iv. M/s. Apollo Tyres Limited

k. Submissions have been made by Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA), hereinafter also referred to as "user association", and the Russian Federation. The submissions made have been duly considered in the present final finding.

l. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by the various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing global pandemic.

m. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st October 2019 to 30th September 2020 (12 months). The injury examination period is the period from 2017-18, 2018-19, 2019 –2020 and the period of investigation (POI).

n. The Authority obtained transaction-wise import data from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Directorate General of Systems & Data Management (DGS) for the subject goods for the injury period, including the period of investigation, and analysed the data after due examination of the transactions.

o. The non-injurious price (hereinafter referred to as 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable profit to sell the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

p. The information provided by the applicant and the responding exporters was examined by the Authority by way of a table study, to the extent deemed necessary. Only such information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied.

q. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

r. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present final finding on the basis of the facts available.

s. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held through video conferencing on 2nd September, 2021. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with the other interested parties and were advised to offer their rebuttals.

t. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 18th March 2022, and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.

u. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority in this final finding.

v. '***' in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

w. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US $= Rs. 74.38.

C. PRODUCTS UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the products under consideration were defined as:

"*3. The products under consideration in the present investigation are "Certain Rubber Chemicals viz., TDQ, PVI and CBS". They are defined as under:*

a. '2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline' or 'TDQ', is a rubber antioxidant produced from acetone and aniline. It is used to provide long-term protection to rubber vulcanizates against oxidative ageing at ambient as well as elevated temperatures. It also offers protection against degradation caused by ozone under static as well as dynamic conditions.

b. 'N-(cyclohexylthio) pthalimide' or 'PVI', is a rubber pre-vulcnization inhibitor produced from butanol, potassium hydroxide, cyclohexyl mercaptan/dichloro disulphide, ammonia, chlorine and phthalic anhydride. It is used to produce the desired scorch delay depending on the type of rubber, loadings of reinforcing fillers, selection of accelerator type and dosage, sulphur dosapge etc. used in the compounding formulations.

c. *'N-cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide' or 'CBS', is a rubber accelerator produced from sodium mercapto benzo thiazole, cyclohexylamine, and hydrogen peroxide. It is used for scorch safety during rubber compound processing operations and improves the storage life of processed rubber stocks.*

C.1. Submissions by the domestic industry

5. The submissions made by the domestic industry with regard to the products under consideration and like article are as follows:

   a. The products manufactured by the domestic industry is like article to the products imported from the subject countries.

   b. Consumers use the product manufactured by the domestic industry and the producers in the subject countries interchangeably.

C.2. Submissions by other interested parties

6. No submissions were made by the other interested parties with regard to the products under consideration and like article.

C.3. Examination by the Authority

7. The products under consideration in the present investigation is "Certain Rubber Chemicals viz., Rubber Chemical TDQ, Rubber Chemical PVI, and Rubber Chemical CBS". They are defined as under:

   a. '2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline' or 'TDQ', is a rubber antioxidant produced from acetone and aniline. It is used to provide long-term protection to rubber vulcanizates against oxidative ageing at ambient as well as elevated temperatures. It also offers protection against degradation caused by ozone under static as well as dynamic conditions.

   b. 'N-(cyclohexylthio) pthalimide' or 'PVI', is a rubber pre-vulcnization inhibitor produced from butanol, potassium hydroxide, cyclohexyl mercaptan/dichloro disulphide, ammonia, chlorine and phthalic anhydride. It is used to produce the desired scorch delay depending on the type of rubber, loadings of reinforcing fillers, selection of accelerator type and dosage, sulphur dosage etc. used in the compounding formulations.

   c. 'N-cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide' or 'CBS', is a rubber accelerator produced from sodium mercapto benzo thiazole, cyclohexylamine, and hydrogen peroxide. It is used for scorch safety during rubber compound processing operations and improves the storage life of processed rubber stocks.

8. While there is dedicated ITC HS Classification for TDQ, there is no dedicated ITC HS classification for PVI and CBS. The products under consideration are classified under the Chapter 38 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the tariff custom classification 3812. However, there are also imports for the products under consideration under the Chapter 29 of the First Schedule. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.

9. The Authority notes from the information available on record that the products produced by the domestic industry are like article to each of the products under consideration imported from the respective subject country(ies). The products produced by the domestic industry and imported from the respective subject country(ies)are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authority, therefore, holds that the products produced by the domestic industry are like article to each of the subject goods imported from the respective subject countries in terms of Rule 2(d) of the AD Rules.

D. <u>SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY& STANDING</u>

D.1. Submissions of the domestic industry

10. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:

   a. The applicant, namely NOCIL Limited, constitute a major proportion of the total Indian production of like article to TDQ and 100% of the total Indian production of like article to PVI and CBS.

   b. The applicant is neither related to any exporters of TDQ, PVI and CBS in the respective subject country(ies) nor importers of the subject goods in India.

D.2. Submissions by other interested parties

11. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:

a. M/s. Lanxess India Private Ltd, another TDQ producer, should be considered within the scope of domestic Industry as the exclusion of relevant production and sales figures of Lanxess India could vitiate the data concerning injury resulting in lack of objectivity in the current investigation.

D.3. Examination by the Authority

12. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

13. The application has been filed by M/s. NOCIL Limited. As per information on record, the applicant accounts for 64 % of the total Indian production of the like article to TDQ, and 100% of the total Indian production of like article to PVI and CBS. The Authority notes that there is one another manufacturer of TDQ in India, namely, M/s. Lanxess India Private Limited. The applicant has certified that neither they are related to any exporters or producers of the products under consideration in the respective subject country(ies) or any importer of the products under consideration in India.

14. As regards the argument of consideration of production and sales figures of M/s Lanxess India Private Limited, it is noted that the Authority sent a copy of initiation notification to the company. However, M/s Lanxess India Private Limited did not provide any information during the investigation.

15. The Authority holds that the applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. <u>CONFIDENTIALITY</u>

E.1. Submissions by the domestic industry

16. The domestic industry has made the following submissions with regard to confidentiality:

a. Russian Federation failed to circulate the non-confidential version of their submissions to the domestic industry and hence their submissions should be disregarded.

b. The responding producer of PVI and CBS, its related exporter from China PR and the responding users failed to provide a meaningful non-confidential summary and resorted to excessive confidentiality, in violation of the rules and relevant trade notices issued.

c. The user questionnaire response filed in the present investigation violated the trade notice, excessive information has been claimed confidential, the information has not been provided to the authority with the intention to mislead, and the responses are incomplete.

d. The NCV of the petition is compliant with Rule 7, Trade Notice No. 1/2013 and Trade Notice No. 10/2018.

e. The impact analysis contains business proprietary information not amenable to summarisation.

E.2. Submissions by the other interested parties

17. The other interested parties have made the following submissions with regard to confidentiality:

a. The applicant has claimed excess confidentiality of data and has failed to share quarter-wise data with the respondents. Non-disclosure of such information violates the respondent's principles of natural justice. Reference has been made to Automotive Tyre Manufacturers Association vs. the Designated Authority (2011) 2 SCC 258.

b. The applicant has failed to analyse the parameters under the appropriate column of the Trade Notice 10/2018, it has also failed to provide the actual figures of the specified parameters in violation of the Trade Notice 10/2018.

c. Essential data on the calculations concerning the normal value were not disclosed, thereby preventing the interested parties to properly exercise their right of defence.

d. The exporters have only claimed business proprietary information as confidential. The responses are not in violation of the relevant regulations.

e. The questionnaire responses filed by the members of ATMA complies with the requirements under law and relevant Trade Notices. The importers have already provided the information alleged to be not provided by the DI. The arguments of the domestic industry is baseless. The domestic industry has

alleged that information has been claimed excessively confidential without providing legal requirements for the same. The domestic industry should be directed to refile the petition after incorporating requisite information in the interests of equity and justice.

f. The impact analysis submitted by the domestic industry cannot be taken into consideration by the Authority as it has claimed excessive confidentiality in complete violation of Rule 7 of the AD Rules. ATMA fails to understand how information pertaining to the members of ATMA can be claimed confidential from them. The confidentiality reasoning provided is malafide and is made in an attempt to prevent ATMA from defending their interests meaningfully. The SC decision in ATMA v. DA is relied on, where the duty of the Authority to follow natural justice principles was stated.

E.3. Examination by the Authority

18. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

"*Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information."*

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

19. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied allowed the claim on confidentiality. The Authority considers that an information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.

20. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the applicant and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority made available, to all interested parties, the public file containing non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).

21. As regards confidentiality claims of the domestic industry on impact analysis, it is noted that the calculation of the impact was based on confidential information of the domestic industry and therefore on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality.

F. <u>MISCELLANEOUS SUBMISSIONS</u>

F.1. Submissions by the domestic industry

22. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

a. As regards the applicant being a habitual user of trade remedial measures, there has been resumption of dumping whenever the duty was removed. Given the habitual dumping by the exporters, the domestic industry cannot be barred from approaching the Authority for prevention of unfair trade practice.

b. Anti-dumping duty is to prevent unfair trade measures and not to protect the domestic industry. Hence, the imposition of anti-dumping duty till the dumping and consequent injury thereof exists, is justified.

c. Absence of injury or rejection of previously filed applications are not sufficient grounds to assume absence of dumping. The present investigation is a fresh investigation wherein the domestic industry has already been established and examined by the Authority prior to initiation of the investigation.

d. Non imposition of provisional duties in Rubber Chemical PX-13 is irrelevant to the present investigation.

e. The requirements of Rule 5 have been met with after which the Authority has initiated the investigation. Further, Rules 5 and 6 does not require that the Designated Authority have full information at the stage of initiation.

f. Failure of the domestic industry to supply products due to lockdown is not a reason for exporters to dump. There are no restrictions on the subject countries to export the products under consideration into India at undumped prices.

g. Non-cooperation of the exporters in Russia and EU and incomplete responses of China PR implies acceptance of dumping of the subject goods by the exporters.

h. The responding producer and exporter have failed to file post-oral hearing written submissions and therefore, the domestic industry has been denied the right to defend its interests and the issues raised by the domestic industry has been left unaddressed.

F.2. Submissions by other interested parties

23. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:

a. The applicant is a habitual user of trade remedial measures for evading competition in the domestic market for the subject goods since 2004. The current application is not based on dumping or material injury but due to the applicant's habit of repeatedly approaching the Hon'ble DA until duties are imposed.

b. Apart from the subject goods, no provisional duties were imposed on Rubber Chemical PX-13 despite a positive recommendation.

F.3. Examination by the Authority

24. As regards the domestic industry being a habitual user of trade remedies, there is no bar on the number of times anti-dumping duty can be imposed. The recommendation for the imposition of anti-dumping duty is made only when the requisite legal requirements are met.

25. As regards the duties on PX-13, the non-imposition of anti-dumping duties on PX-13 has no relevance in the present investigation as the products under consideration are different.

G. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions by the domestic industry

26. Following submissions have been made by the domestic industry regarding normal value, export price and dumping margin.

a. The responses filed by the producer of PVI and its related exporter from China PR are grossly deficient and should be rejected. The exporter suppressed the fact that its parent company, M/s. Shandong Yanggu Huatai Chemical Company Limited, was engaged in exports to India and deliberately misled the Authority.

b. The responding producer and exporter should be denied individual margins, and consequences of misdeclaration should be considered. Reference has been placed on the final finding issued in anti-dumping investigation concerning imports of Saccharin from China PR, wherein responses were rejected as the parent company failed to respond, and later filed at a belated stage.

c. The domestic industry has provided evidence of exports of PVI made by the parent company i.e., M/s. Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd. during the period of investigation.

d. Exporters of TDQ from China PR, European Union and Russia or exporters of CBS from European Union should be considered non-cooperative as per Rule 6(8) due to failure to respond to questionnaires and the Authority should proceed according to the best information available.

e. Since there was no claim for market economy treatment, the dumping margin for exports from China PR should be determined by considering the normal value of China PR as export price of domestic industry to European Union with adjustments as consumption price.

f. As no producer/exporter from European Union and Russia have responded, it is requested that the export price of NOCIL to European Union and Russia be considered as consumption price in these countries. Additionally, in light of non-cooperation, adverse inference should be drawn, and highest duty may be applied.

g. The dumping margin for the period of investigation is above de-minimis and substantial.

G.2. Submissions of other interested parties

27. Following submissions have been made by the other interested parties regarding normal value, export price and dumping margin:

a. The parent company i.e., M/s. Shandong Yanggu Huatai Chemical Company Limited has been transferring the production of PVI to its affiliate.

b. The evidence given by the domestic industry regarding exports made by the parent company is not conclusive.

c. The affiliates use the parent company's name for advertising or publicity convenience. Further, Huatai is setting up more and more affiliates for different business.

d. The second page of Annexure A submitted is a third-party document, which has no legal authentication and hence, should not be considered. This document appears to be the numbers of weight and shipments to India, However, there are no product names or other details mentioned in the document. The information mentioned on the second page of Annexure A enclosed covers the period of almost 9 years from 2013 to 2021, which is different from POI.

G.3. Examination by the Authority

28. Under section 9A(1) (c), normal value in relation to an article means:

"i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either: a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);"

29. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have participated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

a. M/s. Shandong Derek New Materials Co. Ltd. (Producer of PVI and CBS from China PR)

b. M/s. Shandong Yanggu Huatai International Co. Ltd (Exporter of PVI and CBS from China PR)

30. The normal value and export price for the producers/exporters from the respective subject countries have been determined as below:

G.4. Determination of Normal Value

<u>Normal value of TDQ, PVI and CBS from China PR</u>

<u>Market Economy Status for Chinese Producers</u>

31. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

32. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a)(i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters of PVI and CBS from China PR have not submitted response to questionnaire in the form and manner prescribed and the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.

33. Accordingly, the normal value for the producers/exporters from China PR has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules which reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

34. The Authority notes that Normal Value for a country considered as a non-market economy is required to be computed in accordance with para 7 and 8 of Annexure 1 of AD rules. In the instant case, the responding exporters have not filed any MET questionnaire and therefore the Authority notes that options under para 7 of Annexure-I to AD rules need to be explored.

35. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under para 7 of Annexure-I.

36. The domestic industry has proposed European Union as the "surrogate country" for China PR and proposed to consider the export price of the domestic industry to EU for all three products under consideration i.e., TDQ, PVI and CBS, with adjustments as consumption price. The domestic industry considers Europe to be an appropriate surrogate country for all three products under consideration as it is a major producer and exporter of the products under consideration and the products under consideration produced in Europe is like article to those produced in China PR.

37. After analysis of the information on record, it was found inappropriate to consider European Union as a surrogate country for determination of normal value of China PR since no evidence was placed on records by the domestic industry on similarity on level of development of European Union and China PR. In addition, the volume of exports by NOCIL to European Union were very low as compared to imports from China PR into

India. Therefore, in absence of sufficient information on export of PUC to other country, the Authority cannot adopt option 2 of para 7 hierarchy.

38. Therefore, in view of the above, the Authority holds that the normal value for all the producers/exporters of the subject goods in the China PR for all three products under consideration i.e., TDQ, PVI and CBS been determined on the basis of cost of production of the domestic industry, duly adjusted, and after adding selling, general, and administrative expenses and reasonable profit margin. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

Normal value of TDQ in Russia

39. The Authority notes that none of the exporter/producer from Russia has responded to the Authority in present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers in Russia, the Authority determines the normal value on the basis of facts available. The Authority notes that, since TDQ has a dedicated HS classification, the normal value has been determined based on the import price of TDQ into Russia based on TradeMap data. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

Normal value of TDQ in European Union

40. The Authority notes that none of the exporter/producer from European Union has responded to the Authority in present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers in European Union, the Authority determines the normal value on the basis of facts available. The Authority notes that, since TDQ has a dedicated HS classification, the normal value has been determined based on the import price of TDQ into the European Union based on TradeMap data. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

Normal value of CBS in European Union

41. The Authority notes that none of the exporter/producer from European Union has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers in the European Union, the Authority determines the normal value on the basis of facts available. The domestic industry claimed normal value as its export price of CBS to the European Union. Since the volume of exports by the domestic industry to European union is miniscule, the Authority has rejected the claim of the domestic industry of considering its export price as normal value. The Authority has determined normal value in the EU on the basis of the cost of production of the domestic industry, duly adjusted with selling, general and administrative expenses, plus reasonable profit. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

G.5. Export Price

Examination of the response submitted by M/s. Shandong Derek New Materials Co. Ltd. (Producer) and M/s. Shandong Yanggu Huatai International Co. Ltd (Exporter)

42. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following producers/exporters participated:

a. M/s. Shandong Derek New Materials Co. Ltd. (Producer)

b. M/s. Shandong Yanggu Huatai International Co. Ltd (Exporter)

43. M/s Shandong Derek New Materials Co. Ltd., China ('Derek') filed the exporter's response as a producer and its affiliate M/s Shandong Yanggu Huatai International Co. Ltd, China ('Yanggu') filed a separate response as exporter of subject goods. Both the entities are fully owned by M/s Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.('Huatai').

44. The domestic industry vide a letter dated 06.10.2021 to the Authority and other interested parties, claimed that the responding exporter and producer wilfully did not disclose the exports of PVI made by their parent company i.e., Huatai. The domestic industry further stated that the responding producer and exporter have misrepresented facts and tried to mislead the Authority and the other interested parties by stating that their parent company did not export PVI to India during the period of investigation. The domestic industry enclosed an account of transaction wise data which showed a large number of transactions depicting export of PVI to India by the parent company i.e., Huatai. In the reply to the Authority, the concerned producer and exporter vide letter dated 08.10.2021 sought an extension of 7 days for filing a response to the submissions made by the domestic industry. However, no such response has been submitted to the Authority by the responding producer and the exporter till date.

45. The Authority has taken note of the claim of the domestic industry and the submissions made by the responding producer and exporter from China PR including no reply to the issues raised by domestic industry with regard to non-furnishing of correct information in relation to exports of the subject goods to India by their parent company. It is also noted that the concerned parties stated in their questionnaire response that their

parent company i.e., Huatai, has not submitted the questionnaire response stating that it has not exported subject goods to India.

46. The matter was examined taking into account the submissions made by the interested parties. The Authority has examined the response filed by Derek and noted that the said exporter has given a declaration in his response that the products produced by the parent company Huatai were only sold domestically and exported to other countries, and not exported to India which was found factually incorrect. The Authority analysed the transaction wise data from DG Systems, and the information submitted by the cooperating importers/users, particularly with regard to the imports of the subject goods declared by them in their response. It was noted that one of the users of the subject goods submitted the transaction wise data regarding import of the subject goods from Huatai in Annexure-5B, depicting a significant import of the subject goods (PVI and CBS) in the period of investigation. Thus, it was found that the parent company Huatai has indeed exported a significant amount of the subject goods to India during the period of investigation.

47. The Authority notes that the concerned party has failed to provide the information with regard to the exports made by its parent company i.e., Huatai which has prevented the Authority from adequately examining the questionnaire response. The Authority, therefore, considers that it would not be appropriate to accept the claim of individual dumping margin for the said subject goods (PVI and CBS) in such a situation.

48. In the view of the above, the Authority considers the responding producer and its related exporter as non-cooperative.

TDQ:

All producers/exporters from European Union

49. Since none of the producers/exporters of TDQ from European Union have responded in the present investigation, the export price in respect of all the exporters from the European Union has been determined, as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered imports as reported in the DGCI&S. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

All producers/exporters from Russia

50. Since none of the producers/exporters of TDQ from Russia have responded in the present investigation, the export price in respect of all the exporters from Russia have been determined, as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered imports as reported in the DGCI&S. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

All producers/exporters from China PR

51. Since none of the producers/exporters of TDQ from China PR have responded in the present investigation, the export price in respect of all the exporters from China PR has been determined, as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered imports as reported in the DGCI&S. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

PVI:

All producers/exporters from China PR

52. Since there are no other responding producers/exporters of PVI from China PR, the export price in respect of all exporters from China PR has been determined, as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered imports as reported in the DGCI&S. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

CBS:

China PR:

All producers/exporters from China PR

53. Since there are no other responding producers/exporters of CBS from China PR, the export price in respect of all exporters from China PR has been determined, as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered imports as reported in the DGCI&S. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

All producers/exporters from European Union

54. Since none of the producers/exporters of CBS from European Union have responded in the present investigation, the export price in respect of all the exporters from the European Union has been determined, as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered imports as reported in the DGCI&S. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

G.6. Determination of dumping margin

55. Considering the normal value and export price as above, the dumping margins for all exporters/producers from the respective subject countries has been determined below. It is noted that the dumping margin is positive and significant.

TDQ

Country	Producer/exporter	Normal value (US$/MT)	Net Export Price (US$/MT)	Dumping margin (US$/MT)	Dumping margin %	Dumping margin Range
European Union	All producers/exporters	***	***	***	***	110-120
Russia	All producers/exporters	***	***	***	***	30-40
China PR	All producers/exporters	***	***	***	***	20-30

PVI

Country	Producer/exporter	Normal value (US$/MT)	Net Export Price (US$/MT)	Dumping margin (US$/MT)	Dumping margin %	Dumping margin Range
China PR	All producers/exporters	***	***	***	***	40-50

CBS

Country	Producer/exporter	Normal value (US$/MT)	Net Export Price (US$/MT)	Dumping margin (US$/MT)	Dumping margin %	Dumping margin Range
China PR	All producers/exporters	***	***	***	***	20-30
European Union	All producers/exporters	***	***	***	***	0-10

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions of the domestic industry

56. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

a. The finance cost, interest and depreciation cost are not significant to cause injury to the domestic industry. The lease rent show more than proportionate reduction and the total cost, even with depreciation has deteriorated.

b. TDQ subject imports constitute 96% of the total imports of TDQ into India in the period of investigation. The subject imports have increased in relation to consumption and production. The production, domestic sales and capacity utilization, and market share of the domestic industry declined. The subject imports are undercutting and depressing the prices of the domestic industry. Inventories with the domestic industry increased significantly over the period of investigation. Profits, PBIT, cash profits, and return on capital employed have declined significantly in the POI.

c. PVI subject imports constitute 100% of the total imports of PVI into India in the period of investigation. The subject imports have increased in relation to consumption and production. The subject imports are undercutting, suppressing and depressing the prices of the domestic industry. The production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry has declined over the injury period and the period

of investigation. The inventories with the domestic industry increased significantly over the POI. The profits, PBIT, cash profits, and return on capital employed have declined significantly in the POI.

d. CBS subject imports constitute 89% of the total imports of CBS into India in the period of investigation. The subject imports have increased in relation to consumption and production The subject imports are undercutting, suppressing and depressing the prices of the domestic industry. The production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry has declined. The inventories with the domestic industry increased significantly over the POI. The profits, PBIT, cash profits, and return on capital employed have declined significantly in the POI.

e. The injury to the domestic industry is due to the dumped imports of the subject goods from the respective subject countries.

f. The domestic industry has no objections in excluding the period from April-June 2020 when its production was shut down due to COVID-19, while examining injury. Even on such exclusion, deterioration in the performance of the domestic industry can be seen. Quarter by quarter analysis may be considered for evaluation of injury.

g. Price undercutting is one of the factors while determining injury. All the economic parameters indicate injury to the domestic industry.

h. It is the consistent practice of the Designated Authority to allow a return of 22%. Reference was made to Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Ltd. Vs. Union of India [2017 (349) E.L.T. 667 (Tri. - Del.)], wherein it was noted that the since the interested parties could not produce substantial evidence that return of 22% is unreasonable, the consistent practice of the Authority cannot be questioned.

i. The landed price of the imports is below the cost of the domestic industry. Dumped imports have compelled the domestic industry to reduce its prices.

j. The decline in the profitability indicates that injury can be attributed to dumping and not increase in capacities.

k. While the increase may have an impact on the volume performance, the injury to the already vulnerable domestic industry, owing to COVID-19 and slowdown of auto sector, was further aggravated by dumping of the subject imports.

l. The imports of the products under consideration have increased despite decline in demand, slow down in Auto sector and COVID-19.

m. Fall in crude oil and benzene prices does not justify landed price below cost.

n. Interest and depreciation cost incurred by NOCIL is insignificant and cannot be the cause of injury to the domestic industry.

o. Possible deterioration in the export performance of the domestic industry is not a possible cause of injury to the domestic industry.

p. The decline in import prices of TDQ from European Union is of the extent that they are lower than the Chinese prices. Further, a similar drop in prices can be seen in imports of CBS from the European Union. The subject goods from European Union are undercutting the prices of domestic industry are below the NIP and are at dumped and injurious prices.

q. The decline in capacity utilisation is attributed to dumping wherein the domestic industry is unable to match the prices of the imports and had to resort to production cuts. Further, consequent to the price undercutting and underselling, the domestic industry is unable to dispose of its accumulated inventories.

H.2. Submissions by the other interested parties

57. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

a. The comparison of import volumes vis-à-vis the domestic sales of the domestic industry, during the POI, is not an objective apple-to-apple comparison as the subject country(ies) were able to manufacture and supply in the domestic market due to ease of lockdown restrictions, while the DI's manufacturing facilities were shut for a month and half owing to COVID-19.

b. The subject imports have not caused material injury. TDQ imports have remained at the same level during the POI when compared to the base year, while PVI and CBS imports have declined during the same period.

c. Positive price undercutting is not a sufficient indicator of price injury as NSR is a voluntary business decision and must be analysed with several other factors such as profitability and cost of production, which the domestic industry recorded as being positive.

d. The NIP calculation is inflated on account of 22% assumption of return on capital employed which is not supported by the historical returns recorded at 13-19% by the rubber chemical industry.

e. The cost of sales and domestic selling prices claimed by the domestic industry is not accurate on account of several aberrations in their performance parameters. Thus, the claim of price suppression and depression should be analysed after ascertaining the impact of such aberrations.

f. Capacity expansion and enhancement by the domestic industry without commensurate increase in demand has led to unutilised and idle capacities. Decline in production and domestic sales in 2019-20 and the POI is due to slowdown in auto sector and COVID-19.

g. Domestic industry's market share has to be examined in light of the pandemic, thereby excluding the period when its plants were not operational.

h. As regards TDQ, while the market share of the domestic industry declined, that of the other Indian producers increased. As regards PVI, the market share of the domestic industry increased in the period of investigation from the previous year despite the fall in demand. As regards CBS, despite marginal decline in the market share of the domestic industry in demand, there is significant rise in its export sales.

i. Interests and finance costs have consistently increased for the domestic industry over the injury period and in the period of investigation despite the submission that the domestic industry has sufficient liquidity and is debt free. Such inconsistency should be examined by the Authority.

j. Depreciation and amortization expenses have increased for PVI and CBS owing to the capacity expansion undertaken for TDQ and CBS. As such, cost incurred on such expansions should not be allocated as material injury from alleged dumped imports. These factors may have impacted the capacity utilisation, cost of production and profitability of the domestic industry in the present investigation.

k. The losses from export sales cannot be a part of the injury analysis in an anti-dumping investigation and must be separated from the parameters.

l. As provided in the domestic industry's annual reports, the domestic selling prices have been significantly affected on account of fall in crude oil and benzene prices worldwide, which lowered the cost of raw materials of the subject goods leading to lower manufacturing costs and fall in the selling price of final goods.

m. Other factors such as interest cost, depreciation and amortization expense, capacity expansions, fluctuating raw material prices, decline in demand, supply disruptions of raw material and production due to COVID-19 are causing injury to the domestic industry.

n. The examination of volume impact of imports from the subject countries is also skewed on account of the Covid related lockdown imposed by the Government of India.

o. Cumulative assessment of imports from the European Union with the other subject countries is not justified as the import volume of TDQ and CBS from the European Union declined over the injury period and the market shares for the subject good has decreased during the POI. The total increase in imports by a mere 1.2% is attributed to China, whose import volume has increased by 96% during the POI.

p. The export prices to India have remained relatively stable and no clear pattern can be determined between the price evolution and quantities imported. Moreover, the European Union import prices for CBS are 13% higher than Chinese prices and 10% higher than average price of imports from the subject countries.

q. The decline in capacity utilisation rate indicates the company's inability in operating efficiently. Further the decreasing domestic prices, declining sales resulted in low revenue, profitability, and negative trend in growth.

r. While there is an increase in employees for the subject goods, the productivity decreased for TDQ whereas it remained roughly stable for CBS.

s. The Authority is requested to ensure the finance costs of the domestic industry is authentic, accurate and sufficient. If such costs are sufficient, the Authority may decide on the significance in causing injury to the DI.

H.3. Examination by the Authority

58. The Authority has taken note of the arguments and counterarguments of all the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis so made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

59. As regards the argument of considering 22% as return on capital employed, it is noted that the Authority has determined NIP as per practice and Annexure III of the AD Rules.

60. As regards argument of inability of domestic industry to supply the product under consideration during lockdown during Covid period, it is noted that the shutdown period of the facilities of the domestic industry due to Covid 19 was only 50 days wherein the exporters have exported the product throughout the period of investigation. Further, it is noted that the same was a force measure situation for the company and cannot justify dumping of the products in India.

61. As regards the argument of considering 22% as return on capital employed, it is noted that the Authority has determined NIP as per consistent practice and Annexure III of the AD Rules. The domestic industry contended that the plant is significantly depreciated and 22% return on a depreciated plant is grossly inadequate.

62. As regards the decline in the economic parameters of the domestic industry due to impact of COVID 19, the pandemic was not limited to India and was a global phenomenon. The covid pandemic cannot be a sufficient justification for dumping and consequent injury to the domestic industry. Nor does dumping need be the sole cause of injury to the domestic industry. Further, the domestic industry started suffering significant depressing/suppressing effect on prices in 2019-20, much before the start of pandemic, leading to decline in profit, cash profits and return on capital employed. The trend continued in the investigation period with further severe suppressing/depressing effect on the prices and consequently decline in profit, cash profits and return on capital employed. This deterioration cannot be attributed to global pandemic. The import price declined by about 24-27% in the subject products. These import price declines are not supported by consequent decline in the cost of production. Consequently, the domestic industry was unable to maintain its prices and was forced to reduce its prices more than the decline in the cost of production. There was significant dumping of the subject products as is evident from the significantly high dumping margin during the period of investigation.

63. As regards the argument that injury to the domestic industry is due to high interest and depreciation costs, it is noted that the cost on account of interest and depreciation is less than 1% of the total cost of sales for each of the product under consideration. Thus, while interest and depreciation costs are an integral and necessary part of its costs, and the domestic industry has legitimate expectation to pass on the same to the consumers, in the present case, these costs are so low that the same could not have been responsible for the injury to the domestic industry found in the present case.

64. As regards the argument that the selling prices have been significantly affected on account of fall in crude oil and Benzene prices, it is noted that the change in crude oil and Benzene prices will impact the cost of the domestic industry also. However, it is noted that the decline in the landed price of imports is more than the decline in cost of production of the domestic industry. Further, the decline in the selling price of the domestic industry is more than decline in the cost of production of the domestic industry. It cannot therefore be contended that the decline in the import prices was a consequence of decline in cost of inputs. It is also noted that the interested parties have given no quantified claim demonstrating that the decline in the landed price of imports was commensurate with the decline in the input costs.

65. As regards the argument of exports of domestic industry causing injury, it is noted that that the performance of the domestic industry in respect of parameters such as domestic sales, market share, profits, cash profits and return on investment has been analysed with respect to domestic operations only. Further, the domestic industry contended that the exports by the domestic industry are a result of its inability to sell the product in the domestic market, and therefore adverse performance in exports should also be considered as a parameter showing injury being caused by dumped imports.

H.3.1. Cumulative Assessment

66. Annexure-II para (iii) of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

i. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and

ii. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

67. The Authority notes that:

i. In the present investigation, TDQ and CBS is being dumped into India from more than one country. The margins of dumping of TDQ from China PR, European Union and Russia and the margins of dumping of CBS from China PR and European Union from are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.

ii. The volume of imports of TDQ and CBS from each of the respective subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.

iii. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports of TDQ and CBS from their respective subject countries not only directly compete with the like articles of TDQ and CBS offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market. It is noted that the consumers who are buying from the domestic industry are also importing from amongst the subject countries.

68. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of TDQ and CBS from their respective subject countries on the domestic industry.

69. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles..." In considering the effect of dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

H.3.2. Volume effect of dumped imports on the domestic industry

a. **Assessment of demand/apparent consumption**

70. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, the demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of Indian producers and imports from all sources.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
TDQ					
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*105*	*93*	*80*
Sales of other Indian producer	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*119*	*126*	*109*
Subject Countries	MT	2,537	2,670	2,613	2,567
Other Countries	MT	12	37	79	98
Total Indian Demand	MT	14,306	15,746	15,197	13,483
Trend	*Indexed*	*100*	*110*	*106*	*94*
PVI					
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*108*	*94*	*82*
Sales of other Indian producer	MT	-	-	-	-
Trend	*Indexed*	-	-	-	-
Subject Country - China PR	MT	1,091	1,035	1,077	1,054
Other Countries	MT	0	-	4	-

Total Indian Demand	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*101*	*97*	*90*
CBS					
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*102*	*109*	*96*
Sales of other Indian producer	MT	-	-	-	-
Trend	*Indexed*	-	-	-	-
Subject Countries	MT	2,554	2,977	3,142	2,882
Other Countries	MT	497	496	464	359
Total Indian Demand	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*109*	*114*	*102*

71. **TDQ:** It is noted that the demand for TDQ increased in 2018-19 but declined subsequently. The domestic industry submitted that the decline in demand is due to the slowdown in the auto sector and COVID 19.

72. **PVI:** It is noted that the demand for PVI has increased in 2018-19 but declined subsequently. The domestic industry submitted that the decline in demand is due to the slowdown in the auto sector and COVID 19.

73. **CBS:** It is noted that the demand for CBS has increased until 2019-20 and declined in the period of investigation. However, the overall demand for CBS has increased over the injury period.

b. Import volumes from the subject countries

74. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. Factual position is as follows –

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
TDQ					
Subject Countries	MT	2,537	2,670	2,613	2,567
China PR	MT	806	1,849	1,728	1,578
EU	MT	619	148	341	573
Russia	MT	1,111	673	545	416
Other Countries	MT	12	37	79	98
Imports from subject countries in relation to					
Production	%	15.74	13.56	13.79	16
Trend	Indexed	100	86	88	102
Consumption	%	17.73	16.96	17.19	19.04
Trend	Indexed	100	96	97	107
PVI					
Subject Countries - China PR	MT	1,091	1,035	1,077	1,054
Other Countries	MT	0	0	4	0
Imports from subject country in relation to					
Production	%	80.56	79.87	84.04	104.94
Trend	Indexed	100	99	104	130
Consumption	%	55.34	52.22	56.41	59.33
Trend	Indexed	100	94	102	107
CBS					
Subject Countries	MT	2,554	2,977	3,142	2,882
China PR	MT	1,934	2,369	2,484	2,316

EU	MT	620	608	658	566
Other Countries	MT	497	496	464	359
Imports from subject countries in relation to					
Production	%	119.52	127.24	124.86	133.89
Trend	Indexed	100	106	104	112
Consumption	%	50.4	53.85	54.18	55.63
Trend	Indexed	100	107	108	110

75. **TDQ:** It is noted that the volume of imports from the subject countries has increased till 2018-19 and thereafter declined during the period of investigation. However, imports from the subject countries have increased in the period of investigation as compared to the base year. Subject imports have also increased in relation to production and consumption in the period of investigation as compared to the previous year as well as the base year.

76. **PVI:** It is noted that the volume of imports from the subject country has declined in the period of investigation as compared to the previous year. However, the volume of imports has remained stable throughout the injury period. The volume of imports in relation to production and consumption has increased in the period of investigation as compared to previous year as well as base year.

77. **CBS:** It is noted that the volume of imports from the subject countries has increased till 2019-20 and thereafter declined in the period of investigation. However, the volume of imports has increased the during period of investigation as compared to the base year. The volume of imports in relation to production and consumption has increased in the period of investigation as compared to previous year as well as base year.

H.3.3. Price effect of the dumped imports

78. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic Industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a. Price undercutting

79. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country work out as follows –

Particulars	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
TDQ					
Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*106*	*85*	*78*
China PR					
Landed Price	₹/MT	1,75,458	1,83,126	1,32,371	1,28,896
Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	***	***	***	***
Range	%	0-10	0-10	10-20	10-20
EU					
Landed Price	₹/MT	1,33,558	1,92,478	1,13,602	1,15,179
Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***

Particulars	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
Trend	*Indexed*	***	***	***	***
Range	%	30-40	0-10	30-40	20-30
Russia					
Landed Price	₹/MT	1,37,998	1,70,476	1,40,502	1,29,816
Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	***	***	***	***
Range	%	30-40	10-20	10-20	10-20
Subject Countries					
Landed Price	₹/MT	1,48,822	1,80,453	1,31,619	1,25,984
Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	***	***	***	***
Range	%	20-30	0-10	20-30	10-20
PVI					
Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*113*	*99*	*91*
Subject Country – China PR					
Landed Price	₹/MT	3,08,583	3,67,439	2,67,577	2,55,383
Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	***	***	***	***
Range	%	20-30	10-20	40-50	30-40
CBS					
Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*110*	*92*	*83*
China PR					
Landed Price	₹/MT	2,52,509	2,97,548	2,16,673	1,95,179
Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	***	***	***	***
Range	%	20-30	10-20	30-40	30-40
EU					
Landed Price	₹/MT	2,51,941	3,31,055	2,80,113	2,33,138
Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	***	***	***	***
Range	%	20-30	0-10	0-10	10-20
Subject Countries					
Landed Price	₹/MT	2,52,371	3,04,390	2,29,959	2,02,632
Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	***	***	***	***

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	***	***	***	***
Range	*%*	*20-30*	*10-20*	*20-30*	*30-40*

80. It is noted that the each of the products under consideration from respective countries are entering at a price below the domestic selling price of the domestic industry of respective products under consideration, resulting in significant price undercutting.

b. Price suppression/depression:

81. ln order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree and prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has considered the changes in the costs and prices over the injury period. The table below shows factual position:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
TDQ					
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*88*	*93*
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*106*	*85*	*78*
Landed Value (Subject Countries)	Rs/MT	1,48,822	1,80,453	1,31,619	1,25,984
Trend	*Indexed*	*100*	*121*	*88*	*85*
PVI					
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*117*	*110*	*108*
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*113*	*99*	*91*
Landed Value (Subject Countries)	Rs/MT	3,08,583	3,67,439	2,67,577	2,55,383
Trend	*Indexed*	*100*	*119*	*87*	*83*
CBS					
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*112*	*108*	*107*
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*110*	*92*	*83*
Landed Value (Subject Countries)	Rs/MT	2,52,371	3,04,390	2,29,959	2,02,632
Trend	*Indexed*	*100*	*121*	*91*	*80*

82. **TDQ**: It is noted that the landed value of the subject imports is below the cost of sales and the selling price of the domestic industry in the period of investigation. As a result, the decline in selling price is more than the decline in cost of sales of the domestic industry in the period of investigation as compared to the base year. The subject imports are depressing the prices of the domestic industry.

83. **PVI**: It is noted that the landed value of the subject imports is below the cost of sales and the selling price of the domestic industry in 2019-20 and in the period of investigation. As a result, while the cost of sales increased in the period of investigation as compared to the base year, the selling price declined. The subject imports are suppressing and depressing the prices of the domestic industry.

84. **CBS**: It is noted that the landed value of the subject imports is below the cost of sales and the selling price of the domestic industry in 2019-20 and during the period of investigation. As a result, while the cost of sales increased in the period of investigation as compared to the base year, the selling price declined. The subject imports are suppressing and depressing the prices of the domestic industry.

H.3.4. Economic parameters of the domestic industry

85. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

86. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

i. Production, capacity, capacity utilization, sales and inventories

87. Capacity, production, sales, capacity utilization and inventories of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
TDQ					
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*128*	*135*	*135*
Production	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*117*	*107*	*90*
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*91*	*79*	*67*
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*105*	*93*	*80*
Average Stocks	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*191*	*236*	*296*
PVI					
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*100*	*100*
Production	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*96*	*95*	*74*
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*96*	*95*	*74*
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*108*	*94*	*82*
Average Stocks	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*108*	*122*	*166*
CBS					
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*123*	*231*	*231*
Production	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*109*	*118*	*101*
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*89*	*51*	*44*
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*102*	*109*	*96*
Average Stocks	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*133*	*224*	*258*

88. **TDQ**: It is noted that the domestic industry has increased its capacities over the injury period. The production and domestic sales increased in 2018-19 but declined in 2019-20 and further declined in the period of

investigation. The capacity utilization of the domestic industry has declined throughout the injury period. Inventories of the domestic industry increased throughout the injury period and in the period of investigation.

89. **PVI**: It is noted that the production and capacity utilization of the domestic industry has declined throughout the injury period and the period of investigation. The domestic sales increased in 2018-19 but later declined in 2019-20 and further declined in the period of investigation. Inventories of the domestic industry increased throughout the injury period and in the period of investigation.

90. **CBS**: It is noted that domestic industry has increased its capacities over the injury period. However, despite capacity additions, production and sales has declined in the period of investigation as compared to the previous year. The capacity utilization of the domestic industry has declined throughout the injury period and in the period of investigation. The capacity utilization is the lowest in the period of investigation. Inventories of the domestic industry increased throughout the injury period and in the period of investigation.

ii. Market share in demand

91. The market share of the domestic industry is shown in the table below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
TDQ					
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	87	85
Other Indian producer	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	119	116
Subject Countries	%	17.73	16.95	17.2	19.04
China PR	%	5.64	11.74	11.37	11.71
EU	%	4.33	0.94	2.24	4.25
Russia	%	7.77	4.28	3.59	3.09
Other Countries	%	0.08	0.24	0.52	0.73
PVI					
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	97	91
Other Indian producer	%	-	-	-	-
Trend	Indexed	-	-	-	-
Subject Countries-China PR	%	***	***	***	***
Other Countries	%	0	0	0.2	0
CBS					
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	95	94
Other Indian producer	%	-	-	-	-
Trend	Indexed	-	-	-	-
Subject Countries	%	50.4	53.85	54.18	55.63
China PR	%	38.17	42.85	42.84	44.71
EU	%	12.24	11	11.35	10.92
Other Countries	%	9.8	8.97	7.99	6.94

92. **TDQ:** It is noted that the market share of imports from the subject countries has increased in the period of investigation as compared to the base year, while the market share of the domestic industry declined.

93. **PVI:** It is noted that the market share of the domestic industry has declined in the period of investigation whereas market share of the impots from the subject countries has increased.

94. **CBS:** It is noted that market share of the subject imports has increased throughout the injury period and in the period of investigation, while the market share of the domestic industry has declined in the period of investigation.

iii. Profitability, cash profits and return on capital employed

95. Profitability, cash profits and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
TDQ					
Profit/Loss	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*124*	*75*	*31*
Profit/Loss	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*130*	*70*	*25*
PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*130*	*70*	*25*
Cash Profits	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*127*	*74*	*33*
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*113*	*60*	*20*
PVI					
Profit/Loss	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*102*	*65*	*38*
Profit/Loss	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*110*	*62*	*31*
PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*110*	*62*	*31*
Cash Profits	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*109*	*63*	*34*
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*104*	*62*	*25*
CBS					
Profit/Loss	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*107*	*57*	*31*
Profit/Loss	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*109*	*61*	*30*
PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*109*	*62*	*31*
Cash Profits	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*110*	*71*	*40*
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*56*	*23*	*12*

96. **TDQ:** It is noted that the profitability of the domestic industry increased in 2018-19 but declined in 2019-20 and further in the period of investigation, as compared to previous year and base year. PBIT, cash profits and return on capital employed has shown the same trend as profitability.

97. **PVI:** It is noted that the profitability of the domestic industry increased in 2018-19 but declined in 2019-20 and further in the period of investigation, as compared to previous year and base year. PBIT, cash profits and return on capital employed has shown the same trend as profitability.

98. **CBS:** It is noted that the profitability increased in 2018-19 but declined in 2019-20 and further in the period of investigation, as compared to previous year and base year. PBIT, and cash profits show the same trend as profitability. Return on capital employed has declined throughout the injury period and in the period of investigation.

iv. Employment, wages and productivity

99. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
TDQ					
No. of Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*89*	*178*	*178*
Productivity Per Day	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*117*	*107*	*90*
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*105*	*110*	*99*
PVI					
No. of Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*109*	*109*
Productivity Per Day	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*96*	*95*	*74*
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*90*	*119*	*102*
CBS					
No. of Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*133*	*367*	*383*
Productivity Per Day	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*109*	*118*	*101*
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*107*	*142*	*127*

100. **TDQ:** It is noted that the employment levels have increased in in the period of investigation. Productivity per day has declined over the injury period. The domestic industry submitted that the decline in productivity is due to the decline in production. Wages paid has declined in the period of investigation as compared to previous year and base year.

101. **PVI:** It is noted that employment levels and wages paid have increased over the injury period. Productivity per day has declined.

102. **CBS:** It is noted that employment levels have increased throughout the injury period and in the period of investigation. Productivity per day has increased over the injury period. Wages increased in 2019-20 and declined in the period of investigation.

103. The domestic industry has submitted that these parameters are not reflective of the impact of dumped imports on the domestic industry.

v. Dumping margin

104. The dumping margins determined for all products from respective subject countries are above the de minimis level, and significant. The impact of the magnitude of the actual margins of dumping on the domestic industry was substantial.

vi. Growth

105. The growth of the domestic industry in terms of production, domestic sales volume, inventories, profits, cash profits, and return on investment has become negative during the period of investigation.

Growth compared to Previous Year	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
TDQ					
Production	%	-	16.99	(8.77)	(15.33)
Domestic Sales Volume	%	-	5.35	(11.87)	(13.49)
Average stock	%	-	91.26	23.65	24.96

Return on Capital Employed	%	-	12.98	(46.98)	(66.10)
Profit/Loss	%	-	30.29	(46.62)	(64.47)
Cash profits	%	-	26.71	(41.25)	(55.29)
PVI					
Production	%	-	(4.33)	(1.16)	(21.63)
Domestic Sales Volume	%	-	7.53	(12.56)	(12.80)
Average stock	%	-	8.18	12.89	36.21
Return on Capital Employed	%	-	4.11	(40.31)	(59.21)
Profit/Loss	%	-	9.57	(43.83)	(49.93)
Cash profits	%	-	8.50	(41.54)	(46.90)
CBS					
Production	%	-	9.48	7.57	(14.46)
Domestic Sales Volume	%	-	1.94	6.71	(11.59)
Average stock	%	-	32.83	68.44	15.40
Return on Capital Employed	%	-	(44.35)	(58.34)	(46.56)
Profit/Loss	%	-	8.59	(43.22)	(50.91)
Cash profits	%	-	10.14	(35.51)	(44.03)

106. **TDQ:** It is noted that the growth is negative in all volume and price parameters during the period of investigation. Inventories of the domestic industry is positive throughout the period of investigation.

107. **PVI:** It is noted that the growth is negative in all volume and price parameters during the period of investigation. Inventories of the domestic industry is positive throughout the period of investigation.

108. **CBS:** It is noted that the growth is negative in all volume and price parameters during the period of investigation. Inventories of the domestic industry is positive throughout the period of investigation.

vii. Ability to raise capital investment

109. The authority notes that the domestic industry has faced decline in profitability. Therefore, the ability of the domestic industry to raise capital investment has weakened.

viii. Factors affecting domestic prices

110. **TDQ:** It is noted that the import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the market. The landed value of the subject goods from the respective subject countries are below the cost and selling price of the domestic industry during the period of investigation. Even when the cost of production of the domestic industry declined, the decline in the landed price of imports and consequently selling prices in 2019-20 and POI were far more than the decline in cost of production. Further, the domestic industry is unable to retain its prices in the market due to presence of dumped imports in the country. The prices of the subject imports are undercutting and depressing the prices of the domestic industry to a significant degree. The imports of the subject goods from third countries are either attracting antidumping duty or at de-minimis levels or are at higher prices. The dumped imports are impacting the prices of the domestic industry. Hence, it is evident that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of the subject goods from the subject countries. The Authority notes that the dumping margin is more than de-minimis and also significant.

111. **PVI:** It is noted that the import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the market. The landed value of the subject goods from the subject country is below the cost and selling price of the domestic industry during the period of investigation. Even when the cost of production of the domestic industry declined, the decline in the landed price of imports and consequently selling prices in 2019-20 and POI were far more than the decline in cost of production. Further, the domestic industry is unable to retain its prices in the market due to presence of dumped imports in the country. The prices of imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry to a significant degree. There were negligible imports of the subject goods from third countries over the injury period. The dumped imports are impacting the prices of the domestic industry. Hence, it appears that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of the subject goods from the subject country. The Authority notes that the dumping margin is more than de-minimis and also significant.

112. **CBS**: It is noted that the import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the market. The landed value of the subject goods from the respective subject countries are below the cost and selling price of the domestic industry during the period of investigation. Even when the cost of production of the domestic

industry declined, the decline in the landed price of imports and consequently selling prices in 2019-20 and POI were far more than the decline in cost of production. Further, the domestic industry is unable to retain its prices in the market due to presence of dumped imports in the country. The prices of imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry to a significant degree. The imports of the subject goods from third countries are either at de-minimis levels or are at higher prices. The dumped imports are impacting the prices of the domestic industry. Hence, it appears that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of the subject goods from the subject countries. The Authority notes that the dumping margin is more than de-minimis and also significant.

H.3.5. Price underselling/injury margin (IM)

113. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return @ 22%o on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed towards interest, tax and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

114. Landed price has been determined based on CIF export price from DGCI&S data, along with applicable customs duties and cess thereon.

115. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

TDQ

Country	**Producer/exporter**	**Non-injurious price (US$/MT)**	**Landed value (US$/MT)**	**Injury margin (US$/MT)**	**Injury margin %**	**Injury margin Range**
European Union	All producers/exporters	***	***	***	***	20-30
Russia	All producers/exporters	***	***	***	***	10-20
China PR	All producers/exporters	***	***	***	***	10-20

PVI

Country	**Producer/exporter**	**Non-injurious price (US$/MT)**	**Landed value (US$/MT)**	**Injury margin (US$/MT)**	**Injury margin %**	**Injury margin Range**
China PR	All producers/exporters	***	***	***	***	30-40

CBS

Country	Producer/exporter	Non-injurious price (US$/MT)	Landed value (US$/MT)	Injury margin (US$/MT)	Injury margin %	Injury margin Range
China PR	All producers/exporters	***	***	***	***	10-20
European Union	All producers/exporters	***	***	***	***	(0-10)

H.3.6. Examination by Authority on injury

116. **TDQ:** The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry shows that the volume of dumped imports from subject countries has increased. The imports from the subject countries are significantly undercutting the domestic industry prices. Imports have severely depressed the prices of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry has declined in the period of investigation. The inventories with the domestic industry increased over the injury period and in the period of investigation. The performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

117. **PVI:** The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry shows that though the volume of imports from the subject country has declined in the period of investigation as compared to the previous year, the same in relation to production and consumption has increased in the period of investigation as compared to previous year as well as base year. The imports from the subject countries are undercutting the domestic industry prices. Price undercutting has led to a suppressing and depressing effect on the prices of the domestic industry in the market. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry has declined in the period of investigation. The inventories with the domestic industry increased over the injury period and in the period of investigation. The performance of the domestic industry has deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

118. **CBS:** The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry shows that the volume of dumped imports from subject countries has increased in both absolute and relative terms. The imports from the subject countries are undercutting the domestic industry prices. Price undercutting has led to suppressing and depressing effects on the prices of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry has declined in the period of investigation. The inventories with the domestic industry increased over the injury period and in the period of investigation. The performance of the domestic industry has deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

H.3.7. Non-attribution analysis

119. The Authority examined any known factors other than the dumped imports which at the same time might have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority examined whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a. **Volume and value of imports not sold at dumped prices**

120. The imports of each of the products under consideration from other countries are at de-minimis levels. Thus, imports of each of the products under consideration from other countries have not caused injury to the domestic industry.

b. Contraction in demand

121. The demand of each of the products under consideration has declined in the period of investigation. However, the volume of the subject imports has increased in period of investigation and market share of the domestic industry has declined. Further, there is a steep decline in the prices, far disproportionate to the decline in the cost of production and even before the Covid pandemic. Thus, the injury to the domestic industry is not on account of contraction of demand.

c. Changes in pattern of consumption

122. There have been no material changes in the pattern of consumption of the products under consideration. Hence, changes in the pattern of consumption have not caused injury to the domestic industry.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

123. The Authority notes that the conditions of competition or trade restrictive practices have not changed in the period of investigation. Hence, conditions of competition and trade restrictive practices are not responsible for the injury caused to the domestic industry.

e. Developments in technology

124. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

f. Export performance of the domestic industry

125. The domestic industry submitted that considering the demand for the product in the country, there is no necessity for the domestic industry to undertake exports, especially when these exports are at a price and profitability much adverse as compared to domestic market. The domestic industry contended that the only reason for exports by the domestic industry is lack of orders from the domestic market. The domestic industry also submitted that that the industry places quarterly orders and thereafter releases delivery schedule from time to time. Thus, the domestic industry is faced with a situation where it is unable to feed its plant to the extent of capacity created. Faced with absence of orders from domestic market, the domestic industry has no option but to take orders from foreign consumers, even when these orders are far less profitable to the domestic industry. The domestic industry also contended that even when the adverse performance of the domestic industry has been segregated to show the impact of dumped imports on the domestic industry, the adverse performance and profitability of domestic industry in the export market is because of dumping of these products in the Indian market leading to insufficient demand for its product from domestic market. Should the domestic industry get an opportunity to sell the material in the domestic market, it would not only be able to improve its profitability but also its production and viability. Thus, adverse performance of domestic industry in export market is a consequence of dumping of the product in the country. The authority also notes that the contention of the domestic industry on this account has remained unrebutted.

g. Performance of other products

126. While the authority has considered performance of the domestic industry in respect of only the products under consideration and has segregated performance of other products, the domestic industry provided information showing its performance in respect of different kinds of products produced and sold by the company. The domestic industry has submitted that it has been producing and selling certain speciality chemicals, *** % of which is exported to companies such as ***, ***, etc. The domestic industry further submitted that if its performance is segregated and performance of speciality rubber chemicals is removed, not only overall performance of the company shows significant deterioration, but also, performance of other rubber chemicals not subject to present investigations in fact show significant decline in profits and return on investment. It is noted that the domestic industry is in fact earning much better profits in respect of these specialty rubber chemicals where *** % production is exported. Further, the profitability of the domestic industry in respect of this speciality rubber chemicals is significantly stable as compared to the performance of the subject products and the other normal rubber chemicals where the performance has very steeply deteriorated. The authority also notes that the return on investment in respect of all rubber chemicals (excluding specialty chemicals) is considerably low. Further, the return on investment of the company in respect of all the chemicals (excluding specialty chemicals) deteriorated steeply over the injury period.

127. The Authority thus concludes that the domestic industry has not suffered injury in the POI due to other factors. Further, the following factors show that the injury to the domestic industry is due to dumped subject imports:

a. The imports are undercutting the prices of the domestic industry.

b. The imports have forced the Domestic Industry to sell the product at a price below its cost of production. The dumped subject imports have a price depressing effect on the selling price of the Domestic Industry. Further, the domestic industry's prices are suppressed during the injury period.

c. The price depression and suppression due to the subject imports have adversely impacted the domestic industry in terms of operating performance.

128. The Authority, thus, concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods from the subject countries and injury to the domestic industry.

I. POST-DISCLOSURE SUBMISSIONS

I.1 Submissions by the domestic industry

129. The submissions made by the domestic industry are as follows:

a. Impact of anti-dumping duty is required to be analysed only with respect to products under consideration. Providing cumulative impact of anti-dumping duty on all raw materials is a deliberate attempt to mislead the Authority.

b. ATMA has failed to furnish even that information which it is easily accessible to them and was capable of providing.

c. Certain information claimed confidential by the domestic industry has been disclosed.

d. The analysis of volume, price and economic parameters of the domestic industry by the Authority clearly shows that the subject imports are causing injury to the domestic industry. The same may be concluded in the final findings.

e. Despite the Authority writing to more than 20 known importers/users of the products under consideration, only 4 users responded. None of the interested parties provided any relevant information for non-imposition of duties.

f. The domestic industry has quantified the impact of imposition of anti-dumping duty on the tyre and non-tyre industry as well as on the basis of consumption of rubber chemical as a whole and each of the products under consideration.

g. NOCIL exports the surplus products only when compelled to export due to aggressive dumping.

h. The rubber chemical industry is expected to grow from 27 million MTA to 40 million MTA by 2029 with a CAGR of 3.5%. With a possibility of further growth of the tyre industry, the domestic industry has a vision to increase its capacities.

i. The domestic industry is unable to earn a decent rerun on its investments due to the continuous dumping of the product under consideration.

j. Non-imposition of duty would mean that the domestic industry would continue to operate at unsubstantial level of capacity utilisation.

k. The imposition of duty would be in the interest of the users as it would allow them to diversify their sources of raw material to the domestic industry in this immensely volatile environment. Buying locally would allow them to maintain lower level of inventories and reduce their cost. It is in the interest of the users to maintain a healthy and vibrant industry.

l. Non-imposition of anti-dumping duties will make India a lucrative market for dumped imports from the subject countries.

m. The capacity of the domestic industry exceeds the current demand for TDQ and CBS. As regards PVI, the domestic industry has the capacity to meet ***% of the demand. The domestic industry is hesitant to invest in view of the inconsistent profitability and the only competitor being China.

n. The decline in selling price occurred even before the start of COVID-19. Profitability of domestic industry declined once duty ceased.

o. Pursuant to the decline in the import price, the domestic industry started getting demands from these buyers for price reduction, citing the withdrawal of anti-dumping duty and the domestic industry was forced to reduced prices more than reduction in cost.

p. Despite being a global producer of the subject goods, its performance is severely impacted as a result of the surplus capacities of China being utilised for dumping.

q. The deterioration in the performance of the domestic industry is a result of dumped imports. The domestic industry is exporting surplus goods only as a compulsion. The exports made by the domestic industry were at a profitability much adverse compared to the domestic market.

r. There is no necessity for imports in the country with respect to TDQ and CBS and the necessity to import PVI is negligible.

s. The current offering on the products under consideration is far lower than the current cost of production.

t. The domestic industry is witnessing abnormal increase in raw material and utility costs, particularly coal and PN Gas.

u. In the event of non-imposition of duties, the domestic industry will be forced to operate at losses which will prove detrimental to the domestic industry and even result in shut-down of the business and loss of employment.

v. China's export to the world market is an effort to capture market share and gain competitive advantage. China accounts for only 34-35% of RC demand, however their current production capacities constitute more than 88% of the current demand.

w. India commands 3rd position in the global rubber processing and 6% of global consumption is in India. Therefore, India is a big attractive market for any large producer.

x. Worldwide, PVI is produced only in India and China. NOCIL is the sole producer in PVI while there are 2-3 companies in China. In case of non-imposition of ADD, China shall gain monopoly on the product.

y. In so far as CBS is concerned, the product is produced only in India, China, Europe and US. Such being the case, it is evident that once Indian producers cease production, there will be significant increase in prices.

z. In the last two decades, Chinese producers have strengthened their position from 20% market share to 85% market share in global rubber chemical consumption. While global monopoly is beyond the clutches of the Indian government, domestic monopoly is with the power of the Government.

aa. In case of PX-13, one producer in China/Korea/Vietnam commands 85% of global demand and 90% of the world market in case of 4ADPA. The recent sale of Eastman (Erstwhile Flexsys) to One Rock Capital is another example wherein the implications of aggressive Chinese competition forces the European or western world majors to exit out of this business.

bb. The domestic industry is planning major expansions and doubling its existing capacities. China, if not addressed, may not hesitate to eliminate or marginalize NOCIL thus resulting in a monopolistic share.

I.2 Submissions by other interested parties

130. The submissions made by other interested parties are as follows:

a. Calculations of normal value and dumping margin have not been revealed in the disclosure statement. Petitioner has also failed to provide calculation of normal value in their non-confidential petition.

b. The range of dumping margins alleged by petitioner differs from the range released by DGTR.

c. The distribution of the allegedly unfairly traded products is as important as the injury caused and should not lead to unfair effects on EU imports.

d. The POI does not coincide with the financial years adopted for injury analysis and is non-comparable, non-equivalent and does not meet the criteria of 'objectivity' under the Anti-dumping agreement.

e. The likely injury must be caused by COVID-19 than Russian imports.

f. Import prices based on Trademap and the normal value so determined has been marked confidential, despite the source being public data.

g. Non-inclusion of M/s. Lanxess India Private Limited has distorted the injury analysis.

h. Russian imports have decreased since the base year and is less than the ones of China and EU in the POI and hence should not be cumulated.

i. The decrease in the company's production, number of employees and productivity per day are not representative as the period was hit by COVID-19.

j. Aggravation of the applicant's financial state in the second half of the POI is due to pandemic constraints and slowdown in auto industry. Reliance is placed on the applicant's annual report in 2019-20

k. The Indian producer has enjoyed the protection of trade remedies on the subject good for 13 years as a way of maintaining protection.

l. The domestic industry filed fresh information in the final legs of the investigation without providing timely opportunities for other parties to comment.

m. The Authority considered data from the letter filed by the domestic industry while issuing disclosure statement, one day after filing of the letter and has not followed due process. This is in clear violation of the law and practices. Filing of the letter is malafide on part of the domestic industry.

n. The domestic industry claimed excessive confidentiality of the data provided in both the letters and their impact analysis. Certain data contained in the attached annexures which appear to be public third-party information has been provided without any credible source or reference. The impact analysis on users based on confidential information of the domestic industry raises suspicions on its authenticity and accuracy and must be rejected.

o. The Authority should provide adequate opportunity to all the interested parties to rebut the contents of the letters through a fresh oral hearing or file comments, or both, in the absence of which, the DA may disregard the contents of the letter and reissue the DS or direct DI to resubmit the letter with indexed figures.

p. The domestic industry circulated information on 24th March 2022 knowing fully well that the interested parties will not be able to rebut such information in less than 24 hours. No explanation was given regarding its relevance.

q. As regards exit of global players, they are not exiting but instead boasting of their leadership. The annexures mentioned closure of business of NPUC.

r. It must be noted that the present DI is a habitual user of the trade remedial measures, and in most cases, the Hon'ble DA found its applications to be devoid of any merit, thereby, not meeting the legal requirements for imposition of ADD.

s. The injury, if any, to the DI during the aberrational POI which was affected by the automobile demand slump and COVID-19 may be attributed to these factors rather than on the subject imports, as claimed by the DI.

t. With the imports of TDQ, PVI and CBS from the subject countries declining during the POI, it is clear that the legal requirement of "significant increase" in dumped imports in absolute terms is not met.

u. A claim of positive price undercutting would not be sufficient to indicate price injury as the domestic selling price or the net sales realization is a voluntary business decision and has to be analyzed keeping in mind several other factors like cost of production, profitability and fluctuating raw material prices.

v. The DI has inefficiently utilized its increased production capacities resulting in a lowering trend of capacity utilization, which is normal when new capacities are added, as a plant/ machinery cannot function fully in the initial phases of installation.

w. Due to the shutdowns, labour supply shortages and economic slump on account of COVID-19 during the POI, the cost of manufacturing was not the optimum/efficient cost of manufacturing. Therefore, the determination of price underselling is not accurate, and the NIP must be recalculated and looked into in light of the NIP of the previous financial year.

x. Though there is no legal requirement for examination of impact of ADDs on the user industry's interests, four member companies of the respondent, who form a substantial part of the users of the PUC, have duly filed the questionnaire responses in the prescribed formats and cooperated with the Hon'ble DA throughout this investigation.

y. A cumulative effect of ADDs is relevant from a public interest perspective because ADDs on multiple tyre inputs add up to become a substantial burden for the user industry and therefore must be viewed holistically.

z. Public interest is a multi-faceted analysis. Both the impact of imposition/non-imposition of Anti-dumping duty on users and the producers should be analysed.

I.3 Examination by the Authority

131. The Authority has analysed the impact of the imposition of anti-dumping duty on the users, importers and public at large on the basis of the evidence submitted during the course of this investigation. It is noted that the impact on the end-consumers is miniscule, and the imposition of duties will not impact the availability of the product to the consumers. The Authority also notes that the domestic industry is the sole producer of PVI and CBS in the country and non-imposition of duties will result in further deterioration in their performance. The objective of imposition of anti-dumping measure is to remove the unfair advantages gained by dumping practices, to prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. Further, the other interested parties have not been able to establish how the imposition of anti-dumping duties shall have significant adverse impact on the consumers and shall be contrary to larger public interest. The information on record shows that the imposition of anti-dumping duties shall not be contrary to public interest. The domestic industry has quantified the impact of imposition of anti-dumping

duty on the tyre and non-tyre industry. The Authority notes that the impact is very miniscule i.e., 0.04% on the tyre industry and 0.17% on non-tyre industry.

	Impact on User Industry				
Particulars	**Unit**	**TDQ**	**PVI**	**CBS**	**Total for subject goods**
Tyre Industry Gross Turnover (INR crores)	Rs crores	75000	75000	75000	75000
Total Indian Consumption of different types of subject rubber chemicals *(Volume MTA)*	MT	16000	2500	6000	24500
For tyre industry					
Volume	MT	10000	2000	4200	16200
Value	Rs crores	210	150	170	530
Impact considering Rs 20/Kg ADD on gross consumption in tyres	Rs. crores	20	4	8	32
	%	0.267%	0.0053%	0.0107%	0.0427%
For non tyre industry					
Volume	MT	6000	500	1800	8300
Value	Rs crores	140	35	70	245
Impact considering Rs 20/Kg ADD on gross consumption in tyres	Rs. crores	12	1	4	17
	%	0.12%	0.01%	0.04%	0.17%

132. The Authority notes that whereas the domestic industry quantified the impact of duty on the proposed products, the consumer industry association quantified the impact of all the anti-dumping duties imposed on different raw materials consumed by tyre industry. The Authority notes that impact of the proposed duty on the present products under consideration alone is relevant to the present investigation. Further, ATMA has not established that the imposition of anti-dumping duties either on present rubber chemicals or other rubber chemicals or other raw materials had led to increase in the prices of those products by the quantum of anti-dumping duties imposed. Examination of landed price of imports after adding anti-dumping duty in force and comparison of the same with the selling price of the domestic industry shows that the selling price of the domestic industry were materially below the landed price of imports after adding prevailing anti-dumping duties. It is thus seen that the domestic industry did not increase its prices to the extent of anti-dumping duties imposed and in force. Since the user association has raised concerns, the Authority examined the facts with regard to the other rubber chemical i.e., PX-13. It is seen that in that case too, the selling price of the domestic industry was materially below the landed price of imports after adding prevailing anti-dumping duties. It is thus seen that the domestic industry has not increased their prices by the quantum of anti-dumping duties. Thus, it would not be appropriate to quantify the impact of the proposed measures on the cost of production of the consumer industry by assuming that the cost of the product shall increase by the quantum of anti-dumping duties. Notwithstanding, even if it is considered that the domestic industry in future would increase the price by the quantum of anti-dumping duties, it is seen that even in that case, the impact of proposed duties on the cost of production of the tyre industry would be significantly low. Further, the tyre industry has not shown that the anti-dumping duties imposed by the Authority in the past on various products has led to significant adverse impact on its cost of production or profitability or availability. On the contrary, examination of past determinations relating to different kinds of rubber chemicals shows that the imports from sources attracting ADD by and large continued to command significant share in demand for these products in the market. Further, in none of these investigations, at the stage of subsequent reviews, the consumer industry has raised any adverse concern with regard to non-availability of any of these products because of anti-dumping measures, nor has quantified the amount of higher prices paid by them as a result of ADD in force, nor quantified significant adverse effect of duties on their cost of production. The quantified information of the present case clearly shows highly insignificant impact of proposed measures on the cost of production of tyres.

133. As regards the impact of non-imposition of anti-dumping duties on the producer, the Authority analysed the impact on the basis of the various information placed on record during the course of investigation. The Authority notes that the performance of the domestic industry has been severely impacted as a result of the dumped imports from the subject countries. The Authority has also examined the likely impact of proposed duties on the availability of the product in the market. For the purpose, the Authority has considered the demand supply situation, production, domestic & export sales and the market share gained by the subject imports and domestic industry.

Particulars	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
TDQ					
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*120*	*125*	*125*
Demand	MT	13,420	14,315	13,661	11,778
Trend	*Indexed*	*100*	*107*	*102*	*88*
Capacity as a % of demand	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*113*	*123*	*143*
Market share of NOCIL	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*99*	*91*	*92*
Exports as a % of capacity	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*113*	*112*	*97*
Profit/unit					
Domestic	Rs.MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*124*	*75*	*31*
Exports	Rs.MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*190*	*97*	*6*
CBS					
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*123*	*231*	*231*
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*109*	*114*	*102*
Capacity as a % of demand	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*113*	*200*	*225*
Market share of NOCIL	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*93*	*95*	*94*
Exports as a % of capacity	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*88*	*58*	*49*
Profit/unit					
Domestic	Rs.MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*107*	*57*	*31*
Exports	Rs.MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*(28)*	*(355)*	*(397)*
PVI					
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*100*	*100*
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*101*	*97*	*90*
Capacity as a % of demand	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*104*	*111*
Market share of NOCIL	%	***	***	***	***

Trend	*Indexed*	*100*	*107*	*97*	*91*
Exports as a % of capacity	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*104*	*93*	*70*
Profit/unit					
Domestic	Rs.MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*102*	*65*	*38*
Exports	Rs.MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*68*	*(8)*	*(18)*

134. It is seen from the above table that:

a. The Indian industry has sufficient capacity to meet the entire domestic demand as regards TDQ and CBS. However, imports constituted 19% and 56% of the demand for TDQ and CBS respectively during the period of investigation, and the market share of the Indian industry declined over the injury period from 81% to 77% in case of TDQ, and from 40% to 37% in case CBS. In case of PVI, the domestic industry is capable of meeting 90% of the demand in the country. However, the imports constituted 59% of the share in demand, and the market share of the domestic industry declined from 45% in the base year to 41% in the period of investigation. Thus, even when Indian Industry is capable of catering to the current demand for the subject goods, there are significant imports in the country.

b. The profitability of the domestic industry in respect of its export is far lesser than the profitability earned by the domestic industry in domestic sales. The domestic industry submitted that it is being forced to export 40% of its production in the period of investigation at much lower profits or even losses, despite significant demand, due to the presence of dumping in the country.

c. As already noted, the market share of the Indian industry has declined despite having sufficient capacities to meet the current demand.

d. The domestic industry submitted that the non-imposition of anti-dumping duty will prove detrimental to the company in the long run and even result in the shutdown of the rubber chemical business, resulting in a loss of employment to atleast 1500 employees.

Particulars	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
TDQ					
Indian Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*120*	*125*	*125*
Demand	MT	13,420	14,315	13,661	11,778
Trend	*Indexed*	*100*	*107*	*102*	*88*
Shortfall or Necessity for import/ (Indian Surplus)	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*(100)*	*(165)*	*(203)*	*(249)*
Actual reliance on imports	MT	***	***	***	***
CBS					
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*123*	*231*	*231*
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*109*	*114*	*102*
Shortfall or Necessity for import/(Indian Surplus)	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*97*	*8*	*(16)*
Actual reliance on imports	MT	***	***	***	***
PVI					
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*100*	*100*
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*101*	*97*	*90*

Shortfall or Necessity for import/(Indian Surplus)	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*102*	*85*	*52*
Actual reliance on imports	MT	***	***	***	***

135. It is seen from the above table that the imposition of anti-dumping duty will not materially affect availability of the product in the market. Imposition of duties will only re-establish fair competition in the country.

Sr.	**Particulars**	**Period**	**Remarks**
1.	Eastman (earlier known as Flexsys, prior to that Solutia)	May 2008	Flexsys (now Eastman) closed its Ruabon plant
		Nov 2010	Flexsys (now Eastman) sold accelerators business to Lanxess Germany.
		June 2012	Solutia, Sinorgchem & KKPC reach global settlement in Anti-degradant Patent Dispute (signifies China centric manufacturing of 4ADPA).
		June 2021	Eastman divesting its tire additives business.
2.	Lanxess	March 2012	Lanxess cease manufacturing an intermediate (4ADPA) used in the production of its Vulkanox rubber antioxidants at its plant in Brunsbüttel, Germany.
		Sep 2013	Lanxess announces intent to sell its accelerators and anti-oxidants business in 3 units at Germany.
		Sep 2014	Lanxess changes its procurement strategy and shelves mooted sale of rubber chemicals business.
3.	Chemtura	Dec 2009	Exited out of 6PPD business.
4.	Emerald	May 2016	Emerald to divest two units to Dystar which were acquired from Dystar by Sinorgchem.
5.	Songwon	June 2013	Exited out of Anti-oxidant business.
6.	Duslo and Sumitomo		Exited out of 4ADPA production.

136. In this regard, the domestic industry has submitted that a number of major global players in the rubber chemical business have either sold their plants or completely shut down due to the strong competition from Chinese players.

137. The Authority notes that India and China are the only global producers of PVI. CBS is produced only in India, China, Europe and US. In the event of non-imposition of duties, the performance of the domestic industry is likely to deteriorate further. It is also noted that the capacities in China are much more than the demand. The domestic industry has submitted that 88% of global capacities for different kinds of rubber chemicals are in China, whereas its domestic demand constitutes only 40% of its own capacity. The domestic industry further submitted that whereas Chinese producers were commanding only 20 % of global market, the Chinese producers now command 85% of global consumption, and the situation continues to deteriorate, leading to increasingly monopolistic position for the Chinese producers. Thus, permitting continued dumping from China will lead to a monopoly for Chinese players, due to the significant surplus capacities in China which will be utilised to resort to dumping.

138. As per information on record, India has 3rd position in global rubber processing and 6% of global rubber consumption is in India, therefore making India a large attractive market for any producer.

139. It is noted that the return on investment earned by the domestic industry has declined and is considerably low during the period of investigation.

140. The domestic industry submitted that it has invested Rs *** Crs at Dahej (2017-19) to develop additional capacities (CBS/NS) to participate in the accelerators market including setting up capacities for a product NS and also its corresponding intermediate NaMBT. NOCIL also invested Rs *** Crs in Navi Mumbai (2017-18) largely thru debottlenecking to develop additional volumes for TDQ by about *** MTA. Taking into account the current rate of return on investment, in the event of non-imposition of duties, the domestic industry will not be able to earn a reasonable return on these investments, thereby impacting its future investments. The domestic industry has submitted that it has planned an investment of Rs 1,200 crores (USD 150 million for both PUC and NPUC equally) to further enhance capacities to not less than 1,50,000 MTA. Viability of current

operations in respect of different products is essential in order to ensure that these investments are not jeopardised. The domestic industry submitted in this regard that the financial institutions and investors do not invest in the company on the basis of just overall performance.

141. As regards the decline in performance of the domestic industry is as a result of COVID-19, the Authority notes that the landed price of imports and consequently selling price of the domestic industry declined significantly in July 2019, which is prior to the COVID19 lockdowns. The decline in landed price of imports in 2019-20 is not attributable to either the decline in demand, or COVID-19, or cessation of ADD. There was a decline in the CIF import prices in 2019-20 despite cessation of anti-dumping duties. The cessation of duties should have enabled the foreign producers to rather fetch a better price from the market. However, the CIF price of the products declined very significantly, and far beyond the decline in cost of production. The price reduction by foreign producers led to significant decline in the selling price of the domestic industry. The domestic industry has faced significant price depressing effect on its prices in the market. The price depression has led to significant decline in the selling price of the domestic industry far beyond the decline in cost of production. The decline in the selling price of the domestic industry is not only in 2019-20 with the cessation of anti-dumping duties, but also over the injury period and the same continued in the investigation period. Further, these declined more than decline in the cost of production. The Authority notes that cessation of anti-dumping duties could have justified decline in selling price of the domestic industry. However, the cessation of duties has led to significant decline in the landed price of imports, particularly when the same has been determined excluding anti-dumping duties and there is no corresponding decline in the cost of production. Further, the cessation of duties could have enabled the foreign producers to rather charge a higher price in the market. It is however seen that there was a steep decline in the price in each of the subject products over the injury period. It is, thus, dumping of the product in the country that has led to significant decline in the prices and consequently profits, return on investment, and cash flow.

142. As regards confidentiality of normal value and dumping margin, the Authority has disclosed determination of normal value and dumping margin appropriately as per consistent practice.

143. As regards appropriateness of the period of investigation, the Authority has considered the period of investigation in accordance with the Anti-Dumping Rules and the WTO AD Agreement.

144. As regards the contention that Russian imports were not causing injury to the domestic industry, the Authority notes that the dumping margin and injury margin is positive and significant during the entire injury period. Since the Authority has undertaken injury analysis on cumulative basis, it would not be appropriate to examine injury individually from the subject countries. Further, none of the interested parties have established how cumulative assessment of injury to the domestic industry is not appropriate in the present case.

145. As regards non-inclusion of Lanxess India Private Limited's data in the injury analysis, it is noted that the Authority sent a copy of initiation notification to the company. However, M/s Lanxess India Private Limited did not provide any information during the investigation. Further, NOCIL Limited satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules and constituted domestic industry under Rule 2(b) of the Rules. Further, none of the interested parties have provided any evidence to show that the present injury determination is distorted due to non-inclusion of Lanxess data.

146. As regards the contention of excessive protection to the domestic industry, the Authority notes that ADD is not a protection per se. The purpose of duty is merely to provide level playing field and is intended to address the situation of dumping. There is no bar on the number of times the domestic industry can approach the Authority for imposition of anti-dumping duties. The recommendation for imposition of duties is made only when the requisite legal requirements are met. As regards previous applications of the domestic industry being devoid of merit, the Authority notes that previous applications or determinations do not have any relevance in the present investigation. The present investigation has been initiated only after examining and being satisfied regarding the adequacy and accuracy of the application filed by the domestic industry. The material injury suffered by the domestic industry is on account of the dumped imports of the products under consideration from the respective subject countries. It is however noted that dumping need not be the sole cause of injury to the domestic industry. So long as dumping of the product is one of the causes contributing to the injury to the domestic industry, the domestic industry is entitled to protection against the same and restoration of level playing field.

147. As regards the impact analysis provided by the user industry on cumulative basis considering different inputs of tyre industry attracting the duty, the Authority has already addressed the same in the relevant part of this finding.

148. As regards the calculation of NIP, the Authority notes that the determination has been made as per the Rules laid down and the prevailing practice of the Authority.

149. As regards price undercutting not being sufficient to indicate price injury, the Authority notes that price undercutting is only 'one of the factors' to determine whether the dumped imports are causing injury to the

domestic industry. Further, the Authority has examined price depressing/suppressing effect of the dumped imports on the domestic industry. It is seen that it is this price undercutting caused by the subject imports that has led to depressing effects on the prices of the domestic industry in the market. Further, a number of economic parameters relating to the performance of the domestic industry establish injury to the domestic industry.

150. As regards the letters filed by the domestic industry, the Authority notes that the information in the letters are mere reiterations of the information filed during the course of the investigation by the domestic industry. The Authority also notes that all the interested parties had adequate opportunity to defend their interest in the course of the investigation. Further, the interested parties were given sufficient access to the information provided by opposing interested parties, subject to the requirements of confidentiality.

151. As regards confidentiality claims by the domestic industry, the Authority has considered the claims of confidentiality made by the applicant and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. As regards confidentiality of the impact analysis submitted by the domestic industry, the Authority has already addressed the same in the relevant part of this finding.

152. As regards the contention that it is not mandatory for all users to file questionnaire response, the Authority has already addressed the same in the relevant part of this finding.

J. INDIAN INDUSTRY INTEREST AND OTHER ISSUES

J.1. Submissions by the domestic industry

153. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to public interest:

a. Over the last decade, owing to Chinese dominance and their non-market economy practises, major players in the rubber chemicals industry have been forced to exit or maintain minimal presence. The capacities of NOCIL are restricted due to aggressive dumping practises adopted by China PR.

b. The performance of the domestic industry declined significantly on expiry of existing anti-dumping duties in 2019. The duties ensure a level playing field and fair competitive business environment for NOCIL whose existence is threatened by the non-market economy practises of China PR, despite NOCIL's research and technological capabilities.

c. NOCIL, being a significant non-Chinese manufacturer of rubber chemicals, is unable to attain optimal capacity utilization due to aggressive dumping practices adopted by China PR.

d. None of the users have opposed imposition of duties with sufficient and verifiable information. Further, despite the history of duties, none of the users have recognised anti-dumping duty on rubber chemicals as a risk factor for their business.

e. Limited cooperation from the user/importer industry and the deficient response from the sole responding producer and exporter indicate that they are not adversely impacted by the duties.

f. The domestic industry has quantified the impact of duties on the basis of consumption of rubber chemicals as a whole as well as each product and the impact on the consumer industry is miniscule.

g. Non-imposition of duties will significantly impact the employment in the rubber chemicals industry, as well as the user and the downstream industry who rely on indigenous raw material.

h. There is no demand-supply gap with respect to TDQ and CBS as the domestic industry is equipped to meet the existing demand in the country. Although there is a demand-supply gap as regards PVI, the domestic industry is capable of catering to roughly ***% of the total demand.

i. The capacity of the domestic industry exceeds the demand in the country. Further, the profits earned from exporting the products under consideration is far lesser than the profits earned from domestic sales. While the imports constituted 19%, 56% and 59%of the demand for TDQ, CBS and PVI respectively during the period of investigation, the market share of the domestic industry declined with respect to the products under consideration.

Particular	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
TDQ					
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*120*	*125*	*125*
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*107*	*102*	*88*

Capacity as a % of demand	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*113*	*123*	*143*
Market share of NOCIL	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*99*	*91*	*92*
Exports as a % of capacity	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*113*	*112*	*97*
Profit/unit					
Domestic	Rs.MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*124*	*75*	*31*
Exports	Rs.MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*190*	*97*	*6*
CBS					
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*123*	*231*	*231*
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*109*	*114*	*102*
Capacity as a % of demand	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*113*	*200*	*225*
Market share of NOCIL	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*93*	*95*	*94*
Exports as a % of capacity	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*88*	*58*	*49*
Profit/unit					
Domestic	Rs.MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*107*	*57*	*31*
Exports	Rs.MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*-28*	*-355*	*-397*
PVI					
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*100*	*100*
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*101*	*97*	*90*
Capacity as a % of demand	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*104*	*111*
Market share of NOCIL	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*107*	*97*	*91*
Exports as a % of capacity	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*104*	*93*	*70*
Profit/unit					
Domestic	Rs.MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*102*	*65*	*38*
Exports	Rs.MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*68*	*-8*	*-18*

j. Imposition of duty shall help accelerate the growth in the rubber chemicals industry that is expected to grow in light of the sharp recovery in the Indian tyre industry.

k. ATMA failed to substantiate how imposition of duties will be inimical to public interest, and to provide relevant information, thereby impeding, and undermining the entire investigation process.

l. Only 4 out of 9 members of ATMA have filed the user questionnaire response, and there is no indication of support or opposition extended by the rest of the members in the Association.

m. Non-PUCs are performing better than PUCs, and it shows the adverse effect of dumping on PUCs produced by NOCIL. PUCs i.e., TDQ, PVI and CBS collectively constitutes *** - *** % of company capacity, *** - *** % of production, *** - *** % of sales volumes, *** - *** % of sales revenue, and only *** - *** % of company's profits during the injury period and the period of investigation. Further, the majority of the profits earned by the company is in their speciality chemical business, which are produced largely for exports.

Table-1: Share of PUC Business in the overall business of NOCIL

SN	**Particulars**	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
1	Capacity	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*106*	*114*	*114*
2	Production	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*108*	*111*	*103*
3	Sales Volumes	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*111*	*111*	*105*
4	Sales Revenues	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*119*	*104*	*89*
5	Profits of RC Business	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*120*	*120*	*77*
6	ROI	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*133*	*71*	*21*

Table-2: Share of NPUC speciality chemicals in the overall business of NOCIL

SN	**Particulars**	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
1	Capacity	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*92*	*108*	*108*
2	Production	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*114*	*121*
3	Sales Volumes	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*114*	*121*
4	Sales Revenues	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*107*	*114*	*121*
5	Profits	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*110*	*180*	*370*
6	ROI	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*115*	*99*	*85*

Table-3: Share of NPUC Rubber Chemicals Business (Excluding speciality chemicals) in the overall business of NOCIL (in Index form)

SN	**Particulars**	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*114*	*116*	*116*
2	Production	MT	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*84*	*80*
3	Sales Volumes	MT	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*95*	*88*	*83*
4	Sales Revenues	Rs.in Lacs	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*97*	*74*	*65*

5	Profits	Rs.in Lacs	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*92*	*33*	*2*
6	ROI	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*67*	*22*	*0*

n. The speciality chemicals are produced largely for exports and have minimal domestic market (domestic market is hardly *** - *** % in these products). Therefore, the entire information of the company should be segregated between these speciality chemicals and other chemicals and then it would be seen that the PUC constitutes of much higher proportion in the overall operations when compared to the company. Whenever the market conditions turn adverse, the intensity of dumping into Indian market gets reflected in the form of lower capacity utilisation, lower profits, and above lower ROI that too on historical cost basis.

o. Profits have been consistent during injury period in the speciality chemical business and are much higher than general rubber chemicals. Wherever China is unable to compete, the performance parameters of these products display a consistent pattern.

Parameter	**Particulars**	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
Profits Rs. Lakhs	Total PBT	Rs.in Lacs	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*109*	*60*	*36*
	PUC	Rs.in Lacs	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*135*	*72*	*23*
	NPUC speciality chemicals	Rs.in Lacs	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*122*	*106*	*108*
	NPUC normal chemicals	Rs.in Lacs	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*92*	*33*	*2*
	Non-Operating Other Income	Rs.in Lacs	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*91*	*70*	*108*
ROI %						
	PUC	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*133*	*71*	*21*
	NPUC speciality chemicals	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*115*	*99*	*85*
	NPUC normal chemicals	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*67*	*22*	*0*
	Total Rubber Chemicals Business	%	***	***	***	***
	Trend	***Indexed***	***100***	***90***	***47***	***23***

p. Export operations may also be considered for injury analysis as the company is exporting only due to imports. Overall health of the company should be analysed at product levels and not merely domestic market levels.

q. NOCIL is one of very few producers of speciality chemicals such as DHTS, and latex products which are sold to MNC customers who are concerned more about quality, availability, and service than price. The cost of production of speciality rubber chemicals is even below *** - *** %. The profits earned in this segment is the type of profits required for viable operations in rubber chemicals.

r. After the exit of companies such as Eastman, Lanxess (Germany), Chemtura, Uniroyal, Sumitomo, etc, the world is moving towards Chinese monopoly in these products.

s. If the revalued book value of the assets is considered, the ROI earned over the four-year period is considerably low. The age and current value of investments and investments required to be made in capacity enhancement should also be considered.

t. Investment made by NOCIL in capacities already added are much lower now due to depreciated plants and age of the investment. If ROI is satisfactory on these returns, no further investments can be made. 22% ROI may be reasonable but is grossly insufficient to allow further investments in the country.

J.2. Submissions by the other interested parties

154. Following submissions have been made by other interested parties with regard to public interest:

a. There is no legal requirement to provide quantified impact of ADD on user industry while filing questionnaire response. The cumulative impact of ADD in overall raw material cost is 6.80%. The impact is substantial. Imposition of ADD will cause deterioration of the domestic tyre producers, in light of slowdown in the automobile market, cheaper imports from foreign countries and economic impact of the pandemic.

b. Considering there is no legal requirement to examine 'public interest', ATMA and its members are committed to providing information required. An objective assessment is requested in this regard.

c. Since NOCIL supplies 20+ products in the rubber chemical basket, the Authority is requested to quantify the impact of non-imposition of ADD on the domestic industry in the next 5 years. ATMA should also be provided adequate opportunity to comment on the same.

d. The domestic industry has misinterpreted the Supreme Court judgment in Reliance Industries Limited v. DA and it has no relevance to the present investigation.

e. The domestic industry's arguments that Chinese producers are dominating the market, forcing other players to exit is baseless and holds no merit.

f. The domestic industry is the sole producer of the PUC in India and has a 16-year-old history of availing trade remedial measures to evade competition in the Indian market. They do not have sufficient capacity to meet the Indian demand. Imposition of ADD will artificially increase prices of the PUC produced by the domestic industry. The duty will also impact industries related to the tyre industry.

g. ATMA has opposed the investigation since initiation and its members have filed questionnaire response and filed comments and submissions. The argument by the domestic industry that there is no opposition from users is baseless. ATMA has been participating in all trade remedial investigations and this shows that the imposition of ADD have had and continues to have significant impact on users. The Annual Report of CEAT clearly shows impact of ADD on rubber chemicals and carbon black.

h. The domestic industry is monopolising the Indian market and has prevented any new players in the rubber chemical segment to emerge, though duties have been imposed from time to time.

i. The imposition of ADD will leave the users at the mercy of the domestic industry which would artificially increase prices.

j. The argument of the domestic industry that users are shifting their raw material supplies to India is incorrect since the domestic industry relied on annual reports of member companies that provide consolidated raw material figures and not just for the PUC. The procurement of raw materials is a commercial decision and this recent shift to domestic sources should be seen in light of the disruption in supply chains due to the pandemic.

k. On the growth in the Indian tyre industry, the domestic industry had submitted that there is a slowdown in the automobile market and the estimated growth does not factor the impact of ADD which would directly impact the industry.

l. Contrary to the domestic industry's claim that only three members of ATMA have filed responses, four members of ATMA have filed their representation by way of questionnaire responses.

m. ATMA represents the interest of all its members and non-filing of questionnaire by some of its members shouldn't be seen as opposition to the present investigation. There is no mandate for all members of a user association to file questionnaire response.

J.3. Examination by the Authority

155. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of antidumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-

dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

156. The Authority considered whether the imposition of anti-dumping duty shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the imposition of duties on the availability of goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation.

157. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of ADD on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the consumers to switch sources, effect of ADD on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of ADD.

158. As regards the contention that it is not mandatory for all users to file questionnaire response, the Authority notes that the participation of users enables them to provide information with regard to impact of duties on their operations. The Authority can analyse and determine impact of proposed measures on the consumers and public at large based on the information placed on record by various interested parties during the course of investigation.

159. As regards the argument regarding the impact of ADD on the user industry, it is noted that the interested parties have not demonstrated how the anti-dumping duty on the products under consideration (TDQ, CBS & PVI) will result in significantly adverse impact on the consumers and public at large. Despite providing all formats for users to quantify the impact of ADD and elaborate on how imposition of ADD will adversely impact them, none of the users have provided relevant information. Even when the other interested parties submitted that there exists 20+ products in the rubber chemical basket of NOCIL, and despite the present investigation concerns only three rubber chemicals out of all the rubber chemicals, ATMA provided impact of anti-dumping duties by considering all kinds of rubber chemicals and other inputs consumed in the production of tyres. Since the present investigation is limited to only three rubber chemicals, it would not be appropriate to determine impact of the proposed duty by considering/ assuming the impact of all rubber chemicals together. On the other hand, the domestic industry has quantified the impact of anti-dumping duty on the products under consideration (TDQ, CBS & PVI). Thus, the Authority has examined the likely impact of anti-dumping duty of three PUC products only. The impact of anti-dumping duty on other raw materials have been examined by the Authority in the respective investigations and the same has no relevance in the present investigation. It is noted that the user association has considered duties on imports of carbon black, nylon tyre cord fabric, styrene butadiene rubber, polybutadiene rubber, and some of which are no longer in force. Further, the user association has not demonstrated significant adverse effect of these duties either on tyre industry or on eventual product or public at large. Even during the period when anti-dumping duties were in force on a number of inputs for tyre industry, the user association has not been able to demonstrate significant adverse effect of the same on production, sales, price or costs of tyres or eventual end product or public at large. It is, thus, noted that the interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information. Further, even if it is considered that the imposition of ADD might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods, it is noted that fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the ADD is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry instead of duties upto full dumping margins. The objective of imposition of anti-dumping measure is to remove the unfair advantages gained by unfair practices of dumping, to prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

160. With regard to the contention that the applicant is trying to monopolize the market and that the anti-dumping duty will impact downstream industry, the Authority notes that, the performance of the domestic industry has deteriorated on account of a number of parameters, which could not have been a case, had the domestic industry been in a monopolistic position. Further, imposition of anti-dumping duty does not restrict imports. Anti-dumping duty ensures that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the domestic industry. It is also noted that the user industry has not demonstrated that the domestic industry has in fact adopted monopolistic position when these duties were in place on imports of a number of rubber chemicals in the past. On the contrary, it is seen that anti-dumping duties were earlier imposed on imports of carbon black, nylon tyre cord fabric, styrene butadiene rubber, polybutadiene rubber, and some of these have been discontinued now. the user association has not demonstrated adverse effect of these duties either on availability or prices. Even in the present case, the product

was subject to duties till July 2019 and it is seen that market share of subject imports were significantly high during the duty period. It is also seen that the landed price of import including anti-dumping duties were materially higher than the selling price of the domestic industry. It is thus seen that the domestic industry has not charged a price to the extent of landed price of imports after addition of applicable ADD. Such being the case, there is no basis for the contention that the domestic industry has resorted to monopolistic position, particularly when the domestic industry has not even charged price to the extent of landed price of imports after addition of anti-dumping duties.

161. The Authority has also considered the overall performance of the company which also includes performance of products not subject to present investigation in both domestic and export markets. As per the information on record, it is noted that PUCs i.e., TDQ, PVI and CBS collectively constitutes *** - *** % of company capacity, *** – *** % of production, *** % - *** % of sales volumes, *** %- *** % of sales revenue, and only *** % - *** % of company's profits during the injury period. The overall performance of the products under consideration has declined in terms of profits and return on investments vis–a-vis Non-PUC products as depicted in the tables given below:

Table-1: Share of PUC Business in the overall business of NOCIL

SN	**Particulars**	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
1	Capacity	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*106*	*114*	*114*
2	Production	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*108*	*111*	*103*
3	Sales Volumes	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*111*	*111*	*105*
4	Sales Revenues	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*119*	*104*	*89*
5	Profits of RC Business	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*120*	*120*	*77*
6	ROI	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*133*	*71*	*21*

Table-2: Share of NPUC speciality chemicals in the overall business of NOCIL

SN	**Particulars**	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
1	Capacity	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*92*	*108*	*108*
2	Production	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*114*	*121*
3	Sales Volumes	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*114*	*121*
4	Sales Revenues	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*107*	*114*	*121*
5	Profits	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*110*	*180*	*370*
6	ROI	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*115*	*99*	*85*

Table-3: Share of NPUC Rubber Chemicals Business (Excluding speciality chemicals) in the overall business of NOCIL (in Index form)

SN	**Particulars**	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*114*	*116*	*116*
2	Production	MT	***	***	***	***

	Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*84*	*80*
3	Sales Volumes	MT	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*95*	*88*	*83*
4	Sales Revenues	Rs.in Lacs	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*97*	*74*	*65*
5	Profits	Rs.in Lacs	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*92*	*33*	*2*
6	ROI	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*67*	*22*	*0*

K. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

162. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

a. The applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules. The Authority sent a copy of initiation notification to M/s Lanxess India Private Limited. However, they did not provide any information during the investigation.

b. The products produced by the domestic industry are like articles to the products imported from their respective subject countries.

c. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from each of the respective subject countries have been determined. The dumping margins are significant. In fact, the dumping margins determined are more than the injury margins.

d. As regards confidentiality claims by the domestic industry and other interested parties, the Authority has considered the claims of confidentiality made and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality.

e. The domestic industry has suffered material injury, as is evident from the examination hereinabove and summarized below.

i. **TDQ:** The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of dumped imports from subject countries increased, both in absolute terms and relative to production and consumption in India. The imports from the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry. Production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry has declined in the period of investigation. The inventories with the domestic industry increased over the injury period and in the period of investigation. The performance of the domestic industry has deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

ii. **PVI:** The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry shows that though the volume of imports from the subject country has declined in the period of investigation as compared to the previous year, the same in relation to production and consumption has increased in the period of investigation as compared to previous year as well as base year. The imports from the subject countries are undercutting the domestic industry prices. Price undercutting has led to a suppressing and depressing effect on the prices of the domestic industry in the market. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry has declined in the period of investigation. The inventories with the domestic industry increased over the injury period and in the period of investigation. The performance of the domestic industry has deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

iii. **CBS:** The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of dumped imports from subject countries has increased in both absolute and relative terms. The imports from the subject countries are undercutting, suppressing and depressing the prices of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry has declined in the period of investigation. The inventories with the domestic industry increased over the injury period and in the period of investigation. The performance of the domestic industry has deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

f. The material injury suffered by the domestic industry is on the account of the dumped imports of the products under consideration from their respective subject countries.

g. The consumer industry has not demonstrated how the proposed anti-dumping duty on the products under consideration will have material adverse impact on the consumers. The consumer industry has also not demonstrated that domestic industry has charged full quantum of duty in their prices. On the contrary, consideration of landed price of imports with anti-dumping duties and comparison of the same with selling price of the domestic industry shows that the domestic industry in fact did not charge a substantial portion of anti-dumping duty in their price. Selling price of the domestic industry were materially below the landed price of imports after adding antidumping duties. The present products under consideration were earlier attracting antidumping duties. It is noted that even when these duties were in place, the market share of subject imports have remained significantly high. These high market shares of imports are despite availability of sufficient capacities in the country. Further, even when a number of products were earlier attracting antidumping duty in the past, the tyre industry has not demonstrated that in imposition of ADD on various inputs had led to any availability issues faced by them during the period of duties and as a result of imposition of duties. Thus, the consumers have not established adverse effect of the ADD imposed in the past either in terms of availability of the inputs or their prices.

h. Further, while the domestic industry has quantified the impact of anti-dumping duty on the products under consideration and has shown that the same is miniscule, the user association has quantified the cumulative impact of anti-dumping duty on all the raw materials used in the manufacture of tyre which includes product under consideration and non-product under consideration. Since the present investigation is with regard to only TDQ, PVI and CBS, the Authority has examined the impact of likely anti-dumping duty of three PUC products only. The impact of anti-dumping duty on other raw materials have been examined by the Authority in the respective investigations and the same has no relevance in the present investigation.

i. The other interested parties have not been able to establish how the imposition of anti-dumping duties shall be contrary to larger public interest. The information on record shows that the imposition of anti-dumping duties shall not be contrary to larger public interest. The domestic industry has quantified the impact of imposition of anti-dumping duty on the tyre and non-tyre industry. The Authority notes that such impact is very miniscule i.e., 0.04% on the tyre industry and 0.17% on non-tyre industry.

j. The Authority notes that the performance of the domestic industry has deteriorated on account of a number of parameters, which could not have been a case, had the domestic industry been in a monopolistic position. Further, imposition of anti-dumping duty does not restrict imports.

k. The Authority has conducted the present investigations considering a period which is fully in accordance with the Anti-Dumping Rules and the WTO AD Agreement. None of the interested parties have established any impropriety in the present determination due to selection of the present investigation period.

l. The Authority notes that the overall performance of the domestic industry in terms of profits and return on investments of the products under consideration has declined substantially.

m. The Authority notes that the landed price of imports and consequently selling price of the domestic industry declined significantly in July 2019, which is prior to the COVID19 lockdown. The decline in landed price of imports in 2019-20 is not attributable to either the decline in demand, or COVID-19, or cessation of ADD. There was a steep decline in the CIF import prices in 2019-20 despite cessation of anti-dumping duties. The cessation of duties should have enabled the foreign producers to rather fetch a better price from the market. However, the CIF price of the products declined very significantly, and more than the decline in cost of production. The price reduction by foreign producers led to significant decline in the selling price of the domestic industry. The domestic industry has faced significant price depressing effect on its prices in the market. The price depression has led to significant decline in the selling price of the domestic industry far beyond the decline in cost of production. The decline in the selling price of the domestic industry is not only in 2019-20 with the cessation of anti-dumping duties, but also over the injury period and the same continued in the investigation period. Further, these declined more than decline in the cost of production. The Authority notes that cessation of anti-dumping duties could have justified decline in selling price of the domestic industry. However, the cessation of duties does not justify significant decline in the landed price of imports, particularly when the same has been determined excluding anti-dumping duties and there is no corresponding decline in the cost of production. Further, the cessation of duties could have enabled the foreign producers to rather charge a higher price in the market. It is however seen that there was a steep decline in the price in each of the subject products over the injury period. It is, thus, dumping of the product in the country that has led to significant decline in the prices and consequently profits, return on investment, and cash flow.

163. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, Government of the respective subject countries, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and causal link in terms of the ADD Rules and having established positive injury margin as well material injury to the domestic industry caused by such imports, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is necessary. As the injury margin with respect to imports of CBS originating in or exported from European Union is negative, no anti-dumping duty is recommended against producers and exporters of CBS from European Union, and investigations with respect to CBS are terminated against European Union.

164. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of antidumping duty on the imports of TDQ originating in or exported from China PR, European Union and Russia, imports of PVI originating in or exported from China PR and imports of CBS originating in or exported from China PR, for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

DUTY TABLE

S.No.	Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	38123100	Rubber Chemical TDQ	China PR	Any other country including China PR	Any	231	MT	USD
2.	-do-	-do-	Any country other than China PR, European Union and Russia	China PR	Any	231	MT	USD
3.	-do-	-do-	European Union	Any other country including European Union	Any	416	MT	USD
4.	-do-	-do-	Any country other than China PR, European Union and Russia	European Union	Any	416	MT	USD
5.	-do-	-do-	Russia	Any other country including Russia	Any	219	MT	USD
6.	-do-	-do-	Any country other than China PR, European Union and Russia	Russia	Any	219	MT	USD
7.	3812	Rubber Chemical PVI	China PR	Any other country including China PR	Any	1146	MT	USD

8.	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	1146	MT	USD
9.	-do-	Rubber Chemical CBS	China PR	Any other country including China PR	Any	488	MT	USD
10.	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	488	MT	USD

L. FURTHER PROCEDURE

165. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunalin accordance with provisions of Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.31 16:10:32 +05'30'